पंचम माला, खंड 24, अंक 11 सोमवार, 5 मार्च, 1973/14 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIV No Monday, March 5, 1973/Phalguna 14, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LIBRARY
71 (19)
DATE 23 8.75

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches ete. in English/Hindi.]

विषय सूची CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 5 मार्च, 1973/14 फाल्गुन, 1894 (शक)
No. 11, Monday March 5, 1973/Phalguna 14, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBER SWORN	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
181 पांचवीं पंचवर्षीय योजना, के दौरान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम	Programme for Universal Primary Education during Fifth Plan .	1
183 उर्वरक के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Fertiliser . .	6
185 सुपर फास्फेट के निर्माण के लिए राक फास्फेट का आयात	Import of rock Phosphate for manufacture of Super Phosphate . .	7
187 संसदीय सौध, नई दिल्ली का निर्माण	Construction of Sansadiya Soudha, New Delhi.	8
188 पोषक आहार सप्लाई करने की योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता	Help for Maharashtra Government for implementation of Scheme for Supply of Nutritive Food . .	9
189 राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए धनराशि का नियतन	Allocation of Funds under the National T.B. Control Programme for Orissa.	10
191 राष्ट्रीय अभिलेखागार में वित्तीय संकट	Financial Crisis in National Archives .	12
192 सम्पूर्ण राजस्थान को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to declare whole of Rajasthan as Famine affected . . .	13
193 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पदोन्नति सम्बन्धी योजना से असन्तोष	Resentment over U.G.C. Promotion Scheme for Teachers in Central Universities	15
194 गुजरात से गेहूं के बाहर भेजने पर रोक	Banning movement of Wheat from Gujarat	16
198 गुजरात को जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्नों का आवंटन	Allotment of Foodgrains to Gujarat According to Population . .	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	*Written Answers to Questions*	
182	अभाव को दूर करने हेतु खाद्यान्न आयात करने के बारे में विदेशों के साथ बातचीत	Talks with Foreign Countries for import of Foodgrains to meet Scarcity.	18
184	कलकत्ता में हुए 'आल इंण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस) के सम्मेलन में 'राशनिंग' व्यवस्था के सम्बन्ध में पारित किया गया प्रस्ताव	Motion Passed regarding Rationing at Convention of A.I.T.U.C. held at Calcutta.	19
186	राज्य स्तर पर खाद्य निगम बनाना	Forming Food Corporation at State level	19
190	प्रत्येक गांव के लिए सहकारी समिति बनाने का कार्यक्रम	Programme of Forming Cooperative Society for each village . . .	19
195	प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों के बारे में. दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र के निवासियों से अभ्यावेदन	Representation from the Residents of Trans Yamuna Area of Delhi re: Practising Doctors . .	20
196	भारतीय जहाजरानी निगम फ्रांस में बने 'पैसेंजर लाइनर' का क्रय	Purchase of French built Passenger liner by Shipping Corporation of India	20
197	खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Grain Production. .	21
199	जहाज बनाने के दो और कारखानों की स्थापना	Setting up of two more Shipyards	21
200	पारादीप पतन का विकास	Development of Paradeep Port .	22
1801	उर्वरक के वितरण को सुव्यवस्थित करना	Streamlining Distribution of Fertiliser	22
1802	ग्वालियर जल प्रदाय योजना के सुधार हेतु ऋण देना	Grant of Loan for improvement in Gwalior Water Supply Scheme	23
1803	सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि	Raising of limit of Housing Loan to Government Employees.	24
1804	राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाने के लिए अन्तर्राज्यीय पुल का निर्माण	Completion of Inter State Bridge to link Rajasthan and Madhya Pradesh.	24
1805	स्कूटरों के आवंटन के लिए दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्र	Application from DTC Officials for allotment of Scooters. . . .	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1806	भारतीय नौवहन निगम के लिए टैंकरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में युगोस्लाविया के साथ करार	Accord with Ugoslavia for building Tankers for S.C.I. . . .	25
1807	सुपर बाजार द्वारा खरीदे गये मक्खन के मूल्य का भुगतान	Payment for purchase of Butter by Super Bazar	26
1808	दिल्ली में जाली राशन कार्ड और उचित दर दुकानों द्वारा चोर-बाजारी	Bogus Ration Cards in Delhi and Black-marketing by Fair Price Shops	27
1809	क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरस्कार और क्रिकेट को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही	Prizes to Cricket Players and Steps to promote Cricket . . .	27
1810	खाद्यान्नों के मामलों में आत्म-निर्भर राज्य	States Self sufficient in Foodgrains .	28
1811	राष्ट्रीय राजपथ एक और दो की लम्बाई	Length of National Highway 1 and 2 .	30
1812	बिहार में राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत पर व्यय	Expenditure on repair of National Highways in Bihar . . .	30
1813	उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में संस्थानों को अनुदान	Grants to Organisations in Jaunpur District, U.P. . . .	31
1814	उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में विभिन्न संस्थानों को दिया गया अनुदान	Grants to Institutions in Azamgarh District of U.P.	31
1815	सहकारी वीतराग संभा, खारगोन को अनुदान	Grant to Sahakari Veetrag Sabha, Khargone	32
1816	नगरीय मलेरिया नियंत्रण योजना	Urban Malaria Control Scheme .	32
1817	ग्रामीण क्षेत्रों में आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए अधिक संख्या में चल अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करना	Introduction of more mobile Hospitals and service in rural areas for curing Eye Diseases	32
1818	पांचवीं योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन के लिए सरकारी ऋण	Cooperative Credit for Agricultural Production by end of Fifth Plan .	33
1819	कीट नियंत्रण के लिए रसायनों के लिए अनुसंधान	Research for Chemicals to control Pests	34
1820	त्रिपुरा में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई	Irrigation of Drought affected Areas in Tripura	35
1821	अन्य देशों से व्यापार करने के लिए भारतीय जहाजों की कमी	Shortage of Indian Vessels for Trade with other countries. . . .	35

अतारां प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1822	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिये सहायता	Assistance to States for Irrigation Products in Drought affected . .	36
1823	उर्वरकों का आयात	Importof Fertilizer	36
1824	उर्वरक संवर्धन योजना की प्रगति	Progress of Fertiliser Promotional Plan	37
1825	सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल	Working Grou p on Co-operatives .	37
1826	देवनागरी लिपि का विस्तार	Propagation of Devanagari Script	38
1827	सूखे की स्थिति के बारे में मैसूर के संसद सदस्यों को ज्ञापन	Memorandum from Mysore M.Ps regarding Drought Condition . .	39
1828	बेरोजगार नाविक	Unemployed Seamen . . .	39
1829	आयातित रूई का बन्दरगाहों पर धूमीकरण	Fumigation of Imported Cotton at the Ports	40
1830	काजू के उत्पादन में सुधार	Improvement in the Production of Cashew Nuts.	41
1831	बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भयंकर अकाल	Grave Famine in Bihar, Rajasthan and Uttar Pradesh. . . .	41
1832	राजस्थान में भूख से हुई मौतें	Deaths due to Starvation in Rajasthan	42
1833	आंध्र प्रदेश में भूख से हुई मौतें	Hunger Death in Andhra Pradesh	43
1834	अकाल की स्थिति का सामना करने की गुजरात की योजना	Gujarat Plan to fight Famine .	43
1835	राज्यों को अकाल ग्रस्त घोषित करना	Declaration of States as Famine Striken	44
1836	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालाजी, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger strike by Employees of I.I.T. New Delhi	45
1837	महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों के सूखाग्रस्त जिले	Drought Affected Districts of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh	45
1838	चारे की कमी के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशु रोगों का फैलना	Spread of a Cattle Disease in Drought Affected Areas due to Fodder scarcity.	45
1839	अत्यधिक अभाव से प्रभावित गांव	Villages Affected by Severe Scarcity .	46
1840	राज्यों में सूखा के कारण खरीफ की फसल को क्षति और उसके लिए केन्द्रीय सहायता	Damage to Kharif Crop due to Drought in States and Central Aid thereon .	46
1841	महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न की आपूर्ति	Food supplies to Drought affected areas of Maharashtra	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1842	राजस्थान को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता	Centre's Relief to Rajasthan. .	47
1843	अकालग्रस्त क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय राहत	Centre's per capita Relief for Famine affected Areas	48
1844	माइलों की सप्लाई के लिए राजस्थान सरकार का अनुरोध	Rajasthan's request for release of Milo.	48
1845	सूखाग्रस्त राज्यों से खाद्यान्नों की मांग	Demand of Foodgrains from Drought affected States	49
1846	बिहार में भुखमरी से मौतें	Hunger Deaths in Bihar . .	50
1847	सहकारिता के आधार पर उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना	Setting up Fertiliser Production Units on Co-operative Lines . .	50
1848	छोटे किसानों की वर्षा पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाएं	Medium and Minor Irrigation Schemes to avoid Dependence on Rain by Small Farmers	50
1849	भूमिगत जल का पता लगाने के लिए राजस्थान का सर्वेक्षण	Survey of Rajasthan District for location of Underground Water Resources	52
1850	उर्वरक के गैर सरकारी व्यापार पर रोक लगाने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 को संशोधित करना	Amending the Fertilizer Control Order, 1957 to Ban Private Trade in Fertilizers	52
1851	बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन में हुई हानि	Loss to Agricultural Production due to Power Shortage . . .	53
1852	खाद्य उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज वाली किस्मों संबंधी कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रों का विस्तार	Expansion of High Yielding Variety under Crash Programme for Food Production	53
1853	भूमि को सिंचित और असिंचित मानने की कसौटी	Criteria for recognition of Irrigated and Non-irrigated land . . .	53
1854	बार बार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए छोटी सिंचाई टंकिया	Minor Irrigation Tanks to meet recurring Drought Conditions . .	54
1855	बिहार में उर्वरक की कमी	Shortage of Fertiliser in Bihar .	55
1856	पांचवीं योजना के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास	Development of Desert Areas during Fifth Plan . . .	56
1857	नई दिल्ली नगर पालिका के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा पटरी पर सौदा बेचने वालों को तंग किया जाना	Harassment to Pavement Sellers by Enforcement Staff of N.D.N.C. . .	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1858	बाल अपराध	Juvenile Crimes . .	56
1859	कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों को हरे क्षेत्रों में बदलने के लिए प्रधान मंत्री का आश्वासन	Assurance of Prime Minister for conVersion of Desert Areas of Kutch and Rajasthan into Green Areas .	57
1860	नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों की कमी	Shortage of Hostels for Working Women	58
1862	गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश को खाद्यान्न और चीनी की सप्लाई	Supply of Foodgrains and Sugar to Madhya Pradesh during last two year	58
1863	कार्बेट पार्क (उत्तर प्रदेश) में आरंभ किया गया 'बाघ बचाओ' नामक व्यापक कार्यक्रम	Massive Programme launched at Corbet Park to save the Tiger .	59
1864.	बिहार में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Houses to Landless agricultural Labour in Bihar	60
1865	प्राकृतिक साधनों की कमी को पूरा करने हेतु किसानों के लिए वित्तीय सहायता योजना	Financial Assistance scheme for Farmers to meet Paucity of Natural Resources	60
1866	निरन्तर देवी विपत्तियों का सामना करने वाले कृषकों के पुनर्वास के लिए योजनाएं	Schemes for Rehabilitation of Agriculturists facing persistent natural Calamities	61
1867	शिक्षकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना	Compulsory Insurance Scheme for Teachers . . .	61
1868	देश में शेरों की संख्या में वृद्धि करने की योजना	Scheme to increase the number of Lions in the Country . . .	61
1869	सूखाग्रस्त और अल्प विकसित पहाड़ी क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के लिए कार्यवाही	Steps to Provide Electricity to Drought Affected and underdeveloped Hilly Areas	62
1870	तीव्र तथा संतुलिप कृषि विकास के लिए प्रशासक तथा संस्थागत ढांचे में परिवर्तन	Change in Administrative and Institutional framework for Rapid and Balanced Agricultural Growth. .	62
1871	अनाज की सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील	Appeal in U.N. for Food Aid.	63
1872	स्वास्थ्य बीमा योजना	Health Insurance Scheme . . .	63
1873	दिल्ली में बने अनधिकृत मकानों में रहने वाली जनता की प्रतिशतता	Percentage of population living in unauthorised houses constructed in Delhi	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1874	साम्प्रदायिकता की शिक्षा देने वाले स्कूलों को सहायता बन्द करना	Stoppage of aid to schools imparting Communal Education . . .	64
1875	दिल्ली विश्वविद्यालय में 'प्री-मैडिकल कोर्स' को समाप्त करना	Abolition of Pre-Medical Course in Delhi University	64
1876	शिक्षा में मूल परिवर्तन के बारे में प्रधान मंत्री का भाषण	Prime Minister's speeches regarding basic changes in education . .	65
1877	राजपुरा में कस्तूरबा रूरल इंस्टीच्यूट	Working of Kasturba Rural Institute at Rajpura	66
1878	अनाज के वितरण की प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए योजना	Plan to plug loop-holes in grains distribution	66
1879	महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बीच के स्तर की छोटी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति	Sanction for medium/minor irrigation scheme in drought prone areas programme in Maharashtra . .	67
1880	चौथी योजना में उड़ीसा के लिए निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करना	Grant of loans under the Low Income Group Housing Scheme for Orissa in Fourth Plan	67
1881	उड़ीसा में सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण	Construction of houses under social Housing Scheme in Orissa	68
1882	किसानों की ऋण ग्रस्तता का मूल्यांकन	Assessment of farmers' indebtedness .	69
1883	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ से सम्बद्ध करना	Affiliation of Indian National Shipowners Association to International Shipowners Association . .	69
1884	बिहार के उत्तरी भाग में सड़कों तथा पुलों का निर्माण	Construction of Roads or Bridges in Northern part of Bihar . . .	69
1885	ग्रांड ट्रंक रोड को अधिक चौड़ा करना	Widening of G.T. Road	70
1887	क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए बीस वर्षीय योजना	Twenty Years Plan for the Control of Tuberculosis	70
1888	राष्ट्रीय ग्रंथागार, कलकत्ता में मुगल काल की दुर्लभ पुस्तकें	Rare Books of Mughal period in National Library, Calcutta . .	71
1889	टाइप II के सरकारी आवासों का आबंटन	Allotment of Type II Government Accommodation	7
1890	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की बैठक	Meeting of Vice-Chancellors of Central Universities	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1891	नई दिल्ली नगरपालिका की प्राथमिक पाठशाला में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति	Appointment of P.T. Instructors in Primary Schools of N.D.M.C. .	73
1892	कुरवई फसल की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	Procedure adopted by FCI for procuring Kurnvai Crop . . .	73
1893	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेट फार्म कारपोरेशन	State Farms Corporation to cater to fodder needs of flood affected areas	74
1894	हरित क्रांति से मिलने वाले लाभों का छोटे किसानों पर प्रभाव	Impact of benefit of Green Revolution to Small Farmers . . .	74
1895	उचित दर की नई दुकानें खोलना	Opening of new Fair Price Shops	75
1896	मत्स्यपालन के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की विकास कार्यक्रम की अनुमति	United Nations' Development Programme approval for Development of Fisheries in India . . .	75
1897	स्कूलों को दान देने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया जाना	Forced Donations by Parents to Schools	75
1898	पोलेंड से जहाजों का खरीदा जाना	Purchase of Ships from Poland .	76
1899	राजधानी में टाइप I, II, III के क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Type I, II and III quarters in the Capital .	76
1900	जहाजों की भार वहन क्षमता में परिवर्तन	Changes in Shipping Tonnage	77
1901	किसानों को जानकारी देने का माध्यम	Information media for Farmers .	77
1902	रबी की फसल के खाद्यान्न उत्पादन संबंधी द्रुत कार्यक्रम के लिए निधियों के उपयोग में कमी	Shortfall in Utilisation fo Funds for Crash Food Production Plan of Rabi Crop . .	78
1903	दिल्ली विश्वविद्यालय में कथित बलात्कार कांड	Alleged Rape Case in Delhi University	78
1904	अरलम राजकीय फार्म केरल की प्रगति	Progress of Aralam State Farm, Kerala	78
1905	कन्नानोर खाद्य निगम यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Cannanore Food Corporation	79
1906	गुजरात में अनाज की भारी कमी	Acute shortage of Food in Gujarat .	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1907	चितरंजन केंसर अस्पताल, कलकत्ता को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	Central Financial Aid to the Chittaranjan Cancer Hospital, Calcutta .	80
1908	ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु व्यय किया गया धन	Amount sent for Health Services for a Rural Population	80
1909	भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों की सहायता के लिए समेकित कार्यक्रम	Package Programme for help to Farmers getting Land after Imposition of Ceiling	81
1910	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में अतिरिक्त पद बनाना	Creation of Additional Posts in the Safdarjung Hospital, New Delhi .	82
1911	वनस्पति तेल की कालाबाजारी	Blackmarketing in Vanaspati Oil	82
1912	एक परिवार के लिए निर्धारित भूमि की अधिकतम सीमा	Acreage of Land Ceiling fixed for a family	83
1913	देश में अनाज के भण्डागार	Foodgrain Warehouses in the Country	83
1914	भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल उपलब्ध करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central grant to States for providing House Sites to landless labours .	84
1915	दुर्बल सहकारी समितियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम	Rehabilitation Programme for Weak Cooperatives	85
1916	देश में घटिया स्तर के मैडिकल कालेजों की अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए विधान	Legislation to check the Mushroom growth of sub-standard Medical Colleges in the country . .	85
1917	विश्वविद्यालयों और कालेजों में रोजगार तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Employment and Information Centres in Universities and Colleges . .	86
1918	अखिल भारतीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों को राज्यों द्वारा लागू न करना	Failure of States to implement recommendations made by the All India Health Council	87
1919	गोल मार्केट क्षेत्र नई दिल्ली में टाइप चार बहु-मंजिले फ्लैटों का निर्माण	Construction of Type IV Multistoreyed Flats in Gole Market Area, New Delhi	87
1920	दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड की मरम्मत	Repair of Ring Road in South Delhi	88
1921.	मध्यम/निम्न आय समूह के लिए डी०डी०ए० प्लाट	D.D.A. plots for Low/Middle Income Group . .	89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1922.	सी० आर० दास मेमोरियल अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of C.R. Das Memorial Hospital and the Cancer Institute Calcutta . . .	90
1923.	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को गेहूं और चावल की सप्लाई	Supply of Wheat and Rice to West Bengal, Bihar, Orissa and U.P. .	90
1924.	नेहरू युवक केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Nehru Youth Centres	91
1925.	त्रिपुरा में भूख से हुई मौतें	Starvation Deaths in Tripura . .	91
1926.	ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि का आवंटन करने के लिए बिहार सरकार का अनुरोध	Request from Bihar for Additional allocation under Crash Programme for Rural Employment . . .	92
1927.	ग्रामीण अस्पतालों में सेवा करने के लिये चिकित्सीय स्नातकों को प्रोत्साहन देना	Incentive to Medical Graduates to Serve in Rural Hospitals. . .	92
1928.	गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister from Gujarat Chief Minister . .	93
1929.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापतनम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam . .	93
1930.	फार्मासिस्टों द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी औषधालय	Government Dispensaries Manned by Pharmacists . .	93
1931.	मैडीकल कालेजों में सीटें बढ़ाने के विरूद्ध राज्य सरकारों को चेतावनी	Warning to State Governments against increasing Seats in Medical Colleges	94
1932.	विश्व भारतीय विश्वविद्यालय	Visva Bharati University. .	95
1933.	गोहाटी में अम्बरी के निकट खुदाई कार्य	Excavation near Ambari in Gauhati	95
1934.	दिल्ली में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर शराब का नशा होने का आरोप तथा उसकी जांच	Investigation into Alleged Influence of Liquor in Indian Cricket Players at Delhi	96
1935.	विश्वविद्यालय डिग्री का पुनर्वेधीकरण	Revalidation of University Degree	96
1936.	केवल पार्क, दिल्ली में झूगी झौपड़ियों की मांग	Demand of Jhuggi-Jhonpries in Kewal Park, Delhi . .	97
1937.	सूरजमुखी (मनफलावर) की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार	Extention of Area under Sunflower Cultivation . . .	97

अता० प्र० संख्या। U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1938.	मंत्रालयों से सम्बद्ध सलाहकार समितियों की बैठकें	Meetings of Consultative Committees Attached to Ministries . .	98
1939.	अध्यापक संगठनों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित विधान पर पूर्व परामर्श की मांग	Teachers Association Demand for Prior Consultation regarding Legislation on Central Universities . . .	98
1940.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित आवास योजनाओं की प्रगति	Progress of Housing Schemes Sponsored by Centre .	99
1941.	'दूषण और पर्यावरण' पर विचार गोष्ठी	Seminar on Pollution and Environment . . .	99
1942.	देश में सड़क परिवहन का राष्ट्रीय करण	Nationalisation of Road Transport in the country . .	99
1943.	डाकटरों और चिकित्सा छात्रों को बेहतर सेवाशर्तों के लिये "फैडरेशन आफ एसोसियेशन आफ मैडीकल साँइंसिज" की मांग	Demand of Federation of Association of Medical Sciences for better service conditions for Doctors and Medical Students	100
1944.	केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों पर फिल्म बनाने की अनुमति देना	Permission to Film Centrally protected Monuments . . .	100
1945.	भारत में मधुमेह से पीड़ित 55 लाख व्यक्ति	55 Lakhs of people suffering from Diabetes in India	101
1946.	सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय	Steps to Popularise Co-operative Farming	101
1947.	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी	Shortage of Nurses in Government Hospitals in Delhi	102
1948.	पांचवीं योजना में सामुदायिक विकास खण्डों को पुनः क्रियाशील बनाना	Revitalisation of Community Development Blocs during fifth Plan .	103
1949.	परिवार नियोजन कार्यक्रम में पिछड़े राज्य	States lagging behind in Family Planning Programme	103
1950.	पाकिस्तान के साथ लगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Construction of roads in Rajasthan Border adjoining Pakistan . .	104
1951.	राजस्थान में हरिजन आदिवासियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Harijan Advasis in Rajasthan . . .	104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1952.	कोटद्वार उत्तर प्रदेश में बाल आहार के एक कारखाने की स्थापना	Setting up of Bal Ahar Plant in Kotdwara, U.P.	104
1953.	पिथौरागढ़ में 'लोपू लेक' की ओर एक सड़क बनाने की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की योजना	C.P.W.D. Scheme to construct a road towards 'Lipu Lake' in Pithoragarh .	105
1954.	त्रिपुरा के आदिवासी डाकटरों द्वारा दिल्ली में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए आवेदन-पत्र दिए गए	Tribal Doctors from Tripura who Applied for Post Graduate Studies in Delhi	105
1955.	प्रादेशिक भाषाओं में कालेज स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर खर्च की गई राशि	Amount spent on Publishing College Text Books in Regional Languages	105
1956.	बारानी खेती के विकास में प्रगति	Progress in Dry Farming . . .	106
1957.	अन्तर्देशीय जल परिवहन समन्वय समति की रिपोर्ट	Report of Inland Water Transport Co-ordinating Committee . .	107
1958.	चीनी उद्योगों के विकास के लिए चीनी उद्योगों जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Sugar Industry Enquiry Committee for Development of Sugar Industry	107
1959.	अर्हताहीन चिकित्सकों द्वारा नेत्र शल्य चिकित्सा के अस्थायी कैम्पों का चलाया जाना	Organisation of Temporary Camps for Eye operations by unqualified Doctors	107
1960.	राज्यों से वर्ष 1971–72 में उर्वरकों की मांग और इसकी सप्लाई	Demand of Fertilizers from States durin g1971-72 and its Supply .	108
1961.	विदेशी नस्ल का प्रयोग करके विकसित नस्ली पशुओं की कार्य-क्षमता	Performance of cross-bread Cattle using Foreign Strain	109
1962.	मक्का की खेती	Maize Cultivation . . .	109
1963.	विश्वविद्यालयों में व्यवमाय प्रधान पाठ्य-क्रमों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सुझाव	U.G.C. suggestion for job-oriented courses in Universities . . .	110
1964.	अजमेर राजस्थान में अकाल की स्थिति	Famine conditions in Ajmer, Rajasthan	110
1965.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान द्वारा डाक्टरों को ग्रामों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देना	A.I.I.M.S's Decision to Train Doctor into Community-Oriented Doctors .	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1966.	अन्तराज्यीय सड़क परिवहन के बारे में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का सरल बनाया जाना	Simplification of procedural formalities regarding inter-State Road Transport	111
1967.	राजस्थान में तथ्यों का पता लगाने वाले केन्द्रीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Fact Finding Central Study Team in Rajasthan . . .	112
1968.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था	Statutory rationing in Union Territory of Delhi	112
1969.	कृषि श्रमिकों के लिए आवास योजना	Housing Plan for Agricultural Workers	112
1970.	पश्चिम बगाल में धान का मजबूरी की हालत में बेचा जाना	Distress sale of paddy in West Bengal	113
1971.	उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के भडारों डिपों में ठेके पर काम करने वाले श्रमिक	Contract Labour in Storage Depots of F.C.I. in Uttar Pradesh . . .	113
1972.	खाद्यानों का सुरक्षित भंडार	Buffer stocks of Foodgrains	114
1973.	शिक्षित बेरोजगारी से स्थायित्व को खतरा	Educated unemployment a threat to stability	114
1974.	रक्षा सेवाओं के लिए खाद्यान्न	Foodgrains for Defence Services .	115
1975.	कोचीन शिपयार्ड कम्पनी के लिए निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director for Cochin Shipyard Company . . .	116
1976.	विश्वविद्यालयों को रोजगार-प्रधान पाठ्य क्रमों को आरम्भ करने के लिए सहायता	Aid to Universities for Job-oriented Courses	118
1977.	पुरी के श्री जगन्नाथ मन्दिर की मरम्त कार्य	Repairing Work of Shri Jagannath Temple, Puri	118
1978.	18 वर्ष से अधिक सेवावधि वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान का आवंटन	Allotment of Accommodation to Government Servants who have put in more than 18 years' service	118
1979.	प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रिंटिग और स्टेशनरी के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के बारे में सिफारिश	Organisation of the Chief Controller of Printing and Stationery by Department of Administrative Reforms	119

अता०प्र०संख्या U.S.O.N.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAG
1980.	नई दिल्ली के रीजनल स्टेशनरी डिपों के नैमित्तिक/उपस्थिति नामावली के आधार पर काम कर रहे श्रमिकों के बारे में किया गया अध्ययन	Study Works of Casual/Muster-Roll Labourers of the Regional Stationery Depot, New Delhi . .	120
1981.	गरीबों को चिकित्सा सहायता	Medical aid to Poor . . .	120
1982.	अकाल राहत कर लगाने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Famine Relief Tax	121
1983.	गांवों में औषधालयों के लिए डाक्टरों की आवश्यकता	Doctors required for Dispensaries in Villages	121
1984.	भिखारियों पर व्यय	Expenditure on Beggers . . .	121
1985.	हरियाणा में नलकूपों को बिजली देने के लिये डीज़ल जनरेटरों के आयात में विलम्ब	Delay in import of Diesel Generator to Energize Tubewells in Haryana	122
1986.	दिल्ली प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय अनुशासन का योजना के प्रशिक्षकों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of NDS Instructors by Delhi Administration . .	122
1987.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय में फोटो यूनिट	Photo Unit in Nehru Memorial Museum and Library . .	123
1988.	पंजाब में गेहूं की वसूली में कमी	Shortfall in Wheat Procurement in Punjab	124
1989.	गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की कसौटी	Criteria for linking Villages with Pacca Road . . .	124
1990.	उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाएं	Drinking water facilities in Rural Areas of Jhansi Division in Uttar Pradesh .	125
1991.	झांसी स्थित राजा गंगाधर राव की छतरी को संरक्षित स्मारक बनानें का प्रस्ताव	Proposal to take over Canopy of Raja Gangadhar Rao at Jhansi as protected Monument . .	125
1992.	रक्षा मंत्रालय द्वारा कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने क्वार्टरों का खरीदा जाना	Purchase of Quarters built under Industrial Housing Scheme in Kanpur by Defence Ministry . . .	125
1993.	कानपुर में मज़दूर बस्तियों में कब्ज़े को नियमित करना	Regularisation of occupancy in Labour Colonies at Kanpur . . .	126
1994.	स्वर्गीय उस्ताद दबीर अली खान की पत्नी का वित्तीय सहायता	Financial help to Wife of Late Ustad Dabir Ali Khan	126
1995.	राष्ट्रीय फिटनेस कोर के प्रशिक्षकों के भविष्य के बारे में निर्णय	Decision regarding future of Instructors of N.F.C.	126

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
1996. उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Take-over of Sugar Factories in U.P. and Bihar . .	127
1997. प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने के लिये सहायता प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं	Voluntary Associations receiving aid for spreading Adult Education	128
1998. त्रिपुरा में जूट, चावल, तिल तथा कपास की खेती को क्षेत्र की कमी	Reduction in Area of Jute, Rice, Sesamum and Cotton cultivation in Tripura	128
अल्प सूचना प्रश्न	*Short-Notice Question*	
सूखा राहत कार्यों के लिये मैसूर को सहायता	Assistance to Mysore for drought relief measures	128
करगली (बिहार) में कोयला खान कर्मगारों पर गोली चलाए जाने के समाचार	Reported Firing on Colliery Workers at Kargali (Bihar) . .	129
के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	129
मोदी फ्लोर मिल्स के श्री एस० के० मोदी तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मामला वापिस लिये जाने का समाचार	Reported Withdrawal of case against Shri S. K. Modi and others of Modi Floor Mills . .	130
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	131
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shanker Dixit	132
स्थगन प्रस्ताव—प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिलना	Motion for Adjournment — Leave refused . . .	134
उड़ीसा विधान सभा को असंवैधानिक ढंग से भंग किये जाने का समाचार	Alleged unconstitutional dissolution of Orissa Legislative Assembly .	134
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	136
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	140
77वां प्रतिवेदन	Seventy-Seventh Report . . .	140
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1972-73 पेश की गईं	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1972-73 — Presented .	140
श्री ललित नारायण मिश्र	Shri L. N. Mishra	140
खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Increase in Prices of Foodstuffs and other Essential commodities	140

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	141
डा० कैलाश	Dr. Kailas .	143
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	144
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen .	147
श्री के० बालदण्डायुतम	Shri K. Baladhanda Jutham	149
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	151
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	151
श्री विभूति मिश्र	Shri Bhibuti Mishra . . .	152
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	153
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	153
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	154
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	155

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 5 मार्च, 1973/14 फाल्गुन, 1894 (शक)
Monday, March 5, 1973/Phalguna 14, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the chair

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
Member Sworn

श्री सी० एच० मुहम्मद कोया (मंजेरी)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम

*181. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में शिक्षा के लिए नियत राशि में 950 करोड़ रुपये की कटौती के बावजूद वर्ष 1975-76 तक आयु सीमा 6–11 वर्ष तक और वर्ष 1980-81 तक आयु सीमा 11—14 तक के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अपना कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने योजना में इस क्षेत्र के लिए कोई खाका तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस खाके की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार देशव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को अत्याधिक महत्व देती है। तदनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान 60,000 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की व्यवस्था करते हुए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान की है। वर्ष 1973-74 में 30,000 अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने की आशा है।

चौथी योजना के अन्त तक 6—11 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों का संभावित दाखिला 88 प्रतिशत तक होने की आशा है । प्राथमिक शिक्षा को पांचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 90,000 अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था सहित तथा पांचवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा को प्रदान की गयी उच्च प्राथमिकता से पांचवीं योजना के ही प्रथम आधे समय में 6—11 वर्ष की आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को शामिल करने की हर संभव कोशिश करने की आशा है।

जहां तक 11—14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना के अन्त तक इस आयु वर्ग के 75 प्रतिशत तक के बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

आयोजना आयोग ने, इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए एक योजना तैयार करने के लिए राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर एक कार्य-कारी मंडल का गठन किया है और इस सैक्टर के लिए 1,030 करोड़ रुपये की राशि की परिकल्पना की गई है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने विवरण में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न था :

"क्या सरकार ने पांचवीं योजना में शिक्षा के लिये नियत राशि में 950 करोड़ रुपये की कटौती के बावजूद 1975-76 तक आयु-सीमा 6-11 वर्ष तक और वर्ष 1980-81 तक आयु-सीमा 11—14 तक के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अपना कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है?"

इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग 950 करोड़ रुपये की कटौती के बावजूद भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री डी० पी० यादव : हमारे मंत्रालय ने एक विवरण-पत्र तैयार किया था जिससे हमने अनुमान लगाया था तथा हमारी इच्छा थी कि भारत में सभी प्रकार की शिक्षा पर पहले ही खर्च की जा चुकी राशि के अतिरिक्त हमें 3,200 करोड़ रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी इच्छा अपने वचनों को पूरा करने की है। परन्तु और भी बहुत-सी चीजें हैं और अन्य विभागों तथा वरीयताओं को देखते हुए योजना आयोग ही सारा प्रारूप तैयार करता है ।

एक माननीय सदस्य : देश के व्यापक विकास को दृष्टि में रखते हुए।

श्री डी० पी० यादव : जी, हां । देश के समूचे विकास को ध्यान में रखते हुए तथापि मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस 2,250 करोड़ रुपये की राशि में से हमारा विचार लगभग 1,030 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिए नियत करने का है तथा अपने सीमित साधनों में हम अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ।

श्री के० लकप्पा : संविधान के निदेशात्मक सिद्धांतों में यह व्यवस्था होने के बावजूद कि संविधान को अपनाने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 11 वर्ष तथा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जायेगी, उक्त लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है यद्यपि तब से कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है क्योंकि.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वह अपना प्रश्न संक्षेप में तथा शीघ्रता से पूछें । वह दलीलों तथा कारणों में न पड़ें।

श्री के० लकप्पा : मैं किसी दलील अथवा मतभेद में नहीं पड़ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप क्या कर रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा : गत पन्द्रह वर्षों से आधारभूत प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है क्योंकि धनिक वर्ग के लोग तो अपने छोटी आयु के बच्चों को भी उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने में समर्थ हैं। यह व्यवस्था केवल थोड़े से लोगों के हाथ में रही है जोकि देश में ऐसे संस्थान चला रहे हैं ; और इसलिए इस संबंध में संविधान में की गई व्यवस्था को पूरा नहीं किया गया है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या देश के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के, तथा संविधान में वर्णित आयु-सीमा के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रणाली में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री डी० पी० यादव : हम मान लेते हैं कि हम अपना लक्ष्य पूरा करने में असफल रहे हैं। हम यह बात स्वीकार करते हैं परन्तु अब हम इसका रोना नहीं रोयेंगे। शिक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार इस तथ्य से अवगत हैं, और वस्तुतः हमारे चुनाव घोषणापत्र में भी हमने कहा है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस लक्ष्य को आयु–सीमा 6 से 11 वर्ष तक के लिए शत–प्रतिशत तथा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 85 से 88 प्रतिशत हम पूरा कर लेंगे ।

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। देश में बेसिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में भेदभाव बरता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब वह बैठ जायें। उन्होंने एक अत्यन्त लम्बा तथा दलील भरा प्रश्न पूछा और स्वयं मंत्री महोदय भी इसमें खो गये । यदि बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा जाता तो वह उसका उत्तर दे देते।

श्री के० लकप्पा : वह मेरा प्रश्न समझ सकते हैं, परन्तु इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब वह अपना प्रश्न किसी अगले अवसर पर पूछें ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने कहा है कि 6–11 वर्ष तथा 11-14 वर्ष तक आयु–सीमा वाले बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने में सरकार असफल रही है। देश की अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा कृषि-श्रमिकों एवं बटाई पर खेती करने वाले वर्ग आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना में इन वर्गों के लोगों के बच्चों को अनिवार्य शक्षा प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्री डी० पी० यादव : आज तक हमने देश में 1½ मील के अर्द्धव्यास में प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करके 95 प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया है . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 95 प्रतिशत क्षेत्र हो सकता है। जनसंख्या नहीं ।

श्री डी० पी० यादव : 95 प्रतिशत जनसंख्या के लिए स्कूल उपलब्ध कराये हैं। अनुसूचित जातियों के लिये हम मुफ्त किताबें, मध्याह्न भोजन तथा वस्त्र आदि से सहायता दे रहे हैं । आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को अधिकाधिक लाभ देने के लिए हम अग्रिम योजनायें तैयार कर रहे हैं ।

Shri B. P. Maurya : The Constitution provides for compulsory and free education to children upto the age of 10 years within ten years. The hon. Minister has just now admitted that the government has failed to achieve that target. I want to know how much more time would be required to achieve this target ? If you cannot cover the entire population, how long would you take to cover the children upto 14 years belonging to backward class including Scheduled Castes and Tribes.

Shri D.P. Yadav : I share the concern expressed by the hon. Member and want to assure him that we would certainly be able to cover 75 to 80 per cent of the children in the age group of 11 to 14 years and cent per cent of the children upto 11 years.

डा० रानेन सेन : विवरण में बताया गया है कि चौथी योजना के अंत तक 6–11 वर्ष तक के ग्रुप में दाखिल बच्चों की संख्या 88 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि 95 प्रतिशत गांवों में शिक्षा की व्यवस्था है, फिर यह कैसे हुआ कि 6–11 वर्ष तक के केवल 88 प्रतिशत बच्चे ही दाखिल हुए हैं ? दूसरे इन 88 प्रतिशत बच्चों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने बच्चे हैं ?

श्री डी० पी० यादव : स्कूल तो हो सकता है परन्तु बच्चों को स्कूल से हटा भी तो लेते हैं। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। और हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : विवरण में कहा गया है कि वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में 60,000 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दी गई है। इस सहायता का कितने राज्यों ने लाभ उठाया है तथा मंत्रालय ने इस संबंध में क्या अनुसरणात्मक कार्यवाही की है।

श्री डी० पी० यादव : मेरे पास एक सम्पूर्ण सूची है तथा माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं। मैं विशिष्ट रूप से उत्तर भी दे सकता हूं। परन्तु इस संबंध में यदि वह मुझसे विचार-विमर्श कर लें तो उत्तम होगा। इस सूची में उड़ीसा का भी नाम है। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि हाल ही में प्रायः सभी राज्यों ने हमारी इस योजना को क्रियान्वित किया है जिसमें हमने वर्ष 1971-72 में 30,000 तथा वर्ष 1972-73 में 30,000 अध्यापकों की व्यवस्था की है। हमने उनसे यह भी कहा है कि और 30,000 अध्यापकों के लिए भी वे तैयार रहें। हम अन्य योजनाओं में भी इन 90,000 अध्यापकों का सिलसिला जारी रखेंगे।

Shri Jagannath Mishra : May I know the name of the State where primary education is compulsory and upto what age limit and also how much assistance is being given by the government for that purpose ? In this context, I would also like to know whether the funds allocated to Govt. of Bihar for schooling purposes has been properiy utilised ? May I also know whether the recruitment of 4800 teachers, for which assistance was given and instructions were also issued to the effect that the appointments should be made till April, 1972, could be completed only in January, 1973 ? . If so, why and what is the amount being given to Bihar Government in 1973-74 by the Government of India ?

Shri D. P. Yadav : As regards the first part of the question, all the States excluding Manipur, Nagaland and Tripura, have passed Acts for compulsory primary education.

Shri Jagannath Mishra : Have they been implemented also ?

Mr. Speaker : It was a general question and you made it specific for Bihar. But I have no objection if the hon. Minister wants to reply.

Shri. D. P. Yadav : The hon. Member would agree that we can only persue and request the State Government; we cannot pressurise them.

The Government of Bihar had informed us in January that they had recruited the teachers. In case there is something special, it would be better if he discusses it with me separately.

Shri Hukam Chand Kuchwai : The hon. Minister has just now stated that at various inputs like meals, clothes etc. are given to the Adivasis. But such benefits are available to only 4 to 5 per cent students. Then the Government have provided for only Rs. 30 per student within which they propose to give meals & clothes. How can this be managed in these times of high prices ? May I know whether the Government propose to enhance that amount ? Secondly is there any scheme to provide for free education upto the age of 14 since many people cannot afford spending money on the education of their children.

Shri D. P. Yadav : I would like to assure the hon. Member that we are and we would be active in providing all the necessary educational inputs to the children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Second part of my question has not been replied to. I had asked whether there is any scheme to provide free education to the children upto 14 years and also whether the amount of Rs. 30 would be enhanced . . . (*Interruptions*)

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : Educaion in all the Government schools is free for children upto the age of 14. Unfortunately this facility has not been availed of by all; but certainly no fee is charged from the children upto the age of 14 . . . (*interruptions*)

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, My question has not been replied to. I had asked whether the Government propose to enhance the amount of Rs. 30 which is quite insufficient ?

Mr. Speaker : How can I get you the answer ? I asked him twice and he has said whatever he wanted to say. You may repeat it and see if you can get it out . . . (*Interruptions*)

Shri Hukam Chand Kachwai : It should be specifically replied to in 'yes' or, 'no', whether this expenditure of Rs. 30 per student would be enhanced ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : छात्रवृत्ति का प्रश्न स्कूल में फीस आदि के प्रश्न से सर्वथा भिन्न है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति के बारे में मेरे विचार से गृह मंत्री उत्तर दे सकेंगे।

Mr. Speaker : I would appeal that everybody should be polite and courteous in the House. Questions are always put but please do not behave like that . . . (*Interruptions*) Just see, how do they react to my advice.

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं माननीय सदस्य द्वारा कहे गये शब्द "बेशर्म" पर विरोध प्रकट करता हूं। अब, वास्तविक समस्या स्कूल छोड़ देने की है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार तथा मंत्रालय ने इस समस्या पर गहराई से विचार किया है ? यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों के क्या परिणाम निकले हैं। उन सिफारिशों पर कहां तक ध्यान दिया गया है ?

श्री डी० पी० यादव : इस पर काफी समय तक विचार किया गया था। शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की गत बैठक में भी यह प्रश्न आया था। मध्याह्न भोजन, वस्त्र, निःशुल्क किताबों आदि के दिये जाने से स्कूल छुड़ाने के मामले कम से कम होते जा रहे हैं।

Rise in Price of Fertiliser

***183. Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there are reports of rise in the prices of fertilisers;

(b) if so, the percentage increase in prices of fertilisers and the reasons therefor; and

(c) whether State Governments have sent letters requesting reduction in the prices ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरणपत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उर्वरकों के मूल्य बढ़ने के समाचारों से, जिनमें ऐसे उर्वरक भी शामिल हैं जिनके मूल्य नियंत्रित हैं, संसद, समाचार पत्रों और अन्य क्षेत्रों में भी चिन्ता प्रकट की गई है। राज्य सरकारें, सहकारी समितियों जैसी सार्वजनिक ऐजन्सियों के ज़रिए यथा-संभव अधिकतम मात्रा में उर्वरकों का वितरण करके इनके मूल्यों पर नियंत्रण रख रही हैं। आयातित उर्वरक जोकि कुल सप्लाई का लगभग आधा भाग होते हैं, इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाते हैं। राज्य सरकारें सार्वजनिक ऐजन्सियों के ज़रिए उनका वितरण करती हैं। देशी निर्माता भी अपने उत्पादन का एक भाग सार्वजनिक ऐजन्सियों के जरिए वितरित करते हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वे उर्वरकों के ऐसे भाग में वृद्धि करें।

राज्य सरकारों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत तीन ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण उर्वरकों की, जिनके मूल्य नियंत्रित हैं और जिनकी सप्लाई कम है, उन्हें काले बाजार में बचने वालों के विरुद्ध जांच-पड़ताल करने, उनका स्टाक जब्त करने और मुकदमे चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों को पत्र भेजकर उनसे कहा है कि उर्वरकों की काले बाजार में बिक्री रोकने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरती जाये और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जायें।

उपलब्ध रिकार्ड से यह पता चलता है कि राज्य सरकारों से ऐसा कोई पत्र नहीं आया है, जिसमें उन्होंने मूल्य कम करने के लिए लिखा हो। तथापि, उर्वरकों की काले बाजार में बिक्री रोकने के लिए उन्होंने जो कार्यवाही की है, उसकी सूचना वे समय समय पर देते रहे हैं।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know the names of the States and the percentage of reduction in prices of fertilizers they have suggested to Centre ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मूल्य कम करने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं कि कुछ किस्म के उर्वरकों की कमी के कारण उनके बहुत अधिक मूल्य लिये जा रहे हैं।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know the demands of fertilizers in various States and the reaction of the Government to the increasing demand ? What does Government propose to meet the demand of Fertilizers ? What has been the statewise consumption of fertilizers during the last two years and what is the percentage of price increase, state-wise, during this period ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उर्वरकों की सप्लाई में कमी रही है। हम राज्य सरकारों की पूरी मांगें पूरा नहीं कर सकते । हमारे अनुमानुसार गत वर्ष एन० पी० के० की कुल आवश्यकता 32 लाख टन थी इसके विरुद्ध केवल 26 लाख टन ही उपलब्ध हो पाया है। राज्यवार ब्योरा मेरे पास नहीं है। यदि उचित समय पर नोटिस दिया जाये तो यह ब्योरा दिया जा सकता है।

श्री भागवत झा आजाद: क्या कृषि मंत्रालय ने अब तक रेल भाड़े में हुई हाल ही की वृद्धि का अनुमान लगा लिया है और यदि हां, तो इसका विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मंत्रालय के द्रुत कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भाड़े की वृद्धि के उर्वरकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अभी परीक्षण किया जा रहा है। जहां तक संभव होगा हमारा यही प्रयास होगा कि विक्रय मूल्य न बढ़े।

Shri Ram Chandra Vikal : It is a fact that the prices of fertilizers have increased. May I know whether the Government is considering to reduce the prices in order to enable farmers to increase the agricultural production of the Country ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश में बनने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण उर्वरकों जैसे यूरिया अमोनिया सल्फेट, कैलशियम अमोनिया नाइट्रेट आदि के मूल्य नियंत्रित हैं। ये सभी उर्वरक कानूनी नियंत्रण की सीमा में आते हैं । अतः इनके मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता । आयातित उर्वरक केन्द्रीय पूल में आते हैं और भारत सरकार उन्हें राज्य सरकारों को न लाभ न हानि के आधार पर आवंटित करती है।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों के लिए दी जाने वाली राजसहायता बन्द नहीं कर दी है और क्या राज्य सरकारों ने इसका विरोध नहीं किया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार आदिवासी क्षेत्रों तथा कुछ विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई राज सहायता देने के पक्ष में नहीं है। उर्वरकों के लिये राज सहायता देते रहने के पक्ष में भी नहीं है।

सुपर फास्फेट के निर्माण के लिए राक फास्फेट का आयात

185. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर फास्फेट खाद के निर्माण के लिए मोरक्को और फ्लोरिडा से रॉक फास्फेट का आयात करने के क्या कारण हैं जब कि तमिलनाडु में फास्फेट का बड़ा भण्डार उपलब्ध है ; और

(ख) क्या तमिलनाडु में उपलब्ध रॉक फास्फेट से सुपर फास्फेट का निर्माण नहीं किया जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस समय रॉक फास्फेट की वार्षिक मांग लगभग 10 लाख मीटरी टन के लगभग है। इस मांग का कुछ भाग विदेशों से आयात करके पूरा किया जाता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में भारतीय

भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किये गये अन्वेषणों से पता चला है कि वहां फास्फेटिक नाड्यूल्स का लगभग 1,27,000 मीटरी टन रिजर्व मौजूद है, जो 27.52 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका उत्पादन 0.32 से 2.94 किलोग्राम प्रति 2.83 घन मीटर (100 घन फुट) है। इस रिजर्व को न तो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है और न सुपर फास्फेट के निर्माण में इसका उपयोग करना फिलहाल मितव्ययी ही है।

श्री समर मुखर्जी: विवरण से पता चलता है कि कुछ मांग आयात द्वारा पूरी की जाती है। कितने फास्फेट का आयात किया जा रहा है तथा किस मूल्य पर आयात से पूरी की जा रही कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों में भी इसका पता लगाने हेतु खोज कार्य किये गये हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: इस समय रॉक फास्फेट की आवश्यकता 10 लाख मीटरी टन है। देश में 2 लाख मीटरी टन उत्पादन होता है। अतः हमें लगभग 8 लाख टन आयात करना पड़ता है। इस समय देश में उदयपुर क्षेत्र की ओर इसका उत्पादन होता है। मसूरी में रॉक फास्फेट मिलने की कुछ संभावना है। तमिलनाडु का भंडार न तो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है न ही सुपर फास्फेट बनाने के लिए मितव्ययी।

श्री समर मुखर्जी: क्या अन्य किसी राज्य में इसका पता चला है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैंने बताया है कि मसूरी में इसके मिलने की संभावना है।

श्री समर मुखर्जी: आयात किस मूल्य पर किया जाता है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: इस प्रश्न का नोटिस दीजिये।

Construction of Sansadiya Soudha, New Delhi

***187. Dr. Laxmi Narayan Pandya :**

Shri R. P. Ulaganambi :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the time by which the construction work on the Sansadiya Soudha, New Delhi was scheduled to be completed;

(b) the reasons for non-completion of the construction work according to the schedule; and

(c) the time by which the said building is likely to be completed ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) मूलतः भवन को अगस्त, 1971 तक पूरा किया जाना था।

(ख) भवन निम्नलिखित कारणों से निश्चित समयानुसार पूरा नहीं किया जा सका :—

(i) स्थल पर विद्यमान बैरकों को खाली करवाने तथा उन्हें गिराने में देरी।

(ii) आरम्भ में इस्पात की अनुपलब्धता।

(iii) तत्पश्चात् डिजाइन और विशिष्टियों में परिवर्तन किए गए क्योंकि बैंक्विट हाल आदि के स्थान को पुनः निर्धारित करने का निर्णय किया गया था।

(ग) यदि किसी बड़े परिवर्तन की मांग न की गई तो दिसम्बर 1973 तक भवन के पूरा हो जाने की संभावना है।

Dr. Laxmi Narayan Pandya : The building was originally scheduled to be completed by August 1971. In the reply it has been stated that the delay occurred due to non-availability of steel and certain subsequent changes. May I know the reasons of non-availability of steel ? Were they not aware of the quantity of steel required for the purpose? Had they thought about the sources of supply ? Despite the fact that they have taken four years time to get the design cleared, its completion has been delayed for further two years for want of steel supply. May I know as to what amount of additional expenditure would be incurred as a result of increase in prices of the building materials during this two years time for which the schedule has been extended ?

Shri Om Mehta : We have been trying to get steel since its very initial stage when the plan was approved. We had written to the Ministry of Steel several times. In the end we approved the Lok Sabha Secretariat and through the speaker, intervention, only in August 1971, we were in a position to get steel. There will be some increase due to increase in prices but not to a major extent.

Dr. Laxmi Narayan Pandya : I have asked about the increase in expenditure as a result of increase in prices of the building materials. The Hon. Minister would be in possession of this information. Thirdly, even after getting steel in 1971 he is not in a position to tell the specification by which the construction would be completed. The Hon. Minister has said that it will be completed provided no major changes are made. May I know whether the construction work will be completed according to the schedule ?

Shri Om Mehta : I am sure, it will be completed by December provided no architectural changes are required. If changes are suggested then it is difficult.

Mr. Speaker : I may assure you that there is no further change in the Plan but you stick to the schedule.

Shri Om Mehta : We are sticking to that. We will try to complete it by December 1973 provided there is no change in the plan.

Shri Hukam Chand Kachwai : He has not said anything about the additional expenditure likely to be incurred.

Shri Om Mehta : We can not make any assessment of it but I think it will be near Rs. 2 crores.

श्री वयालार रवि : क्या इस भवन में ग्रंथालय बनाने का भी प्रस्ताव है और यदि हां तो, उसके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री ओम मेहता : ग्रंथालय के लिये भवन बनाने का प्रस्ताव है यद्यपि इसका निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इस पर लगभग 1.25 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

पोषक आहार सप्लाई करने की योजना को लागू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को सहायता

*188. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या कृषि मंत्री पोषक आहार सप्लाई करने की योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता देने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4698 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार का केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और मंत्री महोदय के नाम एक जैसे हैं।

श्री अण्णासाहिब गोटाखिंडे : किन्तु मंत्री महोदय अपेक्षित उत्तर देकर मुझे अनुग्रहीत नहीं कर रहे हैं। उत्तर और सरकार के निर्णय से मैं असन्तुष्ट हूं। अकाल की अवधि में महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक और उसके परिवार के दैनिक भोजन को और पौष्टिक बनाने, बीमारी का सामना करने और अधिक उत्पादन करने हेतु उसे प्रोत्साहन देने के लिए पौष्टिक आहार सप्लाई करना आरम्भ किया था। यह योजना बहुत लोकप्रिय थी और श्रमिकों के शारीरिक स्वास्थ्य में इससे सुधार हुआ था। अब श्रमिक उस विशेष आहार की अधिकाधिक मांग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विशेष आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई और विटेमिन होते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को इस मांग को स्वीकार करने में क्या कठिनाई आ रही है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : किसी भी योजना की मंजूरी देने से पूर्व हमें उस योजना की अखिल भारतीय मन्तव्यों के दृष्टिकोण से जांच करनी होती है। हम केवल महाराष्ट्र के लिए ही लागू होने वाली कोई योजना नहीं बना सकते किन्तु ऐसी योजना बनाई जाती है जो सारे भारत में लागू हो सके। इस योजना के वित्तीय मंतव्य इतने कठिन हैं कि भारत सरकार इन पर विचार नहीं कर सकी है।

Shri T. D. Kamble : The food which is given, is called tukri. I want to know from the hon. Minister as to whether this food has been got examined by any Doctor and whether it has been ascertained that the food value in this Tukri is good for those people.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : निसंदेह महाराष्ट्र सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह ली है। मेरे पास इन अवयवों का पूरा ब्योरा है। मेरी सूचना के अनुसार यह वास्तव में अधिक प्रोटीन युक्त आहार नहीं है किन्तु यह पर्याप्त मात्रा में कलोरीज, प्रोटीन और विटामिनों से युक्त उनके दैनिक रांशन में पौष्टिकता का पूरक है।

राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए धनराशि का नियतन

*189. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार उड़ीसा के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत सहायता से एक तपेदिक केन्द्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में कुल कितना धन खर्च किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा के तेरह जिलों में से बारह जिलों में जिला क्षय रोग केन्द खोले जा चुके हैं। ऐसे छः केन्द्र पहले खोले जा चुके थे और 6 शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चौथी योजना में खोले गए हैं। शेष एक जिले में क्षय रोग केन्द्र 1973-74 में खोलने का प्रस्ताव था किन्तु इस वर्ष के संसाधनों की स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव को फिलहाल के लिए आस्थागित किया जा रहा है।

चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को परिचालन खर्च के लिए नकद सहायता के रूप में 4.27 लाख रुपये की रकम दी है। 1972-73 में इस उद्देश्य के लिए 4.05 लाख रुपये नियत किये गये हैं। परिचालन खर्च के अतिरिक्त, भारत सरकार ने इस राज्य को क्षय रोग निरोधी औषधियों और उपस्करों के रूप में भी सहायता दी। इस राज्य सरकार को प्रथम तीन वर्षों में दी गई क्षय रोग निरोधी औषधियों और उपस्करों की लागत 3.25 लाख रुपये थीं। 1972-73 के लिए क्षय रोग निरोधी औषधियों और उपस्कर देने के लिए 2.85 लाख रुपये नियत हैं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : उड़ीसा में और कौन से जिले को छोड़ दिया गया है? राज्यों में प्रत्येक जिले में अब खोले गए एक क्षय रोग केन्द्र को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है?

श्री ए० के० किस्कु : 13 जिलों में से 12 जिलों में एक एक केन्द्र पहले ही खोला जा चुका है और कोरापुट का एक ही पिछड़ा हुआ जिला रह गया है। एक क्षय रोग केन्द्र पर लगभग 3 लाख रुपये खर्च होते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम इस मामले पर बहुत विचार कर रहे हैं और यदि कुछ बचत हो सकी तो हम इस जिले में भी शीघ्र ही एक क्षय रोग केन्द्र खोल देंगे।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मुझे मंत्री महोदय के आश्वासन से बहुत प्रसन्नता है कि कोरापुट के पिछड़े जिले में भी एक केन्द्र खोल दिया जायेगा। राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है। और उसमें से उड़ीसा के लिए कितना नियत किया गया है? उन्होंने बताया है कि एक केन्द्र के लिए 3 लाख रुपये की आवश्यकता होती है। उड़ीसा को 3-4 लाख रुपये दिए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य में क्षय रोग केन्द्र कैसे स्थापित किए जायेंगे।

श्री ए० के० किस्कु : इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए :

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : इस बात की दृष्टि में रखते हुए कि उड़ीसा में क्षय रोग बड़े पमाने पर बढ़ रहा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को राज्य में दो सेनिटोरियमों की बिस्तर संख्या में वृद्धि करने और एक नया सेनिटोरियम खोलने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री ए० के० किस्कु : मैं यही कह सकता हूं कि मैं सूचना प्राप्त कर माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में "यदि" की शर्त लगाई है। यदि कुछ संसाधन उपलब्ध हुए तो शेष जिले में एक सेनिटोरियम की व्यवस्था की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह "यदि" और "किन्तु-परन्तु" की शर्त न लगाकर उड़ीसा के अत्यन्त पिछड़े जिले में बिना किसी शर्त के एक सेनिटोरियम की व्यवस्था करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री ए० के० किस्कु : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि संसाधनों की कठोर स्थिति के कारण हम ऐसा नहीं कर सके हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरापुट एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ आदिवासी जिला है हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उड़ीसा सरकार की सलाह से यह कार्य हो जाए।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा में क्षय रोग के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उड़ीसा के सब उप-खंडों में क्षय रोग के सेनिटोरियमों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री ए० के० किस्कु : क्षय रोग के उपचार के आधुनिक तरीके से गृह-उपचर्या को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में कुछ सेनेटोरियम रोगियों से खाली हो रहे हैं। अतः गृह-उपचर्या के सम्बन्ध में यदि कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको पूरा किया जा सकता है। मैं तो यही कहता हूं कि सरकार उड़ीसा सहित देश भर में क्षय रोग के रोगियों के प्रति अपने दायित्वों को अच्छी तरह समझती है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार में वित्तीय संकट

*191 **श्री हरी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि धन की कमी के कारण नई दिल्ली स्थित भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस राष्ट्रीय संस्था के महत्व से सचेत है और शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यकलापों में संलग्न अन्य संस्थाओं की भी आवश्यकताओं तथा संसाधनों की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव धन की व्यवस्था करेगी।

1969-70 से 1972-73 के 4 वर्षों के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को राजस्व वजट में योजनेत्तर और योजना खर्चे के लिए 92.20 लाख रुपये की राशि का विनिधान किया गया था । इस विनिधान के विरुद्ध 88.80 लाख रुपये की राशि खर्च होने की संभावना है।

Shri Hari Singh : Sir, National Archive is preserver of our ancient history. Because of lack of modern facilities like cooling machines etc which is necessary for preserving and maintaining the ancient and rare documents and records, as are available in European countries in this age. But in our National Archives, various rare documents are being eaten up by insects and white ants. There is acute shortage of specialised personnel in our National Archives for doing various processes for this purpose. Therefore the treasure of our ancient history is being destroyed. I want to know from the Hon. Minister whether Government is going to maintain National Archives and to preserve our ancient history safely ?

Shri D. P. Yadav : I am not agreeable with the expression of the hon. member that our historical records are being eaten up by insects and white ants. I would like to assure him that there is no reason to arrive to this conclusion that records are being destroyed in National Archives. There was some shortage of funds in the beginning. We have taken some steps on this matter as a result of the review made by a committee. We shall not allow any shortage of funds for National Archives. We have imported some machines. We have provided Micro films and Photo Copying system. We have either the check list or transfer list of 100 per cent of records.

सम्पूर्ण राजस्थान को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करनें का प्रस्ताव

*192. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण राजस्थान राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। राजस्थान सरकार ने राज्य के 24 जिलों में 18,498 गांवों में कमी की स्थिति घोषित की है।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has admitted that out of 26 districts of Rajasthan 24 districts are affected by famine. I want to know from the hon. Minister that whether the report of the 2nd team on central assistance, which was sent there, been received by Government, and if so will he be pleased to give details thereof ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक अकाल की स्थिति का सम्बन्ध है, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही, झुंझुनू और उदयपुर अकाल से भयंकर रूप से प्रभावित हैं ।

जहां तक केन्द्रीय दल की रिपोर्ट का सम्बन्ध है वह अभी तक विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया । (अन्तर्वाधाएँ) । तीसरे केन्द्रीय दल की रिपोर्ट शीघ्र आ जायेगी। जैसे ही यह रिपोर्ट प्राप्त होगी हम माननीय सदस्य को इसका ब्योरा बता देंगे।

Shri Nawal Kishore Sharma : It appears from the reply of the hon. Minister that two teams were sent to Rajasthan, and the reports of these teams are under consideration and no final conclusions have been arrived at. First team had recommended 4.5 crores of rupees for Rajasthan. This amount have been spent in Rajasthan. The financial position of Rajasthan is not so satisfactory as may be spent on famine relief. According to my information Rajasthan will require 8 crores of rupees upto March. Will the hon. Minister give assurance to sanction immediately a sum of 8 crores of rupees for famine relief in Rajasthan ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार को अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं के प्रति बहुत सहानुभूति है। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विशिष्ट धनराशि के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार संभवत: अनेक शीर्षों के अन्तर्गत धन खर्च कर सकती है। उदाहरण के लिए सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत धन उपलब्ध है। द्रुत ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत धन उपलब्ध है तथा अन्य अनेकों योजनाओं के अन्तर्गत भी कुछ राशि उपलब्ध हो सकती है। सूखा से राहत के उपायों के लिए राजस्थान सरकार की हमारी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। राजस्थान सरकार को सब योग्य मदों की पूरी जानकारी है और उन्हें राहत कार्यों के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार की सहायता करने के लिए हर संभव उपाय करेगी।

Shri Shiv Nath Singh : Few districts of Rajasthan have been badly afflected by famine. As far the question of material component and labour component is concerned Rajasthan's situation is entirely different from the rest of the country. The Rajasthan Government

cannot spend the cash amount for which provission has been made due to some technical difficulty. Will the central government allow the people of Rajasthan to die of hunger. Even though the hon. Minister has confessed that the condition of some districts is really grave still the central government would not provide any money. The report of the team has not been submitted. I wish to know what steps are being taken by the Government for rendering immediate help to the worst affected areas.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार केन्द्रीय टीम की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करती है। सदस्य द्वारा मैटिरियल कोम्पोनेंट और लेबर कोम्पोनेंट के बारे में उठाए गए प्रश्न के बाद में राज्य सरकार ने केन्द्रीय टीम से बहस की थी। जब केन्द्रीय टीम अपनी रिपोर्ट दे देंगी तो इन बातों को शामिल कर लिया जाएगा।

Dr. Laxmi Narayan Pandey : Relief works have come to a stop in Udaipur, Banswara and Chittore districts of Rajasthan due to non-availability of funds from the Central Government. The hon. Minister has said that the report of the central team is awaited and the funds will be allocated on receipt thereof but in absence of money relief works are not being carried on and people are on the verge of starvation. I wish to know what immediate action does the government propose to take in this regard.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राजस्थान सरकार केन्द्रीय टीम द्वारा भेजे गए पहले निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं थी अतः एक दूसरी टीम को हाल ही में, वहां भेजा गया है। और वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर रही है जैसे ही प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा भारत सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी। हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं है।

Shri M. C. Daga : The Central Government has decided that famine relief work will comprise of 15 per cent material component and 85 per cent labour component. Is there any possibility of carrying out any work of lasting nature on this basis.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : केन्द्रीय टीम की सिफारिशों में इन बातों को शामिल किया जाएगा।

Shri Basheshwar Nath Bhargava : Is it a fact that Rajasthan Government has been unable to provide any relief to the famine stricken people due to lack of financial resources although the situation is very grave. Does the Government propose to render any interim relief to the state government to enable it to provide employment to its people and if so, will the Government be pleased to make immediate provisions theerfor.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : धनराशि के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को यदि कुछ कठिनाई है तो वह इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास ले जा सकते हैं।

Shri Nathu Ram Mirdha : As against its demand for Rs. 8 crores only a sum of Rs two crores has been sanctioned to Rajasthan Government till the end of March for famine relief. The hon. Minister has stated that State Government has not been spending on other schemes due to certain reasons. There is lot of unrest in whole of Rajasthan. I wish to know the measures being adopted by the Central Government for providing immediate help to Rajasthan. What action is being taken by the Government on the demand for drinking water tankers.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्यों और राजस्थान सरकार द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के परिणाम स्वरूप ही दूसरा दल वहां भेजा गया था । इस दल का उद्देश्य राज्य की मांग को पूरा करना था । अतः दूसरा दल, किये गये उपायों, राजस्थान द्वारा मांगी गई धनराशि की पर्याप्तता आदि बातों की जांच करेगा ।

Shri Lalji Bhai: 13 districts of Rajasthan out of 24 districts have been declared as scarcity areas but they have not been declared as famine stricken contrary to the declaration of Government that not a single person has died of starvation. There was a news in a daily of the 23rd Feb. that a person in Bhilwara and two in Udaipur have died of starvation. The Government has lapsed our quota of 16 thous and metric tonnes of wheat and maize. In such a situation when people are dying of starvation what action does the Government propose to take and is the Government going to declare those as famine stricken areas.

श्री अन्नासाहिब पी० शिर्डे : अखबार में जो कुछ भी खबरे आई है और जिनका हवाला माननीय सदस्य दे रहे हैं हम उनकी जानकारी राज्य सरकार को देवेंगे और राज्य सरकार इसकी जांच करेगी ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पदोन्नति सम्बन्धी योजना पर असन्तोष

***193. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी योजना पर बहुत असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति" की योजना की कार्यान्वित करने के संबन्ध में अध्यापकों में रोष के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी जानकारी नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है ?

प्रो० नुरुल हसन : मुझे इस सम्बन्ध मैं अध्यापकों के किसी भी वर्ग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या है ?

प्रो० नुरुल हसन : मुझे मूल्यांकन संबन्धी कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : एक मौखिक प्रश्न के उत्तर में जिसे कि संबद्ध सदस्य ने नहीं उठाया था किन्तु मंत्री महोदय द्वारा उत्तर सभा पटल पर रखा गया था यह स्वीकार किया गया है

कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को एक प्राध्यापक द्वारा उक्त विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ ग्रेड की पदोन्नति योजना के विरोध का मामला मिला है, और यदि हां तो क्या यह भी सच है कि वरिष्ठता के मामले में अंशकालिक प्राध्यापक, अस्थायी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की वरिष्ठता भी देखी जाती है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर एकदम नहीं दे सकता । जहां तक मुझे स्मरण है कि जिस प्रश्न का माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं उसका इस विशेष योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह प्रश्न तो वरिष्ठता निश्चित करने, और वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति संबन्धी दूसरी योजना के लागू होने के बारे में था । यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तो निसंदेह आयोग इसे उचित महत्व प्रदान करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

श्री सोमचन्द सोलंकी : मेरा अनुरोध कि प्रश्न सख्या 198 को भी इसके साथ ले लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्नों के विषय परस्पर बहुत ही कम मिलते हैं पर चूंकि माननीय सदस्य की ऐसी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे दिया जाय।

गुजरात से गेहूं के बाहर भेजने पर रोक

***194. श्री भोला मांझी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि गुजरात राज्य से गेहूं के बाहर भेजने पर रोक लगाई जाये क्योंकि राज्य में फसल शीघ्र पक जाती है और फरवरी के अन्त में गेहूं बाजार में आने लगता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार की सहमति सूचित की जा चुकी है ।

गुजरात की जनसंख्या के अनुसार खाद्यानों का आवंटन

***198. श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई है ;

(ख) राज्यों की जनसंख्या के अनुसार विभिन्न राज्यों की खाद्यान्नों की आवश्यकता कितनी है; और

(ग) गुजरात राज्य को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गुजरात सहित सभी राज्यों के बारे में 1972-73 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान जुलाई-अगस्त, 1973 में किसी समय उपलब्ध होंगे। गुजरात सहित सभी राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों से खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट का पता लगता है ।

विभिन्न राज्यों की खाद्यान्नों की आवश्यकता विभिन्न तथ्यों पर आधारित होती है जोकि इस प्रकार है:—आय-स्तर, खाद्यान्नों और अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके प्रतियोगी मूल्य, जनसंख्या की वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार आदि । खाद्यान्नों की खपत पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न तथ्यों संबन्धी वैज्ञानिक आंकड़े न होने और 1972-73 के खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध न होने से विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

1972 और जनवरी, 1973 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से गुजरात राज्य को सप्लाई किए गये खाद्यान्नों की कुल मात्रा क्रमशः 313.0 हजार मी० टन और 56.5 हजार मी० टन थी । फरवरी और मार्च, 1973 दोनों महीनों के लिए आवंटित खाद्यान्नों की कुल मात्रा 120.3 हजार मी० टन है ।

Shri Bhola Manjhi: Has the Gujarat Government taken any action after Central Government concurrence?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमारी सहमति के उपरान्त गुजरात सरकार ने गेहूं को बाहर भेजने पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : गुजरात के 18,000 ग्रामों में से 11,000 सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए है । यदि हम एक ग्राम की जनसंख्या 500 मान ले तो आप प्रत्येक को 500 ग्राम से भी कम अनाज का आवंटन कर रहे है । जनवरी में आपने केवल 57,000 टन गेहूं, बाजरा और चावल के दिए। गुजरात सरकार के अनुसार जबकि उनकी आवश्यकता प्रति माह 1,00,000 टन अनाज से भी अधिक है । अब स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है । लोग भूख से मर रहे है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गुजरात सरकार की आवश्यकतानुसार, मांगे गए अनाज के पूरे कोटे का आवंटन करेगी ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार गुजरात सरकार से निरन्तर संपर्क बनाए हुए है । हम समय-समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं । हम गुजरात सरकार की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे है । गुजरात के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री हम से निरंतर संपर्क बनाए रखते है और हम उनकी खाद्य आवश्यकताओं को हर संभव रूप से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार अपनी भरपूर कोशिश कर रही है किन्तु स्थिति यह है कि वहां लोग मर रहे है जब तक नर्मदा विवाद निपटाया नहीं जाएगा तब तक गुजरात के लोग हमेशा बाढ़ और सूखे से प्रभावित होते रहेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि नर्मदा विवाद को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी । आपका 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम एक भरी हुई बंदूक की तरह है जिसके आगे से तो लोग मरते हैं और पीछे से वह आप पर गोलियां बरसा रही है । मैं सरकार को चेतावनी देना हूं कि यदि गुजरात सरकार की खाद्य आवश्यकता की समस्या को दूर नहीं किया गया तो एक ऐसा आन्दोलन हो जाएगा जैसा कभी किसी ने न देखा होगा ...

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मैं पहले उत्तर दे चुका हूं । नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में आप सिंचाई एवं विद्युत मंत्री से पृथक प्रश्न पूछिये ।

श्री बी० बी० नायक : केन्द्र द्वारा सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों में कितनी राज सहायता दी जाती है और इससे प्रत्येक राज्य को कितना अप्रत्यक्ष लाभ होता है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : स्पष्टत : गेहूं तथा चावल के वितरण के समय काफी राजसहायता दी जाती है । राज्यवार तो हिसाब लगाना पड़ेगा। यह तो सभी जानते हैं कि हम गेहूं को 76 रुपये क्विंटल खरीदते हैं और 78 रुपये में सब राज्यों को देते है ।

Shri Hukamchand Kachwai: Will the hon. Minister be pleased to state the possibility of foodgrains to be received in Gujarat from its own State and the quantity of foodgrains demanded from the Central Government and out of which how much has been given and will it be adequate for meeting their requirement.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : राज्य सरकार समय-समय पर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज कि मांग करती रही है। हम विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करते हैं और केन्द्रीय पूल में उपलब्धता तथा अन्न की भारी कमी वाले राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों को जिसमें गुजरात भी शामिल है, आवंटन किया जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

Talks with foreign Countries for Import of Foodgrains to meet Scarcity

*182. **Shri Jagannathrao Joshi:**

Shri Tridib Chaudhuris:

Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is a scarcity of foodgrains in the country;

(b) if so, the quantity of foodgrains proposed to be imported country-wise; and

(c) the names of the countries with which talks have been held in regard to import of foodgrains and outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) On the basis of present assessment, there may be a marginal shortfall in the total availability of foodgrains in the country during the year as compared to the previous year.

(b) & (c) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

It is proposed to purchase commercially 20 lakh metric tons of foodgrains from abroad. Out of this, about 15 lakh metric tons have been purchased as under:—

Argentina	2.16 lakh tonnes
Canada	4.68 lakh tonnes.
U.S.A.	8.14 lakh tonnes
	14.98 lakh tonnes

Motion passed regarding rationing at convention of AITUC held at Calcutta

*184. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri B. K. Das Chowdhury:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether 29th Convention of All India Trade Union Congress was held in Calcutta from 30th January to 4th February;

(b) if so, whether Government's attention was drawn to the motion passed there in regard to introducing of rationing in the cities and industrial areas; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) : Government's attention has been drawn to Press reports about the 29th Convention of the All India Trade Union Congress held at Calcutta from 30th January, 1973 to 4th February, 1973. Details of any resolution passed in the convention regarding rationing etc. are not available with Government.

Since last year, the public distribution system has been considerably strengthened throughout the country. At present, there is no proposal before Government to introduce statutory rationing in cities and industrial areas.

राज्य स्तर पर खाद्य निगम

*186. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की भांति राज्य स्तर पर खाद्य निगम बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये राज्य के खाद्य मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Programme of forming Cooperative Society for each village

*190. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the total number of Multipurpose Agricultural Labour Co-operative Societies and Agricultural and Cooperative Societies and their total membership;

(b) whether any programme has been chalked out to form at least one Agricultural Co-operative Society and Agricultural Labour Co-operative Society in each village during the Five Year Plan period; and

(c) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Although, at present there are no Multi-purpose Agriculture Labour Cooperative Societies, there is no ban for Labour Contract Societies and Forest Labourers' Sccieties to undertake multi-purpose functions, where necessary provision exists in their bye-laws. The number and membership of Agricultural Credit Societies, Labour Contract and Construction Societies and Forest Labourers' Societies, are as follows:—

Type of society	No. of societies	Membership
(i) Primary Agril. Credit Societies. (as on 30-6-1971).	1,60,780	3.10 crores
(ii) Labour Contract and Construction Coop. Societies. (as on 30-6-1970).	4,940	3.09 lakhs
(iii) Forest Labours' Societies (as on 30-6-1970)	1,558	1.50 lakhs

प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों के बारे में दिल्ली के यमुना पार-क्षेत्र के निवासियों का अभ्यावेदन

*195. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार दिल्ली –51 (लक्ष्मी नगर) के निवासियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसे डाक्टर काम कर रहे हैं जिनके पास जाली डिग्रियां हैं; और

(ख) इस प्रकार के डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा फ्रांस में बने 'पैसेंजर लाइनर' का क्रय

*196. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा 1966 में बने फ्रांस के पैसेंजर जहाज 'पास्चर' को बिना आस्थगित अदायगी की सुविधा के 5 करोड़ रुपये में किन कारणों से खरीदा जा रहा है,

(ख) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा इस जहाज को अधिक यात्री लाने-ले जाने के योग्य बनाने पर जो परिवर्तन किये जायेंगे, उन पर अनुमानत: क्या लागत आयेगी, और

(ग) इस प्रयोजन हेतु भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा विदेशी मुद्रा में 5 करोड़ रुपये का ऋण किस प्रकार लेने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) मद्रास सिंगापुर सेवा पर चल रहे 25 वर्ष पुराने नहान 'स्टेट आफ मदरास' को बदलने के लिए भारतीय नौवहन निगम ने अक्तूबर में 65 लाख यू० एस० डालर जो लगभग 4.73 करोड़ रुपये के बराबर है में एम बी 'पैंस्चर' यात्री पोत प्राप्त किया था। मूल्य का 75% 10 वर्ष की अवधि में 6 मासिक किस्तों में 6% ब्याज सहित भुगतान किया जाने वाला आस्थगित ऋण है।

(ख) मौजूदा जहाज स्थान के बदल की लागत, जिसमें 4 अतिरिक्त लाईफ बोट तथा एक टेल-एण्ड शफ्ट भी शामिल हैं, लगभग 13.75 लाख यू० एस० डालर है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने स्टेट बैंक आफ इंडिया लंदन के माध्यम से यरो-डालर बाजार से जहाज की कीमत अर्थात् 16.25 लाख यू० एस-डालर का 25% जो कि लगभग 1.18 करोड़ रुपये के बराबर है, का विदेशी मुद्रा ऋण लिया। निगम ने, बदल आदि के लागत को पूरा करने हेतू स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम दो अमरीकी बैंकों से भी विदेशी मुद्रा ऋण की व्यवस्था की।

खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

*197. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या कृषि मंत्री: खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बारे में कृषि मत्रालय के राज्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में दिनांक 10 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का अभी भी यही मत है कि देश ने खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): गत कुछ वर्षों से खाद्यान्नों के उत्पादन के स्तर आयात में कमी, वसूली के स्तर और सार्वजनिक वितरण को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना समुचित होगा कि देश ने सामान्य मौसम के वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन में एक हद तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। इस तथ्य से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हालांकि चालू वर्ष में असामान्य और व्यापक सूखे के कारण खरीफ के मौसम में उत्पादन को धक्का लगा है, फिर भी देश में ही उत्पादन के लिए अधिक प्रयत्न करके इस कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। रियायती दरों पर कोई आयात नहीं किया गया है और आशा है कि वाणिज्यिक आधार पर किया जाने वाला आयात भी कम ही होगा।

जहाज बनाने के दो और कारखानों की स्थापना

*199. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जहाज बनाने के दो और कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है, और

(ग) प्रस्तावित कारखाने कहां पर स्थापित किये जायेंगे?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग): देश में और शिपयार्ड स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। उनके स्थान निर्धारण के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पारादीप पत्तन का विकास

*200. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में परादीप पत्तन के विकास के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है और कौन-कौन सा निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पारादीप पत्तन के विकास के लिये कितनी धन-राशि खर्च करने और निर्माण के कौन-कौन से नये काम आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) क्या पारादीप पत्तन के लिये माल उतारने के नये घाट बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में पारादीप पत्तन विकास के लिए 17 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । निर्माण के लिए हाथ में लिए गये कार्य के मद निम्न प्रकार है :–

(1) सामान्य माल घाट,

(2) समुद्री-दीवार,

(3) पत्तन क्षेत्र के अन्दर रेलवे साइडिंग, और

(4) कर्मचारियों के नये मकान ।

वर्तमान पनकट दीवारों का सुधार कार्य तथा प्रतिवर्ष 40 लाख टन खनिज लोह के निर्यात करने हेतु मौजूदा खनिज लोह धराउठायी सयंत्र में वृद्धि करने का कार्य भी शामिल किया गया है और 1973-74 में शुरू किये जा रहे हैं ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) एक माल घाट पहले से ही निर्माणाधीन है । एक अतिरिक्त माल घाट का निर्माण का संबंध सामान्य माल के प्रत्याशित यातायात से करना होगा । इस समय पारादीप पत्तन पर अतिरिक्त माल घाट के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उर्वरक के वितरण को सुव्यवस्थित करना

1801. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में उर्वरक की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार ने सभी राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उपलब्ध उर्वरक के समान वितरण को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर विचार किया है ;

(ख) क्या वितरण की वर्तमान व्यवस्था से वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं ; देश में इस समय उर्वरक की कितनी कमी है और क्या इस कमी को आयात करके पूरा किया जायेगा और यदि हां, तो क्या आयात के सम्बंध में कार्यक्रम बना लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : जी हां। देशी स्रोतों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की सीमित उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने उपलब्ध उर्वरकों के वितरण के लिए इस दृष्टि से विशेष कदम उठाये है कि विभिन्न राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उसका वितरण हो सके और खाद्यान्नों के उत्पादन और वसूली से देश को अधिकतम लाभ हो सके। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्था भी की गई है :–

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरक निर्माता के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे विभिन्न राज्यों को उर्वरक सप्लाई करने के संबंध में किए गये अपने वायदे पूरे करें।

(2) बन्दरगाहों और कारखानों से उर्वरक भेजने के कार्य को रेलों की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार यथासंभव तर्कसंगत बनाना, जिससे कि वे उर्वरकों के परिवहन को यथासंभव अधिकतम प्राथमिकता दे सकें।

(ख) जी नहीं, उर्वरकों की उपलब्धि की बाधाओं के बावजूद उर्वरकों के बेहतर और अधिक तर्कसंगत वितरण के लिए उठाये गये कदमों के फलस्वरूप यह परिणाम निकले है (1) रबी के दौरान उर्वरकों की सप्लाई की स्थिति में कुल मिलाकर गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है (2) बन्दरगाहों और कारखानों दोनों से ही उर्वरकों के रेलों द्वारा परिवहन की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है; और (3) अधिकतम उत्पादन वाले क्षेत्रों में खाद्यानों का अधिक से अधिक उत्पादन और वसूली हो सके, इसके लिए उनकी उर्वरकों की आवश्यकता न्यूनाधिक पूरी की गई हैं।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दिये गये उपायों और उनसे निकले परिणामों को दृष्टि में रखते हुए वितरण प्रणाली में कोई बड़े परिवर्तन करने का विचार नहीं है। फिर भी इन दिशाओं में आगे और सुधार करने के लिए प्रयत्न जारी रखे जायेगे। जहां तक उर्वरकों की कमी और आयात कार्यक्रम का संबंध है, अनुमान है कि चालू मौसम के दौरान अधिकतम आयात करने और देशी उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए किये गये सभी उपायों के बावजूद भी उर्वरकों की उपलब्धि उसकी आवश्यकता से 16 प्रतिशत कम रही। चूंकि रबी और ग्रीष्म कालीन फसलों के लिये उर्वरकों के प्रयोग का मौसम लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए 1973-74 के खरीफ और रबी मौसमों के लिए इनकी अधिक से अधिक सप्लाई करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इस कार्य हेतु 1973-74 के लिए एक वर्ष पहले ही विदेशी मुद्रा का निर्धारण कर दिया है और उर्वरकों का निम्नलिखित मात्रा में आयात करने के लिए संविदायें पहले ही की जा चुकी है :–

एन	-	6.13 लाख मीटरी टन
पी	-	1.88 लाख मीटरी टन
के	-	2.88 लाख मीटरी टन

शेष आवश्यक उर्वरक आयात करने और उनका देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए आगे और उपाय किये जा रहे हैं।

Grant of Loan for Improvement in Gwalior Water Supply Scheme

1802 **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the amount of loan and grant agreed to by the Central Government for allocation

to the State Government of Madhya Pradesh for carrying out improvements in the Gwalior Water Supply Scheme ; and

(b) the estimated amount of expenditure for the implementation of the said scheme and the time likely to be taken on it?.

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) : Water Supply is a State Sector Programme. Formulation and execution of water supply schemes and the determination of priorities and outlays for such schemes is the responsibility of the State Governments. Central assistance to the States during the Fourth Plan is being given in the shape of block loans and block grants for different States Plan Schemes including water supply sector without reference to any particular scheme.

The Government of Madhya Pradesh have formulated Gwalior Water Supply Scheme (Part I) costing Rs. 1.19 crores for improving the city's water supply. The Scheme is expected to be completed during the Fifth Plan.

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि

1803. **श्री अरविन्द पटेल :**

श्री मूल चन्द डांगा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये आवास ऋण की अधिकतम सीमा में परिवर्तन के बारे में हाल ही में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) पहले सरकारी कर्मचारी अपने 60 मास के वेतन के बराबर अथवा 50,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो, के आवास निर्माण के ऋण का पात्र था। भवन-निर्माण-सामग्री के मूल्यों में सामान्य वृद्धि को देखते हुए 19-1-73 को इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि अब सरकारी कर्मचारी अपने 75 मास के वेतन के बराबर अथवा 70,000 रुपये, इनमें से जो भी कम हो के ऋण का पात्र है।

Completion of Inter-State Bridge to Link Rajasthan and Madhya Pradesh

1804. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan have intimated the Centre about the likely date of completion of the inter-State bridge to link Rajasthan and Madhya Pradesh to be constructed between Swai Madhopur and Sheopur for which loan has been given by the Central Government ; and

(b) whether the construction work has since started?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rane) : (a) and (b) The proposed bridge over river Chambal on Sheopur-Swai-Madhopur road is included in the Central Loan Assistance Programme for State roads of inter-State or

Economic Importance in the Fourth Five Year Plan at an estimated cost of Rs. 70.00 lakhs which is to be shared between Rajasthan and Madhya Pradesh Governments on 50:50 basis. However, the Rajasthan State P.W.D. is executing the work. The tenders for the work are under consideration by them and according to the present indications it is likely to be completed in two years after commencement. The construction work has not as yet commenced.

स्कूटरों के आबंटन के लिये दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों से प्राप्त आवेदन-पत्र

1805. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को स्कूटरों के आबंटन के बारे में 22 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7009 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर के भाग (ग) की जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या वह इसे सभा पटल पर रखेंगे, और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र कर उसे सभा पटल पर रखने में उन्हें अभी कितना समय लगेगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एम० राना): (क) से (ग) : 12 अनिर्णित आवेदन पत्रों में से एक का निपटान पहले ही किया जा चुका है। 1970–71 वर्ष के दौरान 7 आवेदन पत्र रजिस्टर किये गये हैं और उन के लिए प्रतीक्षा काल लगभग एक वर्ष से दस वर्ष तक के समय का है। 1972 के लिए 2 आवेदन पत्र रजिस्टर किये जा रहे हैं। दो और आवेदक, जिन्होंने संशोधित फारम में आवेदन नहीं दिया था, ने नये सिरे से आवेदन-पत्र दिये हैं और वर्ष 1973 में रजिस्टर की जाएंगी।

भारतीय नौवहन निगम के लिए टैंकरों का निर्माण करने के संबंध में युगोस्लाविया के साथ करार

1806. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के लिए टैंकरों का निर्माण करने के संबंध में यूगोस्लाविया के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, हां। भारतीय नौवहन निगम ने प्रत्येक 24,500 मीट्रिक टन डेडवेट के तीन मीटर तेल वाहकों के निर्मापार्थ जोज़ो लोज़ोवीना-मोसोर, त्रोगिर (युगोस्लाविया) के शिपयार्ड के साथ हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं:–

(ख) करार की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:–

मूल्य प्रत्येक तेलवाहक के लिए 10–90 लाख यू०एस० डालर तय हुए––डालरों के मूल्य में वृद्धि से इस राशि में फर्क नहीं आयेगा?

भुगतान शर्तें : मूल्य की 20 प्रतिशत राशि जहाज की सुपुर्दगी पर निम्नलिखित ढंग से चुकायी गयी है:–

(क) मूल्य का 5% करार पर हस्ताक्षर के समय।

(ख) मूल्य का 5% कील बिछाने के समय।

(ग) मूल्य का 5% जहाज के जलावतरण के समय।

(घ) मूल्य का 5% सुपुर्दगी के समय।

मूल्य का शेष 80% आस्थागित ऋण के रूप में चुकाया जायेगा, जो कि मूल्य के आस्थागित भाग पर प्रति वर्ष 6% ब्याज सहित प्रत्येक जहाज की सुपुर्दगी की तारीख से आठ वर्ष की अवधि में 16 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में जहाज-निर्माताओं को देय होगा।

सुपुर्दगी का कार्यक्रम :

तेलवाहकों की सुपुर्दगी निम्न प्रकार होगी :–

पहला तेलवाहक	31–3–1975
दूसरा तेलवाहक	30–9–1975 और
तीसरा तेलवाहक	31–5–1976

सुपर बाजार द्वारा खरीदें गए मक्खन का भुगतान

1807. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 में सुपर बाजार ने एक प्रतिष्ठित फर्म से 10,000 रुपए का मक्खन खरीदा था पर वह कभी भी सुपर बाजार, दिल्ली में नहीं पहुंचा;

(ख) क्या इस व्यय को अभी तक बही-खातों में कहीं नहीं दिखाया गया है; और

(ग) मामले के तथ्य क्या है और क्या समूचे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दें :

(क) सुपर बाजार के प्रबन्धकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा ऐसी कोई खरीद नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुपर बाजार प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स पालसन लिमिटेड, नई दिल्ली ने 10 अगस्त, 1972 को सुपर बाजार को सूचना दी थी कि उनके 9,394 रु० के 3 बिल भुगतान के लिए बकाया है, किन्तु जांच के पश्चात् उन्हें पता चला कि न तो उनके द्वारा सामान का आर्डर ही दिया गया था और न ही फर्म द्वारा उनके यहां सामान पहुंचाया गया था। फर्म ने दिल्ली में लागू बम्बई सहकारी सोसायटीस एक्ट, 1925 की धारा 70 के अधीन पंजीयक, सहकारी सोसायटीस दिल्ली प्रशासन को नोटिस दिया है जिसमें देय राशि का दावा करने के लिए सुपर बाजार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का इरादा व्यक्त किया गया है। सुपर बाजार ने अपने विधि सलाहकार के माध्यम से कानूनी नोटिस का यह उत्तर भेज दिया है कि उन्हें प्रश्नाधीन सामान प्राप्त नहीं हुआ है और उसके लिए भुगतान करने का उनका कोई दायित्व नहीं है।

चूंकि सुपर बाजार, कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली द्वारा चयाला जा रहा है, अतः इस मामले में सोसायटी के प्रबन्धकों को ही आगे और ऐसी कार्यवाही करनी है जिसे व उचित समझें।

दिल्ली में जाली राशन कार्ड और उचित दर दुकानों द्वारा चोर-बाजारी

1808. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में हजारों जाली यूनिट जारी किए गए हैं तथा राशन कार्डों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है पर उनका पता लगाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है ;

(ख) क्या इन जाली यूनिटों के द्वारा खाद्यान्नों को आसानी से चोर बाजार में बेचा जा रहा है जबकि दिल्ली में वास्तविक राशन कार्ड धारी कष्ट उठा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाई न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना मिली है कि उचित दर दुकान वाले उन खाद्यान्नों की चोर बाजारी करते हैं जो कार्डधारियों द्वारा नहीं लिये जाते और यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने उचित मूल्य की दुकानों, खाद्य कार्डों और प्रतिष्ठान परमिटों की जांच पड़ताल तेज कर जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए व्यापक कार्यवाही की है। वास्तविक कार्डधारियों की जरूरतें उचित मूल्य की दुकानों से पूरी की जा रही है।

Prizes to Cricket Players and Steps to Promote cricket.

1809 **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have given any prizes to those Indian cricketers whose performance in the recent Tests between M.C.C. and India was good, as a sort of encouragement to them;

(b) whether Government propose to take any special steps for promotion of cricket under the Fifth Five Year Plan; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : The Board of Control for Cricket in India is the authority primarily responsible for the promotion of cricket in India. It has adequate financial standing and has been managing its various activities for the development of this sport in the past. It is holding separate tournaments for senior and junior players and has participated in various international matches. At present, India is one of the leading cricketing countries.

Government has, in the past given financial assistance to the Board of Control for Cricket in India for organising events for promotion of cricket. During 1972, Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala, assisted the Board of Control for Cricket in

India to organise a coaching camp for young fast bowlers. Assistance is also made available to the Inter-University Board for organising Inter-university matches.

The Board of Control for Cricket in India is also entitled for financial assistance admissible to various other National Sports Federations. Such financial and other assistance will continue to be available to the Board during the Fifth Five Year Plan, provided they conform to rules to be framed by the Government from time to time.

States self-Sufficient in Foodgrain

1810. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of States in the country which are self-sufficient in foodgrains together with their annual production; and

(b) the concrete steps taken for the development of agriculture during the last one year in the deficit States and the results achieved?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) On the basis of pattern of government distribution of foodgrains during the last few years. it can be stated that in a year of normal production and taking all foodgrains together the States which are generally surplus, more or less self-sufficient or deficient in foodgrains can be classified as follows :

Surplus : Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, U.P.

More or less Self-Sufficient : Assam, Tamil Nadu, Mysore, Rajasthan nad Gujarat.

Deficients : Maharashtra, West Bengal, Kerala, Bihar Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura.

Estimates of total foodgrains production for different States for 1970-71 and 1971-72 are given below :

Estimates of foodgrains production, 1970-71 and 1971-72

(in lakh tonnes)

State	1971-72	1970-71
Andhra Pradesh	64.49	74.06
Assam	19.96	20.34
Bihar	89.04	78.81
Gujarat	42.22	44.06
Haryana	45.39	47.51
Himachal Pradesh	8.95	9.50
Jammu & Kashmir	9.88	9.44
Kerala	13.57	13.21
Madhya Pradesh	113.19	109.22
Maharashtra	49.53	55.90
Manipur	1.81	1.67

State	1971-72	1970-71
Meghalaya	1.18	1.22
Mysore	66.65	59.62
Nagaland	0.54	0.54
Orissa	46.47	51.04
Punjab	79.00	73.06
Rajasthan	63.74	88.38
Tamil Nadu	70.33	69.74
Tripura	3.11	2.57
U.P.	176.05	195.85
West Bengal	83.56	74.91
Total Union Territories	3.90	3.57
All India	**1046.56**	**1084.22**

(b) Under normal development programmes envisaged in the Fourth Five Year Plan, measures are being taken to increase the area under High Yielding Varieties, to extend multiple cropping, increase irrigation facilities, to step up the use of fertilisers and to promote adoption of plant protection measures. In addition to normal programmes, an Emergency Agricultural Production Programme (EAPP) is also being implemented in practically all the State because of deficient and erratic rainfall conditions during the kharif season. The programme includes modernisation of the existing tubewells/pump sets lift irrigation projects over rivers, tanks, perennial streams, etc., construction of deep as well, as shallow tubewells, besides other types of minor irrigation works capable of yielding immediate benefits. The Central Assistance approved for the Programme is of the order of Rs. 152 crores. The amounts allocated to the deficit States for EAPP have been as under:

Central Loan Assistance administratively approved for investment in minor irrigation programme under E.A.P.P.

(Rs. in crores)

States	Amount
Maharashtra	24.96
West Bengal	14.00
Bihar	17.17
Kerala	2.50
Himachal Pradesh	0.50
Manipur	0.58
Tripura	0.23*

*Includes a small provision of Rs. 1.5 lakh for sprayers.

In addition, short term loans for purchase and distribution of agricultural inputs have also been released.

Information in regard to the results of these efforts during 1972-73 would be known after the close of the agricultural year.

Length of National Highways 1 and 2

1811. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the length of the National Highways number one and two (NH-1, NH-2) and the amount allocated by Central Government for their repairs during the last year?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : National Highway No.1, 467.80 Kms. long runs through the States of Punjab and Haryana and Union Territory of Delhi and National Highway No. 2, 1394 Kms. long runs through the States of Haryana, Union Territory of Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal.

Funds for the maintenance and repairs of National Highways are not allocated National Highway-wise, but are provided to various State Governments on an overall basis keeping in view the maintenance and repairs requirements of all National highways falling within their territories every year. The State Governments concerned reallocate the funds to various divisions under them. The State-wise allocation of funds for the last year for the maintenance and repairs of National Highways to the above-mentioned States is given below which also include, inter-alia, funds intended for the maintenance and repairs of National Highways Nos. 1 and 2 :—

(Rs. in lakhs)

Name of State/Union Territory	Total Funds allocated for maintenance and repairs of N.Hs. during 1971-72
Harvana	44.20
Delhi	6.33
Uttar Pradesh	158.46
Bihar	229.71
West Bengal	125.63
Punjab	20.86

Expenditure on repair of National Highways in Bihar

1812. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the expenditure incurred during the last three years on the repairs of National Highways in Bihar?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : The requisite information is as follows:

(Rupees in lakhs)

Year	Maintenance and Repairs and flood damages expenditure
1969-70	104.43
1970-71	175.12
1971-72	225.23

Grants to Organisations in Jaunpur District, U.P.

1813. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Education, Soical Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the names of Organisations of Jaunpur District of Uttar Pradesh which were given grants by his Ministry during 1971-72 and the amount thereof, separately;

(b) the names of Organisations of the said district which are proposed to be given grants during the financial year 1972-73 and the amount thereof, separately; and

(c) the number of Organisations who have sought such grants?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) A statement giving the required information is attached. [Placed in the Library. See No. L.T.—4377/73.]

(c) The requisite information is under compilation and will be laid on the Table of the House.

Grants to Institutions in Azamgarh District of U.P.

1814. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the institutions in Azamgarh District of U.P. to whom grants were given by the Ministry of Social Welfare during 1971-72 together with the amount of grant in each case ; and

(b) the names of the institutions in the said district to whom grants are proposed to be given during 1972-73 together with the amount of grant in each case as also the number of institutions which have requested for grants?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board during 1971-72 and 1972-73 in Azamgarh district:—

	1971-72	1972-73
	Rs.	Rs.
1. Bal Niketan, Maunath Bhanjan, Azamgarh	2,230.00	2,740.00
2. Mahila Udyog Sadan Dekhin Tola Sarak, Azamgarh . .	500.00	—
3. Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Madhuban, Azamgarh	500.00	500.00
4. Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Jahangunj, Azamgarh	500.00	—
5. Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Dehrighat, Azamgarh	500.00	2,240.00
6. F. & C.W. Project P.O. Jahanganj, Azamgarh	35,000.00	60,436.00
7. Mahila Evam Bal Kalyan Samiti, Bajiyaram, Doarighat, Azamgarh	—	500.00

Information regarding actual number of institutions which sought such a grant during this period is not readily available.

Grant to Sahakari Veetrag Sabha, Khargone

1815. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans given by the Central Government to the "Sahakari Veetrag Sabha", Khargone of Madhya Pradesh during the last two years ;

(b) the names of the cooperative organisations being run by the said cooperative society; and

(c) the amount of grants and loans demanded by the said society from the Central Government this year?

The State Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information has been called for from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House, when received.

नगरीय मलेरिया नियंत्रण योजना

1816. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नगरीय मलेरिया नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के दौरान राज्यवार कितने शहरों की लाने की योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : नगर मलेरिया नियंत्रण योजना को 28 नगरों में जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, जारी रखा जा रहा है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4378/73) साधनों की स्थिति को देखते हुए इस योजना को 1973-74 के दौरान किसी भी नये नगर में लागू करने का अब विचार नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आंखों की बिमारियों के इलाज के लिए अधिक संख्या में चल अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करना

1817. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कम सुविधा प्राप्त लोगों की भलाई के लिये नेत्र विज्ञान की जानकारी के अधिकाधिक प्रचार के लिए नेत्र चिकित्सकों का सक्रिय योगदान लेने के लिये उनका आवहान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या आंखों की बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिये सरकार का विचार अधिक संख्या में चल अस्पताल चिकित्सा सेवाओं और अधिक समर्पित कर्मचारियों को लगाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सबन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : देहातों में लोगों के स्वास्थ्य की देख रेख और उनकी चिकित्सा की यथेष्ट व्यवस्था करने तथा उन्हें विशेषज्ञ उपचार और परिवार नियोजन की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ चिकित्सा तथा उपचर्या के अन्तिम वर्ष के छात्रों तथा इण्टनों को ग्राम सामुदायिक चिकित्सा के उपचारात्मक निरोधी और स्वास्थ्य वर्द्धक पहलूओं में इस उद्देश्य से प्रशिक्षित करने के लिए कि

वे देहातों में काम कर सकें एक ऐसी योजना तैयार की गई है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा-जा कर प्रशिक्षण के साथ-साथ अस्पताल का काम भी किया जाता रहे। सभी प्रकार के रोगियों का जिनमें नेत्र रोगों से पीड़ित रोगी भी सम्मिलित हैं इस योजना के अन्तर्गत इलाज किया जाता है और इन चलते फिरते अस्पतालों में आंखों के आपरेशन भी किए जाते हैं। आंख के आपरेशनों के लिए इन चलते फिरते जस्पतालों द्वारा अलग से कोई केम्प नहीं लगाये जाते।

पांचवीं योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन के लिए सरकारी ऋण

1818. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, कृषि उत्पादन के लिए सहकारी समितियों को ऋण के रूप में तीन हजार करोड़ रुपये वितरित करने होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे)

(क) पांचवीं योजना संबंधी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् 1978-79, लगभग 3000 करोड़ रु० के अल्प-कालिन उत्पादन ऋण की आवश्यकता होगी और उस वर्ष सहकारी सोसायटियों द्वारा लगभग 1200 करोड़ रु० का अल्प-कालिन ऋण वितरित किए जाने की संभावना है।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किए गए राज्य-वार लक्ष्य अनुबन्ध में दिए गए हैं। इन्हें उन न्यूनतम स्तरों के रूप में लिया जा रहा है जो संबंधित राज्यों की सहकारी सोसायटियों को प्राप्त करने हैं।

विवरण

पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् 1978-79, में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा दिए जाने वाले अल्प-कालीन अग्रिमों के राज्य-वार अनुमान।

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	अल्प-कालीन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	75.00
2.	असम	8.00
3.	बिहार	36.00
4.	गुजरात	130.00
5.	हरियाणा	34.00
6.	हिमाचल प्रदेश	9.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	8.00
8.	केरल	49.00
9.	मध्य प्रदेश	116.00

1 2	3	4
10. महाराष्ट्र		213.00
11. मैसूर .		74.00
12. नागालैंड		0.50
13. उड़ीसा .		36.00
14. पंजाब		114.00
15. राजस्थान		43.00
16. तमिल नाडु		76.00
17. उत्तर प्रदेश		133.00
18. पश्चिम बंगाल		36.00
19. मणिपुर		1.25
20. त्रिपुरा		2.50
21 मेघालय .		0.75
केन्द्रशासित क्षेत्र		5.00
	योग :	1200.00

कीट नियंत्रण के लिए रसायनों के लिये अनुसंधान

1819. श्री पी० गंगादेव : श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1973 के 'इडियन एक्सप्रेस' में 'कीट नियंत्रण के लिए रसायनों के लिये अनुसंधान' (रिसर्च फार कैमिकल्स टू कन्ट्रोल पैस्ट्स) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सम्पूर्ण विश्व के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई इन सिफारिशों का उल्लेख है कि नई कीट नाशक औषधियों के विकास के लिए कई विद्यमान कार्यक्रमों में कमी करनी होगी और कई को बिल्कुल त्यागना होगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) फसलों पर कीटों और रोगों के असर पर काबू पाने के लिए निर्णय लेते समय सरकार ने कीटों में कीटनाशियों का प्रतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना को हमेशा ध्यान में रखा है । कीट-नाशी अधिनियम लागू करके यह सुनिश्चित करने का विचार है कि लम्बे समय तक और सभी कीटों के लिए किसी एक कीटनाशी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बन्द करके ऐसे कीटनाशियों का प्रयोग किया जाए जो थोड़े समय के लिये और कुछ थोड़ी सी किस्मों के कीटों के लिये ही कारगर हों । वनस्पति-रक्षण अधिकारी यथा-सम्भव ऐसे ही कीटनाशियों के प्रयोग की सिफारिश करते रहे हैं, जो कुछ ही किस्मों के कीटों के लिये कारगर हों ।

त्रिपुरा में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई

1820. श्री दशरथ देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए आपात उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) इस बारे में, अगर कोई निर्माण कार्य शुरु किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वित्तीय वर्ष के लिये इस कार्य के लिये त्रिपुरा सरकार ने किसी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई और इस बारे में क्या केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). त्रिपुरा में आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु सिंचाई कार्यक्रम हाथ में लिमे गये हैं :—

(1) 50 प्रतिशत राज-सहायता देकर किसानों को 120 अतिरिक्त पम्पसैटों का वितरण ।

(2) सरकार की ओर से पम्पसैट लगाना ।

(3) मौसमी बांधों का निर्माण ।

(4) 200 आर्टिजन नलकूपों का निर्माण ।

उपरोक्त योजनायें, जो कि चालू वर्ष, 1972-73 में पूरी करने का इरादा है, क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को 21.4 लाख रूपये का दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत किया गया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्य देशों से व्यापार करने के लिये भारतीय जहाजों की कमी

1821. श्री सी०के० जाफर शरीफ : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से व्यापार करने के लिए भारतीय जहाजों की कमी है;

(ख) गत तीन वर्षों में विदेशों से व्यापार के लिये विदेशी जहाजों को भारतीयों द्वारा औसतन कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) हमारी विदेश व्यापार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में जहाज रखने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां;

(ख) विदेशी शिपिंग कम्पनियों को भाड़ा भुगतान के बारे में कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है । परन्तु यह मानकर कि समुद्रपारीय व्यापार के मूल्य का 10 प्रतिशत भाड़ा भुगतान दिखाता है और उसमें से समुद्रपारीय व्यापार में लगी भारतीय शिपिंग कम्पनियों की भाड़ा आय निकालने के बाद विदेशी नौवहन कम्पनियों को दिये गये भाड़ा व्यय का अनुमान निम्न प्रकार से है :—

1968-69 .	211.35 करोड़ रुपये
1969-70 .	180.60 करोड़ रुपये
1970-71 .	169.53 करोड़ रुपये

1971-72 के वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जहाजों सहित नौवहन के लिये चौथी योजना का लक्ष्य 40 लाख जी० आर० टी० का है । 1-2-1973 को हमारा 26.50 लाख जी० आर० टी० के परिचालानात्मक टनभार है । इसके अलावा 15.05 लाख जी० आर० टी० आदेश पर हैं । 2.02 लाख जी० आर० टी० के बरते हुये जहाजों को निकालने पर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें केवल 47,000 जी० आर० टी० के लिये आदेश देना है । जहाज अधिग्रहण के बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन हैं और आदेश पर के जहाजों सहित कुल नौवहन टनभार का चौथी योजना का लक्ष्य जल्दी ही बढ़ जायेगा, पांचवीं योजना के लक्ष्य के अग्रिम कार्यवाही के रूप में और जहाजों के लिये आदेश भी दिये जाने का प्रस्ताव है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए सहायता

1822. **श्री आर० पी० उलगनम्पो :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखाग्रस्त क्षत्रों में सिंचाई परियोगना में लगाने के लिये वर्ष 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों को कोई अतिरिक्त सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी संख्या में राहत-कार्य, जिनमें लघु सिंचाई कार्य भी शामिल है, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में हाथ में लिये गये हैं । देश के 54 चुनीदा जिलों में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, जिनमें लघु सिंचाई स्रोतों के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है । 1972-73 में इन जिलों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये का कुल केन्द्रीय अनुदान दिया गया है । चालू वर्ष में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम भी शुरु किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिये शीघ्र ही चालू की जा सकने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 152.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । राज्य सरकारों द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं में वर्तमान नलकूपों/पम्प सैटों को विद्युत-चालित करना, नदियों, तालाबों बारहमासी छोटी नदियों आदि पर उठाऊ सिंचाई परियोजनाए, गहरे तथा उथले नलकूपों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य किस्म के लघु सिंचाई कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिनसे शीघ्र सिंचाई करने की व्यवस्था की जा सके ।

उर्वरकों का आयात

1823. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि अद्यतन कितना उर्वरक आयात किया जा रहा है और इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : 1973-74 के दौरान, 18 फरवरी, 1973 तक की गई सविदाओं के अनुसार, पोषक-तत्वों के रूप में आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा और विदेशी मुद्रा में उनका मूल्य इस प्रकार है:—

मात्रा	अनुमानित मूल्य (भाड़ेसहित लागत)
एन० 6.13 लाख मीटरी टन पी० 1.88 लाख मीटरी टन के० 2.88 लाख मीटर टन	1790.9 अमेरिकी डालर

उर्वरक संवर्धन योजना की प्रगति

1824. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पूर्ण विश्वास है कि 2.19 करोड़ रुपये की उर्वरक संवर्धन योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये चुने गये 70 जिलों में से कितने जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(ग) सभी जिलों को इसमें कब शामिल किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग): 1972-73 में 25 जिलों में उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है और शेष 45 जिलों में यह काम 1973-74 में किया जायेगा ।

सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल

1825. श्री रोबिन ककोटी :

श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि सहकारिता को एक महत्वपूर्ण एकक बनाया जाए और इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ प्रगति सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित करने का प्रमुख साधन बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) सहकारिता सम्बन्धी कार्यकारी दल ने सामाजिक न्याय के साथ प्रगति सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए पांचवीं योजना में सहकारी विकास कार्यक्रमों के प्रति बुनियादी पहुंच और अन्य मुख्य बातों की जो सिफारिश की है, वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का इरादा रखने वाली विशेष नीतियां और कार्यक्रम;

(2) छोटे किसानों, सीमान्त (मार्जिनल) किसानों तथा दूसरे कमजोर वर्गों और साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं पर विशेष ध्यान देना;

(3) मूल्य तथा वितरण नीतियों में उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका;

(4) राष्ट्र स्तरीय सहकारी परिसंघों को उचित रूप से लैस करना, ताकि वे विभिन्न प्रकार की सहकारी सोसाइटियों के कार्यकलापों की बढ़ती हुई विविधता एवं जटिलता को देखते हुए उन्हें सौंपे जा रहे अधिक उत्तरदायित्व को निभा सकें ;

(5) सहकारी आन्दोलन के विभिन्न क्षेत्रों में, उचित स्तरों पर पेशेवर रूप में सक्षम प्रबन्धकीय तथा लेखा कार्मिकों के संवर्गों की स्थापना ।

Propagation of Devanagari Script

1826. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are seriously considering the propagation of Devanagari script;

(b) whether any Conference of the representatives of public and private institutions was held recently at Wardha in regard to the use of language and script; and

(c) if so, whether Government have received its report and if so, the main points thereof?

The Deputy Minister of Education Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P.Yadav): (a) Yes, Sir. This Ministry have already taken steps for propagation and popularisation of Devanagari script. It has been reformed and amplified by introducing special symbols and diacritical marks for representing peculiar sounds of regional languages for which no symbols in Devanagari existed and the following booklets/pamphlets have been published:

(i) Standard Devnagari-English

(ii) Parivardhit Devnagari-Hindi

(iii) Manak Devnagari-Hindi

(iv) Parivardhit Devnagari Chart-Hindi

(v) Manak Devnagari Chart Hindi

(vi) "Devnagari through the ages "together with its Hindi version "Devnagari Ka Kram Vikas".

These publications have been widely circulated among the various States, Universities and other educational institutions in India. An animated Film for popularization of Devnagri script has also been completed and is available to various Cinema Houses in the country for display and it will enable a large number of persons visiting Cinema Houses to get familiarity with the Devnagari script.

Efforts will also be continued for popularization of Devnagari script in the Fifth Five Year Plan.

(b) and (c) : Yes, Sir. The main points made out in the report relating to language and script are that the medium of instruction at the primary and secondary stages is already the mother tongue or the regional language in all the States. Urgent steps may now be

taken to adopt the regional language as medium of instruction at the university level as well. The use of Nagari as an alternative script for Indian languages should be encouraged.

सूखे की स्थिति के बारे में मैसूर के संसद सदस्यों का ज्ञापन

1827. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर के संसद सदस्यों द्वारा सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है; और

(ख) लाखों पीड़ितों को रोजगार देने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का जायजा लेने और राहत उपायों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु खर्च की सीमा की सिफारिश करने के लिए सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था । दल की रिपोर्ट के आधार पर राहत उपायों के लिए 7.75 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा अपनाई गई है और 14.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए गए हैं । एक अन्य केन्द्रीय दल ने जनवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया था और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(2) आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 6.389 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के प्रति, लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को 4.256 करोड़ रुपये दिए गए हैं । इसके अलावा राज्य सरकार को कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं ।

(3) राज्य में ग्रामीण रोजगार मुहैय्या करने के लिए सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम और काश योजना भी कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(4) राज्य सरकार से प्राप्त अपतन रिपोर्ट के अनुसार राहत कार्यों पर इस समय 4.69 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ।

बेरोजगार नाविक

1828. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपयुक्त अधिकरणों के पास रजिस्टर्ड बेरोजगार नाविकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत दस वर्षों में पश्चिम बंगाल में रोजगार प्राप्त नाविकों की संख्या में भारी कमी हुई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 1-2-73 को देश में नाविक रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड नाविकों की कुल संख्या 40,970 थी और उस तारीख को उनके लिए उपलब्ध नौकरियों की कुल संख्या 25,791 थी । चूंकि नाविकों को घूर्णी आधार पर रोजगार दिया जाता है और क्योंकि समुद्री यात्रा के समापन के पश्चात् नाविक को लगभग 90 दिनों के विश्राम की आवश्यकता होती है अतएव बैकार नाविकों की ठीक-ठीक संख्या बताना सम्भव नहीं है । परन्तु नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की सिफारिश के अनुसरण में गठित अध्ययन दल, अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुये, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रजिस्टर्ड नाविकों का लगभग 2.3 प्रतिशत 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बेकार रहा ।

(ख) पश्चिम बंगाल में नाविकों के लिये नौकरियों की कुल संख्या 1-1-63 को 9,317 से घटकर 1-1-73 में 6,787 रह गई है । नौकरियों की संख्या में इस कमी का मुख्य कारण विदेशी जहाजों का हट जाना है । जोकि कलकत्ता से नाविकों की भर्ती किया करते थे ।

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिये भारतीय जहाज मालिकों को अपने जहाजों के लिये कलकत्ता से नाविक भर्ति करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । कलकत्ता से बम्बई ने नाविकों के रजिस्ट्रेशन के अन्तरण की अनुमति भी कुछ वर्गों के निवेदकों को दी जा रही है जिनकी बम्बई में कमी है । कलकत्ता में नाविकों की नई भर्ती रोक दी गई है ।

आयातित रुई का बन्दरगाहों पर धुम्रीकरण

1829. श्री एस० आर० दामणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के वनस्पति रक्षा सलाहकार द्वारा जुलाई-अगस्त, 1972 में दिये गये उस निदेश के प्रति विरोध प्रकट किया है जिसमें कहा गया है कि सारी आयातित रुई को बदरगाहों से उठाने से पूर्व धुम्रीकरण किया जाए और यदि हां, तो विरोध के क्या आधार बनाये गये हैं;

(ख) क्या पिछले वर्षों में मिस्र की रुई तथा सूडानी रुई का धूम्रीकरण के बिना ही भारत प्रवेश की अनुमति दी जाती थी;

(ग) यदि हां, तो अब धुम्रीकरण के आग्रह के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने धुम्रीकरण पर कितनी राशि व्यय की, विभाग ने प्रति गांठ क्या वसूल किया और इस स्रोत से वर्ष में कितनी आय की सम्भावना है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, । निर्णय के प्रति इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा विरोध प्रकट करने का मुख्य कारण यह था कि धुम्रीकरण प्रभार के रूप में अतिरिक्त लागत आती थी और उस समय तक अमरीकी या पश्चिमी भारतीय रुई को छोड़कर रुई का धूम्रीकरण अनिवार्य न था ।

(ख) जी हां, जुलाई/अगस्त, 1972 तक ।

(ग) वर्ष 1972 में मिस्र की रुई पर कुप्रभाव पड़ने की रिपोर्ट मिली थी । इस बात की सम्भावना थी कि रुई लाने वाले जहाजों का एक बेड़ा मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न देशों के बन्दरगाहों

से गुजरेगा । इससे आयातित रुई के संकर पर्याक्रमण की सम्भावना थी । किसी ऐसे नए कीट की सम्भाव्यता को समाप्त करने के लिए जिससे भारत में रुई की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, धुम्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है ।

(घ) वनस्पति रक्षण संगरोध और संचयन निदेशालय के अधीन वनस्पति संगरोध और धूम्रीकरण केन्द्रों के कर्मचारियों की गतिविधियों अथवा कार्यों में से एक कार्य रुई का धूम्रीकरण करना है । वर्ष 1970-71 में देश के वनस्पति संगरोध और धूम्रीकरण केन्द्रों के रख-रखाव के लिए कुल 20 लाख रुपये व्यय हुए थे । धूम्रीकरण के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रभार अलग-अलग बन्दरगाहों के लिये अलग-अलग हैं और ये 5 रुपये से 12.25 रुपये प्रति गांठ तक हैं । इसमें से सरकार का शेयर 1.43 रुपये से 1.75 रुपये तक है और शेष व्यय रुई सम्भालने, प्राप्त करने, स्टील नौकाओं में लादने और आयातकर्ताओं को गांठे सुपुर्द करने का है । 1970-71 के दौरान रुई के धूम्रीकरण की लागत में सरकार का शेयर 2,87,946 रु० था ।

काजू के उत्पादन में सुधार

1830. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजू की उपलब्धि और काजू उद्योग की पूरी आवश्यकताओं में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना अन्तर है;

(ग) क्या सरकार ने देश में काजू के उत्पादन में सुधार के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) गत सात वर्षों के आयात तथा निर्यात के आंकड़ों से पता चला है कि देशी उत्पादन की अनुपूर्ति के लिये देश में औसतन 1,66,890 मीटरी टन कच्चा काजू आयात किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) काजू का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने चौथी योजना के दौरान 75 लाख रुपये के परिव्यय से पैकेज कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की है जिसमें काजू की गुटियों का उत्पादन तथा वितरण करना तथा रोग-रोधी वनस्पति-रक्षण उपायों को अपनाना तथा प्रदर्शनों का आयोजन करना सम्मिलित है । वर्ष 1971-72 से 100 लाख रुपये के परिव्यय से 5,000 हैक्टयर के सरकारी बागानों में क्षेत्र विस्तार तथा पैकेज कार्यक्रम की एक मार्गदर्शी योजना भी प्रारम्भ की गई हैं ।

केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी इस फसल के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिये कार्यक्रम बना रही हैं ।

बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भयंकर अकाल

1831. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो अकालग्रस्त लोगों के कष्ट कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भाग सूखे से प्रभावित हुए हैं ।

(ख) स्थिति का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं:—

(1) भू-संरक्षण, लघु सिंचाई, वनरोपण, सड़कों का निर्माण, कुएं तथा तालाबों आदि के खोदने जैसे राहत कार्य शुरु करना । ये कार्य लोगों को रोजगार सुलभ करने के लिए शुरु किए गए हैं ।

(2) पशु-संरक्षण के उपाय करना जिनमें चारे की सप्लाई, पेय जल की सुविधा, महामारी को फैलने से रोकने के लिए रोकथाम सम्बन्धी उपाय करना शामिल है ।

(3) प्रभावित लोगों को राजसहायता ऋण मंजूर करना ।

(4) मुफ्त राहत देना और मुफ्त भोजन और दूध सुलभ करना; और

(5) केन्द्रीय अध्ययन दलों, जिन्होंने इन राज्यों का दौरा किया था, की सिफारिशों के आधार पर दी गई केन्द्रीय सहायता के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपये में)

	राहत कार्य के लिए अपनाई गई सीमा	राहत उपायों के लिए दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता	आपातिक कृषि कार्यक्रम	
			लघु सिंचाई कार्यक्रम	कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण
बिहार .	13.40	10.00	12.132	7.00
राजस्थान	6.60	5.00	1.902	4.00
उत्तर प्रदेश	8.10	1.50	10.438	12.00

Deaths due to Starvation in Rajasthan

1832. **Shri Shrikishan Modi :**

Shrimati Bibha Ghosh Goswami :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the press reports in the Hindustan Times dated the 22nd December, 1972 in which it has been stated that food crisis in Rajasthan has resulted in 3 more deaths due to starvation ;

(b) if so, the reaction of the Union Government ; and

(c) what help has been given to the State Government to overcome the crisis ?

The Minister of State in tne Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P.Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government has reported that no death due to starvation has taken place in Rajasthan.

(c) On the basis of the recommendations made by the two Central Study Teams which visited the State in May and November, 1972, a ceiling of expenditure of Rs. 6.60 crores has been adopted against which Central assistance of Rs. 5 crores has been released to the State Government so far. The report of the third Central Team which visited the State in February, 1973 is awaited. Reasonable quantities of foodgrains have also been supplied to the State Government.

आन्ध्र प्रदेश में भूख से हुई मौतें

1833. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में भूख से हुई मौतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता ।

अकाल की स्थिति का सामना करने की गुजरात की योजना

1834. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए 92 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य सरकार ने केन्द्र को सुझाव दिया था कि इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता दी जाए;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने कितनी सहायता प्रदान की; और

(घ) क्या इस वर्ष गुजरात राज्य में सबसे अधिक अकाल पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय अध्ययन दल, जिसने 22 फरवरी, 1973 को राज्य का दौरा किया था, को प्रस्तुत किये गए ज्ञापन में, राज्य सरकार ने राहत उपायों पर 1972-73 के दौरान 49.14 करोड़ रुपये और 1973-74 के दौरान 66.12 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया है ।

(ग) जिस दल ने सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर राहत सम्बन्धी खर्च के लिए 6.90 करोड़ रुपये की सीमा अपनाई गई है, जिसके प्रति राज्य सरकार को अब तक 1.50 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं । आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु सिचाई कार्यक्रमों और कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में क्रमश: 1.25 करोड़

रुपये और 2.00 करोड़ रुपये दिए गए हैं । एक दल ने फरवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया था और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खर्च की और सीमा अपनाने के बारे में निर्णय किया जाएगा ।

(घ) गुजरात राज्य के कई भाग इस वर्ष देश में पड़े सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं ।

राज्यों को अकाल ग्रस्त घोषित करना

1835. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने और किन-किन राज्यों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में, जिलावार, कितने राहत केन्द्र खोले गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूख से प्रभावित राज्यों के नाम और उनमें खोले गए राहत कार्यों की राज्यवार संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य का नाम	राहत कार्य
1. आन्ध्र प्रदेश	21,633
2. बिहार	31,019
3. गुजरात	5,574
4. मध्य प्रदेश	1,134
5. महाराष्ट्र	15,882
6. मणिपुर राहतकार्यों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।	—
7. मैसूर	7,995
8. नागालैण्ड राहत कार्यों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।	—
9. उड़ीसा	5,221
10. राजस्थान	1,214
11. तमिलनाडु, 12. त्रिपुरा — राहत कार्यों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।	—
13. उत्तर प्रदेश	998
14. प० बंगाल	189

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

1836. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 29 जनवरी, 1973 को भूख हड़ताल की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख): विवरण संलग्न है । ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—4379/73।

Drought affected Districts of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh

1837. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of drought-affected Districts in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh ;

(b) the amount of astsistance provided by the Central Government to these States separately for meeting the drought condition ; and

(c) the nature of assistance provided?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : A statement is attached. [Placed in the Library. See No.LT-4380/73]

Spread of a Cattle Disease in Drought affected areas due to Fodder Scarcity

1838. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that due to the scarcity of fodder, a kind of fatal disease has spread among the cattle in drought-affected areas; and

(b) if so, the measures taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) According to the available information about 786 cattle are reported to have died due to scarcity of fodder in the districts of Burdwan, Hooghly, Howrah, Midnapur, Bankura. Purulia and West Dinajpur in West Bengal. Information is, however, being collected from other States. So far we have received information from all States except Rajasthan, Tamil Nadu, Mysore and Nagaland.

(b) (i) The State Veterinary Department despatched medicines and surgical requisites worth Rs. 1,79,308; and approx. 20 lakh doses of vaccines against Haemorrhagic Septicaemia and Anthrax diseases of cattle for the prevention of outbreak of these diseases;

(ii) A sum of Rs. 13 lakhs was allotted by the State Government for drought relief purposes in the districts of Purulia, Bankura, West Dinajpur, Burdwan, Midnapur, Malda, Birbhum, Nadia, Murshidabad, Howrah, Hooghly and 24-Parganas.

अत्यधिक अभाव से प्रभावित गांव

1839. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में कितने गांव अत्यधिक अभाव से प्रभावित हुए हैं और अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ;

(ख) यह अभाव किस प्रकार का है; और

(ग) राज्यवार कितने व्यक्ति उक्त अभाव से प्रभावित हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग). सूचना एकत्रित की जा नहीं है ।

(ख) अपर्याप्त और अनियमित वर्षा के कारण सूखे की स्थिति पैदा हुई है ।

Damage to Kharif Crop due to Drought in States and Central aid thereon

1840. Shri Bhan Shah Pradhan.

Shri Ajit Kumar Saha.

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have collected the State-wise and Union Territories wise information regarding the damage caused to kharif crop in the country as a result of drought conditions if so, extent thereof ; and

(b) the Central aid asked for and the amount given to these States and Union Territories and other steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annashib P. Shinde) : (a) Due to deficient and erratic rainfall in the current year, production of kharif crops was affected in several States and Union Territories and considerable losses in kharif production were apprehended. However, conditions of kharif crops improved in a number of States as a result of widespread rains in the months of August, September and October. Consequently, the losses in kharif production are expected to be substantially lower than those anticipated earlier. Firm estimates of kharif production during 1972-73 are, however, not yet available from State Governments.

(b) Under the Emergency Agricultural Production Programme launched by the Government of India for retrieving the losses in kharif production and increasing the production of rabi and summer crops during the current agricultural year, a total loan assistance of Rs. 152.40 crores has been administratively approved to State Governments/Union Territories for taking up quick-maturing minor irrigation programmes which could be completed by the 31st March, 1973. In addition, a short-term loan of Rs. 92.0 crores has also been made

available to State Governments for purchase and distribution of agricultural inputs like seeds, fertilisers and pesticides. A statement showing the State-wise allocation of Central assistance is enclosed. [Placed in the Library. See No. LT-4381/73] ?

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न की आपूर्ति

1841. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :**
श्री शंकर राव सावंत :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को दिया गया खाद्यान्न सामान्य कोटे से बहुत ही कम है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के साइलों से दिये जाने वाले गेहूं के स्टाक की स्थानीय उपलब्धता महाराष्ट्र में बहुत सीमित होती जा रही है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि राज्य में खाद्य सप्लाई की स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है; और

(घ) उक्त राज्य को गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई का तत्काल प्रबन्ध करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). सूखे के कारण राज्य की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के लिए केन्द्रीय भण्डार से अधिक खाद्यान्न आवंटित करने की मांग करती रही है । केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और सूखे से प्रभावित तथा कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये महाराष्ट्र सरकार की उचित मांगों को पूरा किया जा रहा है । उत्तरी क्षेत्र से महाराष्ट्र को रेल द्वारा चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के भेजने को उच्च अग्रता दी जा रही है । महाराष्ट्र को देने के लिए विदेशों से गेहूं और माइलों ला रहे जहाजों को बम्बई बन्दरगाह पर रोकने के प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं ।

(ख) गेहूं की सीमित उपलब्धता के कारण साइलों में रखे स्टाक में कमी हो गई थी । तथापि, आयात द्वारा बम्बई बन्दरगाह पर गेहूं मंगाकर और उत्तरी क्षेत्र से गेहूं भेजकर गेहूं के स्टाक की भरपाई करने के उपाय किए गये हैं ।

Centre's relief to Rajasthan

1842. **Shri S. N. Singh :**
Shri Nawal Kishore Sharma :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount given to Rajasthan by the Centre for famine relief work upto 31st January, 1973 and the quantum of foodgrains given for distribution through fair price shops; and

(b) the total population of Rajasthan affected by famine and the average monthly per capita quantity of foodgrains given by the Centre to the famine affected people?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Ceilings of expenditure for the purpose of central financial assistance of Rs. 6.60 crores have been adopted, against which an amount of Rs. 5.00 crores has been released to the State Government so far.

1.36 lakh tonnes of foodgrains have been supplied from the central pool to the Government of Rajasthan for being distributed through the fair price shops, during the period August, 1972 to January, 1973.

(b) The population affected by drought is 1.33 crores Central supplies of foodgrains are given for the State as a whole including the drought affected areas.

Centre's per Capita Relief for Famine Affected areas

1843. **Shri S. N. Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States along with the amount sanctioned to each of them by the Central Government for famine relief work upto 31st January, 1973 during 1972-73 and the the per capita share of the famine affected people therein in each State ;

(b) whether Rajasthan has been given a very small amount for famine relief work whereas the entire State is famine affected ; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) A statement showing the position of the Central Financial Assistance given to the drought affected States is attached. [Placed in the Library, See No. LT-4382/73]

(b) & (c) : Central Assistance has been given after assessment of the drought situation by two study teams and having regard to the availability of plan and non-plan funds with the State Government. To reassess the situation and to consider further ceilings of expenditure for purposes of central assistance, a third team visited the State in February, 1973. The report of the team is awaited.

माइलों की सप्लाई के लिए राजस्थान सरकार का अनुरोध

1844. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य की विकट खाद्य स्थिति का सामना करने हेतु माइलों की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी, 1973 के लिए 5 हजार मीटरी टन और मार्च, 1973 के लिए 20,000 मीटरी टन माइलो आवंटित की गई है ।

सूखाग्रस्त राज्यों से खाद्यान्नों की मांग

1845. **श्री के० एस० चावड़ा :**

श्री रोबिन ककोटी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त राज्यों द्वारा इस वर्ष कितने खाद्यान्नों की मांग की गई थी; और

(ख) सरकार ने राज्यवार इस मांग को किस तरह पूरा किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 के महीनों के लिए सूखे से प्रभावित राज्यों से प्राप्त खाद्यान्नों की मांग और राज्यवार आवंटित मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य का नाम	मांग	आवंटन
आन्ध्र प्रदेश	65.0	29.0
बिहार	520.0	95.0
गुजरात	336.0	178.1
महाराष्ट्र	832.0	464.0
मणिपुर	7.2	5.0
मध्य प्रदेश	140.9	66.0
मैसूर	170.0	62.0
नागालैण्ड	9.6	6.8
उड़ीसा	60.0	22.0
राजस्थान	228.0	136.0
तमिलनाडु	120.0	45.0
त्रिपुरा	19.0	9.0
उत्तर प्रदेश	261.0	105.0
पश्चिमी बंगाल	515.0	435.0*

*इसमें भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ा राज्य सरकार के भण्डारों से प्राप्त 75 हजार मीटरी टन चावल भी शामिल है ।

बिहार में भुखमरी से मौतें

1846. **श्री रेणुपद दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भुखमरी से होने वाली मौतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय किए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी हुई है । राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12-2-1973 में सूचित किया है कि भूख के कारण कोई मौत नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारिता के आधार पर उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना

1847. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक उत्पादन की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति के, जो कांडला में एन० पी० के० उर्वरक उत्पादन के लिए एक एकक की स्थापना कर रही है, उद्यमों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति द्वारा गुजरात में स्थापित की जा रही दो उर्वरक परियोजनाओं के लिए सरकार ने कितना धन दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सहकारी संस्थाओं के उपयुक्त स्थानों में उर्वरक संयंत्र लगाने के प्रस्तावों पर सरकार गम्भीर रूप से विचार करेगी । इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर को-आपरेटिव लि० द्वारा पांचवीं योजना अवधि में दो नए उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए दिए गए प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) भारत सरकार इफ्फको द्वारा गुजरात में स्थापित की जा रही दो उर्वरक परियोजनाओं के लिए 18 करोड़ रु० अंशपूंजी के रूप में और 23.15 करोड़ रु० ऋणों के रूप में दे रही है । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र की वित्तदायी संस्थाओं द्वारा 26 करोड़ रु० के ऋण दिए जाने की उम्मीद है ।

Medium and Minor Irrigation Schemes to avoid dependence on Rain by small Farmers

1848. **Shri G. P. Yadav:**

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any small or medium schemes are under consideration of the Government by which small farmers will not have to depend on rains in future; and

(b) if so, the State-wise information thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Under the Fourth Five Year Plan, two special schemes for the benefit of small and marginal farmers and agricultural labourers are being implemented on a pilot basis in 87 project areas in selected districts all over the country. Under these schemes, subsidy @ 25% and 33⅓ is provided to small and marginal farmers respectively on capital investment or minor irrigation works which form one of the important components of the two schemes.

(b) A statement showing Statewise information regarding the minor irrigation units (Dug-wells, tube wells, pump sets and other minor irrigation works) assisted under these special programmes, upto the end of December, 1972 is attached.

Apart from these special programmes small farmers, in common with other farmers, receive assistance from other minor and medium irrigation schemes executed under the different schemes of the State Governments and Union Territories.

Statement

Sl. No.	State	No. of Minor Irrigation Units assisted under SFDA/ MFAL Programme upto 31-12-72
(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Pradesh	1788
2.	Assam	20
3.	Bihar	10567
4.	Gujarat	4185
5.	Haryana	1637
6.	Himachal Pradesh	104
7.	Jammu & Kashmir	223
8.	Kerala	1572
9.	Madhya Pradesh	10383
10.	Maharashtra	1466
11.	Manipur	—
12.	Mysore	4018
13.	Nagaland	45
14.	Orissa	7562
15.	Punjab	10670
16.	Rajasthan	5091
17.	Tamil Nadu	1644
18.	Tripura	4
19.	Uttar Pradesh	10603
20.	West Bengal	975
21.	Goa, Daman & Diu	66
22.	Meghalaya	NA
23.	Pondicherry	178
24.	Delhi	43
		72844

Survey of Rajasthan District for location of Underground water resources

1849. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a survey of Rajasthan desert has been made for locating underground water resources;

(b) whether such explorations will also be carried out in other areas having scarcity of water;

(c) if so, the number of underground water resources located so far with the locations thereof, and

(d) the names of the places which are under consideration for such explorations and the amount of expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes, a number of arid and semi-arid areas of Rajasthan have been surveyed for ground water by the Central Ground Water Board (previously Exploratory Tubewells Organisation).

(b) Yes.

(c) & (d). As a result of surveys and investigations conducted by the Central Ground Water Board and a Project executed by it with UNDP (SF) assistance during the period 1966-67, a number of areas have been found groundwater-worthy in Rajasthan. Groundwater acquifers have been located in Lathi basin (Jaisalmer), Doli-Jhanwar-Pal area (District Jodhpur) and Barunda area (District Jodhpur). However, the survey indicated that in District Jalore groundwater exploitation had reached a critical stage and for the time being there was no possibility of further exploitation for irrigation. A net expenditure of Rs. 57.53 lakhs was incurred on this project in addition to the aid received from the UNDP.

A number of arid and semi-arid areas have been surveyed in Gujarat also : Banaskantha, Sabarkantha, Junagarh, Jamnagar and Bhavnagar. Groundwater-worthy areas have been demarcated as a result of these surveys and also an artesian aquifer has been located in Mehsana—Banaskantha area.

At present, a Project covering arid and semi-arid areas in Rajasthan (Districts Bikaner, Nagpur, Jhunjhunu and Sikar and parts of districts Mehsana and Banaskantha in Gujarat is being executed with UNDP (SF) assistance. Upto January, 1973, a net expenditure of Rs. 34.2 lakhs has been incurred on this project in addition to the aid received from the UNDP.

Groundwater exploration has also been taken up in Panandhro area of District Kutch. Some work has already been done in the Royalseema region of Andhra Pradesh and it is proposed to take up more intensive groundwater surveys in this region as well as in a number of other chronically drought affected areas.

उर्वरक के गैर-सरकारी व्यापार पर रोक लगाने के लिये उर्वरक

नियन्त्रण आदेश, 1957 को संशोधित करना

1850. **श्री डी० के० पांडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 के उर्वरक नियंत्रण आदेश में संशोधन करने के लिए केन्द्र को लिखा है जिससे उर्वरकों के निजी व्यापार को रोका जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपने 30 जनवरी , 1973 के पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्वरक विक्रेताओं के कड़े नियमन के लिये उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 में संशोधन करने का अनुरोध किया है । उन्होंने अपने 19 फरवरी, 1973 के पत्र में यह सुझाव दिया है कि देशी उत्पादन का 75 प्रतिशत उर्वरक राज्य की सहकारी और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के जरिये बेचा जाना चाहिये ।

(ख) राज्य सरकार के ये अनुरोध विचाराधीन हैं ।

बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन में हुई हानि

1851. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1972 में बिजली की कमी के कारण कृषि क्षेत्र को कुल कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मांगी गई है । यह प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज वाली किस्मों संबंधी कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रों का विस्तार

1852. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल के लिए खाद्य उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा क्या अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र के विस्तार के लिए हाथ में लिए गए सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी/ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाएं देने की व्यवस्था हैं । इसमें लगभग 32 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों का विस्तार भी शामिल है ।

भारत सरकार ने इस वर्ष रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई हेतु शीघ्र तैयार होने वाली लघु सिंचाई कार्यक्रम शुरू करने के लिए ऋण के रूप में 152.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति दी है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को और अधिक कृषि आदानों के वितरण के लिए 92 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण भी दिया गया है ।

Criteria for recognition of Irrigated and Non-Irrigated Land

1853. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the type of land recognised by the Government as irrigated land and semi-irrigated land;

(b) the type of land irrigated from private sources recognised as irrigated land;

(c) whether the land of hilly rocky areas has been kept in view while fixation of land ceilings; and

(d) if so, the criterion thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Lands irrigated by canals, tanks, well and "other sources" are recognised as irrigated land for the purpose of land use statistics prepared by the Government. No "semi irrigated" land is reconigsed.

(b) Lands irrigated by private canals, private tubewells, private wells, private tanks and private lift irrigation schems are treated as irrigated land for the above purpose.

(c) & (d). The National Guidelines drawn up on the basis of conclusions of the Chief Ministers' Conference on Ceiling on Agricultural Holdings held on July 23, 1972 prescribed ceiling for land with assured irrigation capable of growing two crops in a year and for land with assured irrigation foı only one crop in a year. In regard to other types of land the Guidelines stated : "for all other types of land the ceiling shall not exceed 54 acres. In areas where theıe is potential for sinking tubewells the ceiling for dry lands may be kept below 54 acres in the discretion of the State Government. In special cases like desert areas and hilly areas the ceiling for category (iii) may have to be relaxed. The State Governments may discuss specific cases with the Ministry of Agriculture before formulating their ceiling law."

बार-बार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए छोटी सिंचाई टंकियां

1854. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बार-बार पड़ने वाले सूखे की स्थिति से निपटने के लिए समूचे देश में छोटी सिंचाई टंकियां बनाने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु, राज्य वार, अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है अथवा देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चिरकाल से सूखे से प्रभावित चुनींदा क्षेत्रों में सिंचाई को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए विभिन्न राज्यों को चुनींदा क्षेत्रों में योजनाओं की व्यावहारिकता के आधार पर मध्यम लघु सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सिंचाई योजनाओं में उठाऊ, तालाब, नलकूप, चैक-डेम, खुदाई कुएं, पकेलिशन टेंक, खादिन आदि शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकारों को सभी अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए, जिनमें लघु सिंचाई भी शामिल है, स्वीकृत परिव्यय के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि दी गई है। सबन्धित राज्यों को 1972-73 के दौरान दिये गये अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	175.00
2.	बिहार . .	104.48

क्रम संख्या	राज्य	धनराशि (लाख रुपयों में)
3.	गुजरात	336.00
4.	हरियाणा	100.00
5.	जम्मू तथा कश्मीर	20.00
6.	मध्य प्रदेश	115.00
7.	महाराष्ट्र	200.00
8.	मैसूर	300.00
9.	उड़ीसा	85.00
10.	राजस्थान	410.00
11.	तमिलनाडु	66.00
12.	उत्तर प्रदेश	200.00
13.	पश्चिम बंगाल	50.00‡50.00‡
	कुल :	2161.48‡50.00‡

‡अब तक दी गई 50 लाख रुपये की धनराशि के लिए एक प्रस्ताव आन्तरिक वित्त को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

बिहार में उर्वरक की कमी

1855. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा यह समाचार सच है कि उर्वरक की कमी के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरक की इस कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने कोई सुझाव भेजे है; और

(ग) यदि हां, तो सुझाव क्या है तथा उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने बिहार के समाचार पत्रों में रबी 1972-73 के दौरान राज्य में उर्वरकों की कमी के संबन्ध में छपे समाचारों को मंगाया है । कुल मिलाकर देखा जाये तो देश में उर्वरकों की कमी रही है और अन्य राज्यों की भान्ति बिहार में भी उर्वरकों की उपलब्धि में कुछ कठिनाइयां अनुभव हुई हैं ।

(ख) तथा (ग). बिहार सरकार ने उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है । तथापि, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह उपलब्ध उर्वरकों को अधिक उत्पादनशील किस्मों तथा निर्यातोन्मुखी फसलों के लिये वितरित करें । इसके अलावा राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वह उपलब्ध उर्वरकों का अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर शस्य या कृषि सम्बन्धी अन्य उपायों को भी काम में लाये ।

Development of Desert Areas during Fifth Plan.

1856. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any provision for the development of desert areas of the country particularly those in Rajasthan has been made in the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) whether any provision under Fifth Plan has been made for the installation of tubewells in the desert areas of Barmer, Jodhpur and Pali Districts of Rajasthan; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) to (c). Funds for the development of desert areas in the country are being provided by the Central Government under Desert Development Programme and the Drought Prone Areas Programme. Fifth Plan provisions for desert areas under these programmes have not yet been finalised.

The Government of Rajasthan formulated a proposal for drilling of 400 tubewells in some of the districts covered by the Drought Prone Areas Programme. This includs 230 tubewells in the districts of Barmer, Jodhpur and Pali. The proposal has been accepted, in principle, and 173 tubewells have been cleared in consulation with the Central Ground Water Board. These tubewells are likely to be completed during the Plan period. Provision for Fifth Five Year Plan are, however, still undecided.

नई दिल्ली नगर पालिका के प्रवर्त्तन कर्मचारियों द्वारा पटरी पर सौदा बेचने वालों को तंग किया जाना

1857. श्री लालजी भाई : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के प्रवर्त्तन कर्मचारी पटरी पर सौदा बेचने वालों के साथ निर्मम व्यवहार करते हैं और उनसे सामान छीन लेते हैं तथा अधिकारियों द्वारा भारी दण्ड लगाये जाने के बावजूद अधिकांश सामान उन्हें वापिस नहीं लौटाया जाता हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहत्ता): (क) तथा (ख). जी, नहीं सिवाय उन मामलों के जहां सामान के मालिक अपनी चीजों की पीछे छोड़कर भाग जाते हैं अथवा रसीद लेने के लिए न आने के परिणाम स्वरूप उन्हें रसीद देना सम्भव नहीं होता, उठाए गये सामान के बारे में यथोचित रसीदें दी जाती हैं । जो अपराधी नगर निगम के कार्यालय में अपना सामान वापस लेने के लिए आते हैं उन से जुर्माना लेकर, जो अधिनियम के अधीन अधिक से अधिक 50 रुपये है, उनका जब्त किया गया सारा सामान वापस कर दिया जाता है । स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में उचित प्रचार के पश्चात् जब्त किया गया वह सामान आम नीलाम द्वारा बेच दिया जाता है जिसका कोई दावेदार नहीं आता।

बाल अपराध

1858. श्री दिनेश जोरदार :

श्री के० मालन्ना :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अपराधों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे अपराधों को कम करने के सम्बन्ध में उसने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) 1970 में बाल अपराधों की संख्या बढ़ती हुई बताई गई है । फिर भी, 1966-70 के दौरान किये गये बाल अपराधों के उपलब्ध आंकड़ों से बढ़ती हुई प्रवृति प्रतीत नहीं होती :—

वर्ष	बताये गये अपराध
1966	22077
1967	22853
1968	21385
1969	21703
1970	27226

(ग) लगभग सभी राज्य सरकारों ने बाल अधिनियम बना रखे हैं जो किशोर अपराधियों उपेक्षित, अनियन्त्रित तथा प्रपीड़ित बच्चों के लिये भी सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था प्रदान करते हैं । ये अधिनियम उन लोगों के लिये भी दण्ड प्रदान करते हैं जो इस प्रकार के बच्चों का शोषण करते हैं ।

राज्य सरकारों से यह भी निवेदन किया गया है कि वे अपराध निरोधक कार्यक्रमों के लिये विशेष कक्षों और विशेष पुलिस एककों की स्थापना, स्थानीय सलाहकार समितियों आदि का गठन जैसी सिफारिशों को क्रियान्वित करें ।

Assurance of Prime Minister for conversion of Desert areas of Kutch and Rajasthan into Green Areas

1859. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Prime Minister toured Kutch and Rajasthan area during January, 1973;

(b) whether she gave an assurance to the people of both the areas that desert regions in these States will be converted into green ones through scientific means; and

(c) if so, the taken so far and the steps proposed to be taken in future in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir.

(b) The Prime Minister said that desert areas could be developed by application of modern scientific methods;

(c) The Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, has been carrying on researches with a view to scientific development of arid areas in the country. The institute has developed technology in desert agronomy to raise successful crops of bajra H. B. 3 Moong S-8 and S-12 guar palsana, castor Gujarat hybrid-3, etc. and in silviculture to establish grass and three vegetation in arid regions. Among the grasses, *Lasiurus sindicus*, *cenchrus ciliaris*, *Cenchrus Setigerus*, *Panicum* antidotale and *Dichanthum annulatum* have been recommended to improve grass land in arid and semi-arid regions of Rajasthan. Apart from the indegenous tree species like *Prosopis juliflora*, *Acacia senegal*, etc. exotic species

like *Acacia tortilis* and *Eucalyptus camaldulensis* have been recommended for arid and semi-arid areas. Techniques for stabilising sand dunes and shifting and a establishing shelter belts and wind breaks have also been evolved and demonstrated in the field. The institute has shown that under irrigation, a variety of crops including wheat, chillies, etc. can be raised with high crops yields.

2. Schemes of soil and moisture conservation, afforestation, minor irrigation, grass land development etc. have already been initiated on Pilot basis in desert areas of Rajasthan and Gujarat.

3. A Task Force on Integrated Rural Development under a Member of the Planning Commission is examining the strategy of development in different land and water situations including draught-prone areas and desert areas.

नौकरी करने वाली महिलाओं के लिये होस्टलों की कमी

1860. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बड़े नगरों विशेषकर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो बड़े नगरों में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए और अधिक होस्टल बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए अपेक्षित होस्टल-वास की मांग का कोई निर्धारण नहीं किया गया है । तथापि, होस्टल-वास की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक होगी।

(ख) सामान्य पूल के वास की पात्र केन्द्रीय सरकार की महिला-कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में हाल ही में बनाए गये नये होस्टलों में से एक में कुछ वास सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है ।

Supply of Foodgrains and Sugar to Madhya Pradesh during last two years

1862. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains supplied to Madhya Pradesh during the last two years ;

(b) the quantity of foodgrains and sugar demanded by Madhya Pradesh Government for the years 1971-72 and 1972-73; and

(c) the quantity thereof supplied by the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The quantity of foodgrains demanded by Madhya Pradesh Government for the

years 1971, 1972 and the first three months of 1973 and the quantity supplied by the Centre are as under:

(In thousand tonnes)

	Quantity demanded	Quantity supplied
1971	148.9	65.5
1972	322.7	237.3
1973 (Jan-Mar '73)	140.0	66.0 allotted of which 22.6 supplied in January.

The quota and quantity of levy sugar allotted to the Madhya Pradesh Government is as under:

(In thousand tonnes)

	Quota	Quantity allotted
1971-72 *(October-Sept., basis)	107.3	107.3
1972-73	72.2	72.2

*No quota was allotted to State Govts., during October, November and December, 1971 due to complete decontrol on sugar from 24-5-1971 to 31-12-1972.

कोर्बेट पार्क (उत्तर प्रदेश) में आरम्भ किया गया 'बाघ बचाओ'—नामक व्यापक कार्यक्रम

1863. **श्री हरी सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर्बेट पार्क, उत्तर प्रदेश में 'बाघ बचाओ' नामक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बाते क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के कोर्बेट पार्क में बाघों को बचाने के लिए परियोजना 1 अप्रैल, 1973 से शुरू की जा रही है ।

(ख) इस परियोजना में भारत के विभिन्न भागों में बाघों के 9 आश्रय स्थलों में, जो वन संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग, घरेलू पशुओं द्वारा चराई और लोगों के अधिक विचरण आदि सभी बाधाओं से मुक्त समझे जाते हैं । आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक दृष्टि से बाघों की देखभाल करने की व्यवस्था है । कर्मचारियों की व्यवस्था करके तथा कर्मचारियों के लिये नवीनतम वैज्ञानिक साधनों की व्यवस्था करके इन आरक्षित स्थानों की पूरी रक्षा की जाती है । 'प्रोटेक्ट टाइगर' की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

बिहार में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये धन का नियतन

1864. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिए भूमि देने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के निष्पादन हेतु केन्द्र से अधिक धन के आवंटन के लिए अनुरोध किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) अनुदानों की स्वीकृति अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर दी जाती है । 21,448 आवास-स्थल देने के लिए बिहार सरकार की परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं जिसे 41.90 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है । राज्य सरकार से प्राप्त अन्य परियोजनाओं की जांच की जा रही है ।

Financial assistance scheme for farmers to meet paucity of natural resources.

1865. **Shri Ishwar Chauwdhry:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State:

(a) whether Government have chalked out any scheme to give financial assistance to farmers to meet the situation arising out of paucity of natural resources; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The Fourth Plan includes certain special schemes like the Small Farmers Development Agencies and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies, Integrated dryland agricultural land development project, Drought Prone areas programme apart from the general programmes for improved agriculture. Under the Small Farmers Development Agencies and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies schemes, small and marginal farmers and agricultural labourers are assisted to increase their production capacity in agriculture and take up subsidiary occupations with financial assistance from the agencies and credit from institutional sources. These agencies have been set up in 87 project areas, as pilot experiments. Under the Integrated dryland agricultural development scheme, 24 pilot projects have been taken up to develop and demonstrate the use of new technology suitable for increasing productivity and the total production in the dry lands. In view of the special nature of these programmes and weak position of farmers in those areas, incentive in the shape of loans and subsidies for various operations involved have been provided to the participating farmers under this scheme. The drought prone areas programme is in operation in 54 selected districts, which are chronically affected by droughts. Under this programme, the severity of scarcity conditions are being mitigated for organising labour incentive and production oriented works like medium bar minor irrigation, soil conservation, aforestation, road and other projects.

निरन्तर दैवी विपत्तियों का सामना करने वाले कृषकों के पुनर्वास के लिये योजनाएं

1866. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषकों के पुनर्वास सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि वे निरन्तर दैवी विपत्तियों का सामना कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित किसानों का पुनर्वास राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । तथापि, सूखे की विपत्ति का सामना करने के लिये देश में चिरकाल से सूखे से प्रभावित 54 चुनींदा जिलों के लिये सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और विभिन्न उपायों से भूमि की उत्पादकता बढ़ाना है, ताकि उन क्षेत्रों में लोगों के लिये एक स्थिर आय सुनिश्चित की जा सके । चुनींदा क्षेत्रों में उठाये गये या प्रस्तावित विभिन्न कदमों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक बहाल हो जायेगी। जहां तक अन्य प्राकृतिक विपत्तियों, जैसे बाढ़ और समुद्री तूफानों का संबन्ध है, भारत सरकार प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

Compulsory Insurance Schemes for Teachers

1867. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for compulsory insurance of teachers; and

(b) if so, the main features thereof and the date from which it would be introduced?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Scheme to increase the number of Lions in the country

1868. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the decreasing number of Lions in the country; and

(b) if so, the names of the schemes formulated to increase number of lions?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) "The Gir Lion Sanctuary Project" is the name of the scheme formulated by the Government of Gujarat.

सूखाग्रस्त और अल्पविकसित पहाड़ी क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के लिए कार्यवाही

1869. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग देश के प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों और पिछड़े तथा अल्प-विकसित पहाड़ी क्षेत्रों को बिजली देने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आयोग ने ग्राम्य विद्युतीकरण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए किसी विशिष्ट अध्ययन दल की नियुक्ति की है और यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत कर दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : भारत में कृषि की वर्तमान प्रगति की जांच करने और उसमें सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी । यह आयोग ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि कार्यों के लिये बिजली के प्रयोग की समस्याओं की भी जांच करेगा । इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए आयोग ने ग्रामीण विद्युतीकरण के संबन्ध में एक कार्यकारी दल का गठन किया है । अभी इस दल ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

तीव्र तथा संतुलित कृषि विकास के लिये प्रशासनिक तथा संस्थागत ढांचे में परिवर्तन

1870. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आर्थिक आयोजकों से कृषि के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रशासनिक तथा संस्थागत ढांचे में उचित परिवर्तन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोजन के नये परिवर्तनों के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा फसल उत्पादन से लेकर कृषि उत्पादन के लिए बाजार तथा उसका वितरण आदि कृषि संबन्धी सभी बातें आ जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : इस समय कृषि मंत्रालय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने में लगा हुआ है । अनुसंधान, फसल उत्पादन कृषि उपज के विपणन तथा वितरण के संबन्ध में इस मंत्रालय की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं और क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय ने कई कार्यकारी दल तथा उप-दल नियुक्त किए हैं । इन दलों के विचारार्थ विषयों में से एक विषय कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाना और बाधाओं को दूर करने और आगामी वर्षों में प्रगति को तीव्र करने के लिए आवश्यक वैधानिक, प्रशासनिक, संस्थात्मक तथा अन्य उपाय सुझाना है । यह उल्लेखनीय है कि कुछ प्रशासनिक तथा संस्थात्मक परिवर्तन

पहले ही आरम्भ किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय कृषि आयोग की "छोटे तथा सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिकों के लिए ऋण सेवाएं" संबन्धी अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर अस्थायी रूप से यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ चुनींदा क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर इस वर्ग को समेकित ऋण सेवा तथा सप्लाई प्रदान के लिए कृषक सेवा सोसायटियां स्थापित की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त हाल ही में सरकार ने रबी विपणन मौसम 1973-74 से गेहूं और बाद में चावल के थोक व्यापार को अपने हाथों में लेने का निर्णय किया है ।

अनाज की सहायता करने के लिये संयुक्त राष्ट्र से अपील

1871. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अनाज की सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील नहीं की है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि उसे सूखे के कारण कमी के बाबजूद इस वर्ष अनाज भेजने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता देने के बारे में कोई अपील नहीं मिली है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र से खाद्य सहायता के लिए कोई अपील नहीं की गई हैं । तथापि, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के विश्व खाद्य कार्यक्रम से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता मांगने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्वास्थ्य बीमा योजना

1872. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित होने की आशा है; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, नहीं । औद्योगिक कर्मचारियों के कतिपय वर्गों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना, को छोड़कर सरकार के पास सारे देश के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

Percentage of Population living in Unauthorised Houses constructed in Delhi

1873. Shri Jagannathrao Joshi:
Shri Hari Singh:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether there has been unauthorised construction of houses in Delhi at a large scale;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the percentage of persons residing in such houses ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) & (b) Yes. This is due partly to the time taken in completing acquisition proceedings and partly to increase in population and a large influx of population from outside Delhi.

(c) No detailed survey has yet been carried out to determine the percentage of such persons to total population.

Stoppage of Aid to Schools imparting Communal Education

1874. Shri Ramavatar Shastri:
Shri D. K. Panda:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to stop giving aid to educational institutions imparting communal education and propagating communalism; and

(b) if so, the salient features thereof and the time by which the said decision is proposed to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) & (b). Authorities of any educational institutions imparting instruction, which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religions and languages, groups or castes or communities and which disturbs or is likely to disturb public tranquillity will render themselves liable to punishment under Section 153(a) of the Indian Penal Code. If such an offence is proved, Government grant, if any, will no longer be available to the educational institutions.

Attention of the State Governments is also being drawn to this.

Abolition of Pre-Medical Course in Delhi University

1875. Shri Ramavatar Shastri:
Shri Ramsahai Pandey:

Will the Minister of **Health anf Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Delhi University has decided to discontinue Pre-medical courses;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Sh. A. K. Kisku): (a) Yes.

(b) & (c). As the Pre-medical course of Delhi University was being conducted in Science Colleges, there was no co-relation between the number of seats available in the Medical Colleges and the number of admissions to the Pre-medical course. However, the designation of the course as "Pre-medical" gave an erroneous impression to the students that their subsequent admission to the MBBS course was guaranteed. Hence when they did well in the Pre-medical Examination and even then failed to get admission to MBBS course, they felt frustated. In order to remove the cause of this anomaly, the University of Delhi, on a suggestion from the Government, have decided to abolish the Pre-medical course from the academic session of 1973-74 and to introduce B.Sc. (Hons.) in Botany Zoology/B.Sc. (Gen.) 'B' in Botany, Zoology, Chemistry course with additional Physics so that students wishing to take up medical education at the end of the first year of the B.Sc. (Common) course will be eligible to seek admission to the MBBS course. The admission to the MBBS course is, however, proposed to be made on the basis of an entrance examination to be conducted by the University to which students who have passed the examination of first year B.Sc. (Hon's)/B.Sc. (General) 'B' will be eligible to appear subject to the conditions to be laid down in this behalf by the University.

Government consider this as a reasonable solution of the problems connected with admission to medical colleges in Delhi.

शिक्षा में मूल परिवर्तनों के बारे में प्रधान मंत्री का भाषण

1876. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये कई भाषणों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने कहा है कि सरकार का विचार शिक्षा में मूल परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : शैक्षणिक पद्धति में बुनियादी परिवर्तनों के लिए प्रधानमंत्री की उत्सुकता सर्वविदित है । तदनुसार, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का देश में शैक्षिक पद्धति में पुनर्निमाण के लिए इस व्यापक तथा महत्वपूर्ण प्रयत्न करने का प्रस्ताव है, ताकि इसे सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बनाया जा सके । शिक्षा के लिए योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की दिनांक 18-19 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस प्रारूप कर व्यापक रुप से अनुमो[illegible] भी कर दिया गया है ।

इस कार्यक्रम की मुख्य 2 बातें निम्नलिखित हैं :–

1. शिक्षा संबंधी प्रणाली में परिवर्तन ।

2. स्तरों में सुधार ।

3. विशेष रुप से समाज के कमजोर वर्ग के लिए, पूव स्कूल विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम को शुरू करना ।

4. 6-11 वर्ग के आयु वर्ग के लिए 1975-76 तक तथा 6-14 आयु वर्ग के लिए 1980-81 तक सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।

5. सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, स्कूल तथा कालेज कक्षाओं की एक समान पद्धति अर्थात् 10+2+3 का अपनाया जाना ।

6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण और स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव का शिक्षा के अभिन्न मार्ग के रूप में चालू करना ।

7. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नीति का विकास करना जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा खासतोर से समाज के अति दलित वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय की सर्वोतम शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके ।

8. 14-25 वर्ग के आयु-वर्ग के लोगों के लिए युवक आन्दोलन शुरू करना ।

9. कालेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का पुनर्गठन ।

10. तकनीकी शिक्षा का विकास ।

11. राष्ट्रीय समाज सेवा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना ।

12. व विस्तार तथा कोटि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।

राजपुरा में कस्तूरबा रुरल इन्स्टीट्यूट

1877. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री भोला मांझी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब कालेज अध्यापक संघ ने राजपुरा (पंजाब) स्थित कस्तूरबा रूरल इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण की जांच करने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). कस्तूरबा ग्रामीण संस्थान, राजपुरा के उन अध्यापकों के बारे में, जिनकी सेवाएं संस्थान द्वारा समाप्त कर दी गई थी, पंजाब कालेज अध्यापक संघ से अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह संस्थान, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से सम्बद्ध एक स्वायत्तशासी संस्थान है और इसके अध्यापक अपनी-अपनी नियुक्ति में संबंधित शर्तों और विश्वविद्याल य के नियमों से अभिशासित होते हैं।

अनाज के वितरण की प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये योजना

1878. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनाज के वितरण की प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, खाद्यान्नों का उचित मूल्य की दुकानों से वितरण सुधारने के लिए किये गए उपाय इस प्रकार हैं (क) सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना (ख) सामान्य स्टाक सहकारी भण्डार सहित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बांटना (ग) उचित मूल्य की दुकानों से केवल कार्डधारियों को खाद्यान्न देना (घ) उचित मूल्य की दुकानों, खाद्य कार्डों और प्रतिष्ठान परमिटों की अचानक जांच करना (ङ) उचित मूल्य की दुकानों से साप्ताहिक पाक्षिक आधार पर खाद्यान्न देना ताकि इन दुकानों से वितरण समान हो सके और उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों द्वारा खाद्यान्नों का अपव्यय रोका जा सके (च) दीर्घकालीन उपाय के रूप में उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर ये खाद्यान्न नियमित रुप से सप्लाई करने के लिए अगले रबी विपणन मौसम से गेहूं और बाद में चावल का थोक व्यापार लेना और (छ) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन और सेवा सहकारी समितियों का खुदरा वितरण के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना।

महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बीच के स्तर की छोटी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

1897. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष महाराष्ट्र में चुने गये छः जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बीच के स्तर की छोटी कितनी सिंचाई योजनाओं तथा कुल कितने परिव्यय को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) संगली जिले में ऐसी किस किस योजना के लिए कितने कितने परिव्यय की स्वीकृति दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : महाराष्ट्र के छः चुनीदा जिलों में 11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 233 लघु सिंचाई निर्माण-कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1972-73 के दौरान चालू और स्वीकृत योजनाओं के लिए 538.33 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

(ख) जैसा कि अनुबन्ध 1 में दिया गया है, अकेले संगली जिले में ही 171.16 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 30 लघु सिंचाई योजनायें स्वीकृत की गई हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल ०टी०—4383/73**] चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए 48.74 लाख रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है।

चौथी योजना में उड़ीसा के लिए निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करना

1880. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उड़ीसा के लिए निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने के लिए किसी राशि का उपबन्ध किया गया था,

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का उपबन्ध किया गया था ; और अब तक उस में से कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) उड़ीसा में ऐसे मकानों का निर्माण किन स्थानों पर किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). निम्न आय वर्ग आवास योजना प्लान के राज्य क्षेत्र में है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को जिनमें उड़ीसा भी शामिल है। राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय

सहायता, वित्त मंत्रालय द्वारा "खंड' ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है जो विकास के के किसी कार्यक्रम विशेष से संबद्ध नहीं है। उड़ीसा समेत राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार आवास सहित किसी भी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को नियमित करने में पूर्णतया स्वतंत्र है । चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम 4 वर्षों में उडीसा सरकार द्वारा निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय किए जाने की सूचना मिली है :

वर्ष	लाख रुपयों में
1969-70	11.97
1970-71	11.44
1971-72	14.95
1972-73	17.00 (प्रत्याशित)
	55.36

(ग) जहां मकान बनाए गए हैं या बनाये जा रहे हैं उन स्थानों के बारे में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती ।

उड़ीसा में सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

1881. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने चतुर्थ योजना में सामाजिक आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत मकानों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में चतुर्थ योजना के दौरान अब तक कहां-कहां, कितने-कितने मकान बनाए गए हैं और इस योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(ग) उड़ीसा को इन आवास योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी और अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां, । निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्य के अनुसार उन द्वारा लगभग 5,000 मकान बनाए जाने की संभावना है । उपर्युक्त लक्ष्य के विपरीत चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में अर्थात् 1971-72 के वर्ष के अन्त तक, बनाए गए मकानों की संख्या 3428 है। इसके अतिरिक्त 1972-73 के वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा 1082 और मकान बनाए जाने की आशा है। उड़ीसा में चल रही सभी सामाजिक आवास योजनाएं (ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवासस्थल देने की योजना को छोड़कर) राज्य क्षेत्र में है। राज्यों में मकानों के निर्माण के स्थानों के नाम इस मंत्रालय मे नहीं रखे जाते ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र की सारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा "खण्ड ऋणों" तथा "खण्ड अनुदानों" के रूप मे इकट्ठी दी जा रही है । यह खण्ड केन्द्रीय सहायता किसी योजना परियोजना अथवा विकास

के शीर्ष विशेष से सम्बद्ध नहीं है। आवास सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए वे उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार खण्ड केन्द्रीय सहायता का नियतन करने में स्वतंत्र हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 265 लाख रुपये का व्यय किए जाने की सूचना मिली है। इसके विपरीत इन तीन वर्षों में, ऊपर बताई गई केन्द्रीय खण्ड सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार को जीवन बीमा निगम से 330 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध किए गए थे।

किसानों की ऋणग्रस्तता का मूल्यांकन

1882. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में, राज्यवार, किसानों की ऋणग्रस्तता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1970–71 और वर्ष 1971–72 में, राज्यवार, किसानों को बैंकों, सहकारी समितियों, भूमि बन्धक बैंकों और अन्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं का तकावी, कृषि सम्बन्धी तथा अन्य सभी प्रकार के सरकारी ऋणों के रूप में कितना धन देना था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). देश में, राज्यवार आधार पर किसानों की ऋणग्रस्तता के बारे में अभी हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों आदि की बकाया धनराशि के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। **(देखिए संख्या एल०टी०4384/73)**

भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ से सम्बद्ध करना

1883. **श्री योगेन्द्र झा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ द्वारा सदस्य बनाने के लिए अनुरोध किए जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ के साथ सम्बद्ध करने के लिए हुई बातचीत के बारे में 11 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बातचीत इस वर्ष पूरी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ के प्रतिनिधियों से अभी हाल ही में बातचीत की। भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का सदस्य बनने के प्रश्न पर अभी निर्णय लेना है।

Construction of Roads or Bridges in Northern part of Bihar

1884. Shri Bhogendra Jha: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the names of places where there are bottlenecks in the construction of roads or bridges between Bagha, Sitamarhi, Shaharghat, Umgaon, Jainagar, Laukaha, Parbis-

ganj in the Northern part of Bihar, parallel to the Border of Nepal for construction of a regular road transport and the time by which unobstructed road transport would be ready;

(b) the progress made in regard to the construction of bridges over the Kamla and the Kosi rivers for extending the lateral road of National Highway via Muzaffarpur-Darbhanga-Phulparas beyond the Kosi river; and

(c) the time by which the said construction work would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) The road connecting these places when constructed would be a State Road. The State Government are, therefore, primarily cocerned with all matters, pertaining to this project.

(b) & (c) Bridges over the river Kamla and Kosi would fall on the Darbhanga-Forbesganj missing link of the Lateral Road. The work on this link is now being financed as part of the programme of Strategic Roads. The State Govt. have been requested to send plans and estimates which are awaited. Details about the exact location of these bridges and the time of their completion etc. can be indicated only after the detailsed survey of the alignment of this route has been completed by the State Govt. the alignment approved and the detailed project sanctioned by the Government of India.

Widening of G.T. Road

1885. Shri Bhogendra Jha:
Shri B. K. Daschowdhury:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state;

(a) the year-wise number of truck, car and other vehicular accidents on the Grand Trunk Road (Calcutta-Amritsar) during the last three years;

(b) whether there is any scheme to widen the Grand Trunk Road and make it metalled; and

(c) if so, the salient features thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए बीस वर्षीय योजना

1887. श्री हरी सिंह :
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1973 में भारतीय क्षय रोग संघ की विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई भारत में क्षय रोग पर नियंत्रण करने की 20 वर्षीय योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रन्थागार कलकत्ता में मुगलकाल की दुर्लभ पुस्तकें

1888. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रन्थागार कलकत्ता में मुगलकाल की कुछ संरक्षित दुर्लभ पुस्तकें बहुत खस्ता हालत में है, और

(ख) यदि हां, तो उन दुर्लभ पुस्तकों को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के उप भवन के एक वातानुकूलित कमरे में लोहे की आलमारियों में, मुगल तथा पूर्व मुगलकालों की 3450 दुर्लभ पुस्तकें तथा 1495 पाण्डुलिपियां रखी हुई हैं। इन पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों को समय समय पर धुआरित किया जाता है तथा समुचित रूप से उनकी देख भाल की जाती है। पिछले तीन वर्षों में पुस्तकालय के परिरक्षण तथा प्रयोगशाला प्रभागों में काफी संख्या में पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की मरम्मत की है, जिसमें अंगुर पत्तियों का आपट्टन और मरम्मत तथा जिल्दबंदी भी शामिल है। पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना अवधि, में इस कार्य को तेज किया जाएगा। परिरक्षण तथा प्रयोगशाला प्रभागों के लिए कुछ अतिरिक्त पद हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं ? मुगलकाल की काफी संख्या में दुर्लभ पुस्तकों की प्रतियां पुस्तकालय के पदनाम सरकार संकलन में उपलब्ध हैं जिनका मुगलकाल पर अनुसंधान करने वाले अध्येताओं द्वारा अकसर अवलोकन किया जाता है ?

टाइप II के सरकारी आवासों का आवंटन

1889. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो टाइप III, IV तथा V के आवास प्राप्त करने के हकदार हैं टाइप II के आवासों में रह रहे हैं यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को उसी टाइप के आवास प्रदान करने की पेशकश की गई थी जिसके कि वे हकदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा उस टाइप का आवास न लिये जाने के क्या कारण हैं जिस के कि वे हकदार थे और जिसके टाईप II के आवास लेने के हकदार कर्मचारियों को उस टाइप का आवास मिल सकता है, और उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां। सामान्य पूल से वास का आवंटन पात्र कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों तथा प्राथमिकता की तारीखों के आधार पर किया जाता है । आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे

कर्मचारी जो निचले टाइप के मकान को रखना चाहते हों वे बिना किसी दण्ड के ऐसे कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने ऐसा विकल्प अपने आवेदन-पत्र में दिया हो ।

(ख) उन कर्मचारियों में से कुछ को, जो काफ़ी वरिष्ठ थे, उनकी बारी पर उनके पात्र टाइप के वास की पेशकश की गई थी।

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अपने पात्र टाइप को स्वीकार न किए जाने के कारणों का सरकार को ज्ञान नहीं है क्यों कि उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे कारण बताएं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की बैठक

1890. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों की ऊंचे वेतन-मानों में पदोन्नत करने के सम्बन्ध में बैठक में क्या निर्णय किये गये और क्या सिफारिशें की गयी;

(ग) क्या उपकुलपतियों की सिफारिशों के परिणामस्वरुप शिक्षकों में कोई आक्रोश है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच पदोन्नति की समस्या का समाधान करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने 11 जनवरी, 1972 की हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 'व्यक्तिक पदोन्नतियों' में शामिल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन पदों के रूपान्तरण/ग्रेड बढ़ाने के आम प्रश्न पर विचार करके निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सीमित संख्या में सर्वोतम अध्यापकों के मामले में, जोकि विभाग की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा (और व्यक्तिशः नहीं) प्राध्यापकों के पदों को रीडरों तथा रीडरों के पदों को प्रोफेसरों के पदों में प्रोन्नत करने की, वर्ष में एक बार (फरवरी के अन्त में) सुझाव देंगे।

(2) इस प्रकार सिफारिश किए गए मामलों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में कुल स्टाफ (आयोजनेतर) के 5 प्रतिशत से आमतोर पर अधिक नहीं होगी।

(3) पदों के ग्रेड बढ़ाने के फलस्वरुप अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था, विश्वविद्यालय, सामान्य राजस्व बजट से करेंगे और कोई अतिरिक्त अनुदान देय न होगा । इन सिफारिशों तथा बाद में एक समिति द्वारा तैयार किए गए मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के व्यक्तिक पदोन्नतियां' नामक एक योजना तैयार की है । इस योजना के कार्यान्वियन के फलस्वरुप अध्यापकों में क्षोभ के बारे में आयोग को जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Appointment of P.T. Instructors in Primary Schools of N.D.M.C.

1891. Shri Anant Persad Dhusia:
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the New Delhi Municipal Committee had obtained the approval of the Delhi Administration and the Central Government prior to making appointment of P.T. Instructors in Primary schools;

(b) whether P.T. Instructors have also been provided in primary schools in Delhi, other than those run by the New Delhi Municipal Committee; and

(c) if so, their pay-scales vis-a-vis the pay-scales of P.T. Instructors of New Delhi Municipal Committee and the basis on which the New Delhi Municipal Committee has given these pay-scales ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare & in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The New Delhi Municipal Committee has informed that the Director of Education was consulted at the time of creation of posts of P.T. Instructors in primary schools. The Committee has further stated that the concurrence of concerned Division of the Ministry of Finance was also obtained.

(b) & (c) Necessary information is being collected from the authorities concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

कुरवई फसल की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1892. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा थंजावूर जिले में कुरवई फसल की वसूली के लिए हर वर्ष भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) धान खरीदने में भारतीय खाद्य निगम की ओर से विचौलियों की सेवाएं समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं जैसा कि कई वर्षों से किया जा रहा था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने विचौलियों की सहायता के बिना सीधे क्रय केन्द्रों के माध्यम से 1966 से थंजावूर जिले में धान की अधिप्राप्ति शुरू की थी। 1967 मौसम में तमिल नाडु सरकार ने चाहा कि बड़े पैमाने पर खरीदारी और संचलन करने के लिए निगम उनके एजेन्ट के रूप में कार्य करे। खरीदारी विषयक कार्य-करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और एजेन्टों द्वारा खरीदारी का राज्य सरकार की क्रय सम्बन्धी योजना को कार्यान्वित किया। 1968,1969 और 1970 मौसमों में वही कार्यविधि अपनाई गयी थी।

2 भारतीय खाद्य निगम सरकार की नीति के अनुसार खरीदारी करता है और काश्तकारों के लिए साहाय्य मूल्य सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने और काश्तकारों के साथ उत्तरोत्तर सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विचौलियों को समाप्त करने का निश्चय किया और 1971–72 के दौरान विचौलिये पूर्णतया समाप्त कर दिए गए और उत्पादकों के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित किया गया।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्टेट फार्म कारपोरेशन

1893. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं की चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, जैसा कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये किया गया है, स्टेट फार्म कारपोरेशन लिमिटेड ने कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय राजकीय फार्मों का उद्देश्य मुख्य रूप से अच्छे बीजों का उत्पादन करना है जिनसे कि वे जिन राज्यों में स्थित हैं, मुख्य रूप से उनकी आवश्यकता पूरी कर सकें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरित क्रांति से मिलने वाले लाभों का छोटे किसानों पर प्रभाव

1894. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या 27 दिसम्बर, 1972 को राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष ने कल्याणी, पश्चिम बंगाल में हुये भारतीय कृषि सांख्यिकीय संस्था के 26 वें सम्मेलन में कहा था कि छोटे किसानों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला है क्योंकि बड़े किसान बहुत शक्तिशाली हैं और कि नई कृषि तकनीकी 'तराजू पर समान' नहीं है अर्थात् इसका झुकाव बढ़े किसानों की ओर है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण-भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर हरित क्रान्ति के प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) समिति के सम्मेलन में राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष के भाषण का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऋण के आभाव और खेतों की वर्तमान परिस्थितियों के कारण कृषि की नई पद्धति से छोटे तथा सीमान्त कृषकों की तुलना में बड़े और अमीर कृषकों को अधिक लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि सिंचाई जल निकास की सुविधाओं और वनस्पति रक्षा के उपाय अपनाने में बड़े भू-स्वामी छोटे कृषकों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में हैं।

(ख) अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध होने से छोटे किसान उत्पादन बढ़ाकर अपने फार्मों को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त कृषकों की सहायता के लिये मार्गदर्शी आधार पर विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आशा है पांचवीं योजना की अवधि में छोटे कृषकों को सहायता देने के और भी कदम उठाये जायेंगे।

(ग) और (घ) : कुछ चुनींदा क्षेत्रों में खाद्यान्नों की नई किस्मों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के सम्बन्ध में इस समय कुछ अध्ययन किए जा रहे हैं। इस अध्ययन का विशेष उद्देश्य इस बात का पता लगाना और यह स्पष्ट करना है कि अधिक उत्पादनशील किस्मों के प्रचलन से ग्रामीण उत्पादन और अन्य व्यवसायों में लगे हुए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के जीवन और उनकी जीविका

पर क्या प्रभाव पड़ता है । यह अध्ययन गेहूं उत्पादन करने वाले चार ज़िलों में शुरू किया गया है और इसका कुछ चावल उगाने वाले ज़िलों में भी विस्तार किया जा रहा है। इस अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा कृषि की प्रगति के विशेष पहलुओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अध्ययन किए जा रहे हैं।

उचित दर की नई दुकानें खोलना

1895. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक उचित दर की कितनी दुकानें खोली जा चुकी हैं; और

(ख) आगामी दो वर्षों में उचित दर की कितनी दुकानें खोलने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में लगभग 1.656 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं ।

(ख) सम्भवतया कोई नियत संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो, उचित मूल्य की और दुकानें खोली जाएं ।

मत्स्यपालन के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र को विकास कार्यक्रम की अनुमति

1896. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में मत्स्यपालन के विकास के लिए दो प्रस्ताव अनुमोदित किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अब तक भारत में तीन मत्स्य पालन विकास योजनाएं अनुमोदित की हैं । इनमें से पहली योजना 1959 में केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षण संस्थान बम्बई में उपस्कर की व्यवस्था करने से संबंधित है। 1967 में अनुमोदित की दूसरी योजना बंगलोर में मत्स्य की बन्दरगाह के निवेश सर्वेक्षण के लिए एक संगठन की स्थापना संबंधी है और 1970 में स्वीकृत की गई तीसरी योजना दक्षिण-पश्चिमी तट पर गहन समुद्र में मत्स्य अन्वेषण के संबंध में है। इनमें से पहली योजना की लागत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 7 लाख डालर के अंशदान को मिलाकर 24 लाख डालर है । दूसरी योजना की लागत 17 लाख डालर है, जिसमें संयंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अंशदान 14 लाख डालर है । ये दोनों योजनायें पूरी कर ली गई हैं । तीसरी योजना, जिसकी लागत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 19 लाख डालर के अंशदान को मिलाकर 29 लाख डालर है, कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विशेष उपस्कर और विशेषज्ञता प्रदान की है।

स्कूलों को दान देने के लिए अभिभावकों को वाद्य किया जाना

1897. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1973 के इण्डियन ऐक्सप्रेस में "पेरेन्टस फोर्सड टू पे डोनेशन्स टू स्कूल्स" (स्कूलों में दान देने के लिए अभिभावकों को वाद्य करना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) अनिवार्य चन्दा दिल्ली शिक्षा संहिता में किए गए उपबन्धों का स्पष्ट उल्लेखन है। समाचार पत्रों में छपे मामलों की शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

पोलैण्ड से जहाजों का खरीदा जाना

1898. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोलैण्ड से जहाज खरीदने का है,

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में पोलैण्ड के प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत की थी जिसने हाल ही में भारत की यात्रा की थी, और

(ग) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां ।

(ग) पोलैण्ड भारत को 1976–80 की अवधि के दौरान 3,00,000 डी० डब्ल्यू टी० तक के विभिन्न प्रकार के जहाज देने के लिए सहमत हो गया है। जहाजों की किस्म तथा वाणिज्यिक वित्तीय तथा तकनीकी शर्तों के बारे में विस्तार से बातचीत की जानी है।

दिल्ली में टाइप I, II तथा III के क्वार्टरों का निर्माण

1899. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार आगामी वर्षों में राजधानी में टाइप I, II तथा III के कुल कितने-कितने क्वार्टर बनायेगी;

(ख) ये क्वार्टर कब तक तैयार हो जायेंगे और कितने कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

(ग) सरकार 10 वर्ष से अधिक सेवा काल पूरा कर चुकने वाले कर्मचारियों को कब तक आवास प्रदान करेगी और आगामी तीन वर्षों में क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरुप कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) अगले 3 वर्षों में दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप I, II तथा III के 3464 क्वार्टर तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) तथा (ग) : क्वार्टरों के निर्माण को पूरा करना निधियों, भवन निर्माण सामग्री व स्थान की उपलब्धता, स्थानीय निकायों द्वारा नक्शों का अनुमोदन तथा उन द्वारा महत्वपूर्ण सेवाओं की व्यवस्था

करने जैसी कई बातों पर निर्भर करता है। अतः इन क्वार्टरों के पूरे होने की ठीक ठीक निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। अगर सामान्य पूल से किसी दूसरे पुल में इन मे से कुछ क्वार्टर अन्तरित नहीं किए जाते तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या वही होगी जो क्वार्टरों की संख्या है। इस समय इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि दस वर्ष से अधिक सेवा काल वाले सभी कर्मचारिबों को सरकार कब तक आवास दे सकेगी ।

जहाजों की भारवहन क्षमता में परिवर्तन

1900. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जहाजों की भारवहन क्षमता में अत्यधिक परिवर्तन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महसूस करती है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विदेशों से 40 लाख टन भारवहन क्षमता के जहाज प्राप्त कर लिये जायेंगे; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं!

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना में नौवहन के लिए लक्ष्य को अभी तक अन्तिम रूप दिया जाना है।

किसानों को जानकारी देने का माध्यम

1901. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री पी० ए० स्वामिनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महसूस करती है कि देश में किसानों को जानकारी देने के लिये किसी अच्छे माध्यम की बहुत आवश्यकता है;

(ख) क्या जानकारी के अभाव में किसान खेती के अच्छे तरीकों और नवीनतम औद्योगिकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय के अधीन कार्य करने वाला फार्म सूचना एकक किसानों को समय-समय पर उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी देता रहता है ताकि देश भर में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान ऐसी उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाएं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये फार्म सूचना एकक साहित्य, पोस्टरों, चार्टों, निर्देशात्मक फिल्मों, दृश्य-श्रव्य साधनों किसानों की भलाई के लिये प्रदर्शनियों तथा खेलों उपयोग करते हुए खेती की नवीनतम तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

Shortfall in utilisation of Funds for Crash Food Production Plan of Rabi Crop

1902. Shri Chandu Lal Chandrakar: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a total amount of Rs. 61.35 crores was spent against the target of Rs. 148.65 crores provided for crash programme for food production during Rabi season ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) & (b): Rs. 61.35 crores represented the amount released upto 3rd January, 1973 against Rs. 148.65 crores which was the total loan assistance administratively approved to State Government upto that date for taking up minor irrigation schemes under the Emergency Agricultural Production Programme. Under the EAPP, against the approved amounts, fund are being released to State Governments from time to time on the basis of the progress reported by them. The latest figure of loan administratively approved is Rs.152.40 crores against which an amount of Rs. 102.53 crores has so far been released.

Alleged Rape Case in Delhi University

1903. **Shri Chandu Lal Chandrakar :**
Shri Muhammed Shariff :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of buses held up by the students in protest against the non-apprehension by Delhi Police of the culprit involved in the rape case in Delhi University ;

(b) whether the culprit has been arrested; and

(c) the action taken against him ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture Prof. S. Nurul Hasan : (a) It is not possible to give the specific figures of buses which were held up only in protest against the incident in question. However, during the period from 28-1-73 to 26-2-73, ten buses were hijacked and sixty-four detained.

(b) Five persons have been arrested in this connection.

(c) On a report lodged by the University, the Roshanara Road Police Station registered a case under Section 376/34 I.P.C. The C.I.D. Crime Branch has taken up the investigation. It is expected that charge sheet will be submitted to the Court concerned shortly.

अरलम राजकीय फार्म केरल की प्रगति

1904. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरलम राजकीय फार्म, केरल, जिसे राजकीय फार्म निगम द्वारा चलाया जाता है, की प्रगति बहुत ही धीमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितने कार्य प्रारम्भ किये गए हैं और किन योजनाओं का कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) फार्म की प्रगति मुख्यतः उस भूमि की उपलब्धि पर निर्भर करती है, जिसे राज्य सरकार जंगल की सफाई के बाद उपलब्ध कराती है। इस फार्म की प्रगति असंतोषजनक नहीं है। तथापि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध कुछ मुकदमे होने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा फार्म को भूमि देने के कार्य की गति धीमी रही है। अब तक राज्य सरकार ने फार्म को 3,958 एकड़ भूमि दी है।

जनवरी, 1973 के अंत तक 835 एकड़ भूमि में काजू, नारियल, रबर आदि के बारहमासी बागान लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1972 की खरीफ फसल के अंतर्गत 453 एकड़ क्षेत्र में धान, टेपिओका, रेड ग्राम आदि फसलें तथा रबी 1972-73 के अंतर्गत 317 एकड़ क्षेत्र में जिन्जली ब्लेक, धान, उड़द आदि फसलें उगाई गईं। वर्ष 1973-74 में 200 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में बागान लगाने के अलावा, वर्ष 1973 की खरीफ फसल के अंतर्गत 6100 एकड़ क्षेत्र तथा वर्ष 1973-74 की रबी फसलों के अंतर्गत 1105 एकड़ क्षेत्र लाने के लिये कार्यक्रम तैयार किया गया है।

9,000 एकड़ क्षेत्र पर नारियल, काजू, सुपारी, अन्नानास तथा रबर आदि बागान फसलों की सघन खेती के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिस पर आगामी 7 से 10 वर्षों तक की अवधि में 2-3 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इस कार्यक्रम को क्रमबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने का विचार है। डिब्बाबन्दी उद्योग की सम्भाव्यता पर भी विचार किया जा रहा है।

कन्नानोर खाद्य निगम यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदन

1905. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नानोर खाद्य निगम चुम्मटुथोजिलाली यूनियन (ए० आई० टी० यू० सी०) से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम के केरल स्थित गोदामों में लदाई, उतराई, परिवहन और भण्डारण आदि कार्यों के लिये ठेका प्रणाली समाप्त की जाए;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यूनियन की मांग इस प्रकार है :—

(1) केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों में खाद्यान्नों के चढ़ाने, उतारने और भेजने से संबंधित कार्य, जिन्हें प्राइवेट ठेकेदार सम्भाल रहे थे, को सीधे भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए; और

(2) ठेकेदारों द्वारा स्थायी रूप से रखे गए मजदूरों को निगम का कर्मचारी समझा जाना चाहिए।

(ग) निगम का परिचालन संबंधी मामला होने के नाते अभ्यावेदन को निगम के विचारार्थ भेज दिया गया है।

गुजरात में अनाज की भारी कमी

1906. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है;

(ख) क्या उचित दर की अधिकांश दुकानें खाली पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गुजरात को अनाज की सप्लाई तेज़ करने और अधिक दुकानें खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और सूखे से प्रभावित तथा कमी वाले अन्य राज्यों की ज़रूरतों को देखते हुए राज्य की उचित ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं।

चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

1907. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता को चलाने में हो रही आर्थिक कठिनाई की जानकारी है;

(ख) सरकार इस संकट को दूर करने के लिये क्या उपाय करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अस्पताल को अनुदान के रूप में कितनी राशि अब तक दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देशबन्धु स्मारक ट्रस्ट अधिकारियों ने, जो चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता को चला रहे हैं, सरकार को यह लिखा है कि वे अस्पताल को चलाने में आर्थिक कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं।

(ख) चिकित्सा एक राज्य विषय है और अस्पतालों के रख-रखाव की ज़िम्मेवारी राज्य सरकार की है। अतः अस्पताल के अधिकारियों को जितनी भी सहायता चाहिये उसके लिये राज्य सरकार से अनुरोध करना उन्हीं का काम है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 1970-71 में इस अस्पताल के रख-रखाव के लिये केवल तदर्थ आधार पर दो लाख रुपये का अनुदान दिया था।

ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु व्यय किया गया धन

1908. **डा० रानेन सेन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी योजना की अवधि में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिये कुल कितनी धनराशि व्यय की है; और

(ख) इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितने औषधालय और अस्पताल खोले गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये राज्य/संघ-शासित क्षेत्र सरकारों को 32.51 करोड़ रुपये की धन-राशि नियत की गई थी क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा उनकी देख-रेख का कार्य राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत है। इस धन राशि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों के निर्माण, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति, औषधियों तथा वाहनों के रख-रखाव आदि पर खर्च किया जाएगा। जिस ढंग से यह खर्च हो रहा है उसे देखते हुए यह लगता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस सारी धन-राशि का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमानों को पूरा करते हों उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपकरणों का एक सेट, रेफ्रीजेटर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और एक वाहन भी दिया जाता है। 30 सितम्बर, 1972 तक ऐसे 2991 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता दी जा चुकी है। "आधारिक स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने" की योजना को भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने इस योजना के लिये 18.98 करोड़ रुपये का नियतन किया है।

इस योजना के लिये अभी तक दी गई वर्षवार केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता
1969-70 .	. 177.07 लाख रुपये
1970-71 .	149.55 लाख रुपये
1971-72 .	. 165.50 लाख रुपये

आशा है कि 1972-73 के दौरान 275.00 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे।

(ख) 1-4-1969 से लेकर 30-9-1972 तक 306 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों की सहायता के लिये समेकित कार्यक्रम

1909 श्री प्रसन्नभाई मेहता

श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन किसानों को अपनी भूमि में सुधार करने के लिये, जिन्हें भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि मिलेगी, उनका मंत्रालय कोई समेकित कार्यक्रम तयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा लागू करने के बाद फालतू भूमि जिन नये व्यक्तियों को बांटी जाएगी, उन्हें वित्तीय सहायता देने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद लिया जाएगा।

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में अतिरिक्त पद बनाना

1910. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्टोर आफिसर, सेलाइन बाथ सुपरवाइज़र और सीनियर ओ० टी० टक्नीशियन जैसे अतिरिक्त पद बनाने का प्रस्ताव गत दो वर्ष से उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) स्टोर आफिसर, सेलाइन बाथ सुपरवाइज़र और सीनियर ओ० टी० टक्नीशियन जैसे अन्य पदों के साथ अतिरिक्त पदों के सृजन के लिये पहले पहल प्रस्ताव जून, 1971 में मिला था। आठ रजिस्ट्रारों के बारे में मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है। बाकी पद नान प्लेन साइड में पदों के सृजन पर लगी रोक की सीमा में आते हैं। फिर भी प्रस्तावों की जांच की गई और स्टोर सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्लास्टर रूम सहायकों, सेलाइन बाथ सुपरवाइज़र, मेडीकल रिकार्ड टेक्नीशियन और एस० ए० एस० अकाउन्टेन्ट के पदों की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है। पदों के सृजन पर लगी रोक को हटाने के लिये अब प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे मंजूरी जारी की जा सके।

Blackmarketing in Vanaspati Oil

1911. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Jagadish Bhattacharyya :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether despite effective increase in the prices of Vanaspati Oil, the manufacturers of Vanaspati Oil are still indulging in blackmarketing ;

(b) whether dealers in Vanaspati Ghee are charging even more than 25 per cent price from the consumers in excess of the prescribed rates ; and

(c) the action taken by Government to check the increase in prices of Vanaspati Ghee and edible oils ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) No reports of over-charging by manufacturers of Vanaspati have been received by Government. However, cases of over-charging at the wholesale or retail stage are noticed by the Central Government Inspectors from time to time, and these are referred to the State Governments concerned for necessary further action.

(c) (i) Vigorous efforts are being made to maximise indigenous production of traditional as well as new oilseed crops such as soyabean and sun-flower.

(ii) Use of groundnut oil in vanaspati has been restricted within specified maximum limits and, in its place, increased usage of substitute oils like cotton seed, mustard, sun-flower and rice bran, is being encouraged.

(iii) A total of about 100,000 tonnes of edible oils has been/is being imported during 1972-73, this is in addition to the supply of about 80,000 tonnes of rapeseed being received from Canada.

Acreage of Land Ceiling fixed for a Family

1912. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land ceiling fixed, treating a family as one unit in the State where law on ceiling on land has been enacted indicating the type of lands.

(b) the categories into which land has been divided, while fixing the ceiling on land; and

(c) the ceiling fixed for each category of land for a family unit, consisting less than five members and more than five members ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (c) A statement is enclosed. [Placed in the Library. *See No.* LT-4385/73].

Foodgrain Warehouses in the Country

1913. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the number of foodgrain warehouses in the country at present, Statewise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) :

STATEMENT

Number of Foodgrain Warehouses in the Country

State	No. of warehouses run by Central warehousing Corpn.	No. of warehouses run by State warehousing Corpn.	No. of owned and hired warehouses with Food Corporation of India	Total
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	29	35	42	106
Assam	3	27	90	120
Bihar	2	44	26	72
Gujarat	11	36	23	70

1	2	3	4	5
Haryana	9	33	53	95
Kerala	3	26	20	49
Madhya Pradesh	7	68	126	201
Maharashtra	14	84	13	111
Mysore	7	44	16	67
Orissa	5	20	24	49
Punjab	7	77	145	229
Rajasthan	3	77	82	162
Tamil Nadu	11	25	18	54
Uttar Pradesh	14	54	111	179
West Bengal	14	25	246	285
Manipur	..	..	5	5
Union Territories	3	..	6	9
TOTAL	142	675	1046	1863

भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल उपलब्ध करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

1913. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आवास मन्त्रालय ने एक हज़ार से अधिक ऐसी परियोजनाओं की मन्जूरी दी है, जिनके अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों के प्रत्येक को आवास स्थल उपलब्ध करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अब तक इस योजना को क्रियान्वित किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को यह आशा थी कि राज्य सरकारें इस बारे में निश्चित परियोजनायें तैयार करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन राज्यों से केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई परियोजनायें प्राप्त हुई हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : जी, हां। आठ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के 5,63,835 परिवारों को आवास स्थल देने के लिये 1299 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 14.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये इन राज्यों को लगभग 3.33 करोड़ रुपये की राशि पहले से ही दे दी गई है ।

(ग) तथा (घ) : जी, हां । 15 राज्यों तथा चण्डीगढ़ के संघ क्षेत्र से परियोजनाएं पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं । अन्य राज्यों से अपनी परियोजनाएं शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है ।

दुर्बल सहकारी समितियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

1915. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर ने सुझाव दिया है कि सहकारी समितियों को कृषि के ऋण के मुख्य संभरणकर्ता के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि कृषि सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें और पांचवीं योजना के कार्यक्रम अर्थपूर्ण बन सकें ;

(ख) क्या राज्य सरकारें सहकारी समितियों को पुनः ठीक मार्ग पर लाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए पुनर्वास कार्यक्रम लागू नहीं कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में घटिया स्तर के मेडिकल कालेजों की अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए विधान

1916. **श्री एम० के० कृष्णप्पा :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में अनेक घटिया स्तर के मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में से कितने मेडिकल कालेज हैं; और

(ग) क्या इन मैडिकल कालेजों की अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए कानून बनाने का सरकार का विचार है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी हां, प्रत्येक राज्य में घटिया स्तर के चिकित्सा कालेजों की संख्या इस प्रकार है :--

बिहार	6
हिमाचल प्रदेश	1
हरियाणा	1
उत्तर प्रदेश	1

(ग) शिक्षा के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय होने के कारण स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा वाले कालेज राज्य सरकारों की विधायी सीमा के अन्तर्गत आते हैं । इसलिए घटिया स्तर के चिकित्सा कालेजों की इस अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वे सम्बन्धित सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना चिकित्सा कालेज खोलने पर रोक

लगाने के लिए आवश्यक कानून पारित करें । हमारे अनुरोधों को मानते हुए बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले ही आवश्यक कानून पारित कर लिये हैं । अन्य राज्य सरकारों से इनका अनुकरण करने के लिए अनुरोध किया गया । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की 31 जनवरी, 1973 को भुवनेश्वर में हुई गत बैठक में भी इस मामले को रखा गया । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया कि दो या इससे अधिक राज्यों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार इस विषय पर आवश्यक कानून पारित करे जिससे इस संबंध में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके । तद्नुसार हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपनी विधान सभाओं के चालू सत्र में इस विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन एक संकल्प पारित करें । दो या इससे अधिक राज्य विधान सभाओं से ऐसे समर्थक संकल्पों के प्राप्त होने पर संसद में एक विधेयक पेश किया जायेगा ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में रोजगार तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना

1917. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा महत्वपूर्ण कालेजों में रोज़गार, सूचना तथा परामर्शदात्री केन्द्रों का जाल बिछाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य बातें क्या हैं और ये कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों में रोजगार, सूचना व सलाहकार ब्यूरो तथा कालेजों में आजीविका सलाहकार यूनिटों की स्थापना के लिए, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम मंत्रालय) ने एक योजना तैयार की थी और राज्य सरकारों से उनके कार्यक्षेत्र में स्थित सभी विश्वविद्यालयों को क्रमिक ढंग से शामिल करने के लिए अनुरोध किया था । इन ब्यूरों तथा यूनिटों में नीतियों तथा कार्यविधियों को निर्धारित करने के लिए, निदेशालय उत्तरदायी है । विश्वविद्यालयों में रोजगार/सूचना-व-सलाहकार ब्यूरों तथा कालेजों में आजीविका सलाहकार यूनिटों को सुदृढ़ स्थापित करने के संबंध में व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(ख) रोजगार, सूचना व सलाहकार ब्यूरो के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) भारत तथा विदेशों में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं तथा छात्रावास की सुविधाओं के सम्बन्ध में सूचना और मार्गदर्शन की व्यवस्था करना;

(2) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना;

(3) व्यावसायिक सूचना प्रदान करना;

(4) विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक स्नातकों को रोजगार सहायता प्रदान करना; और

(5) निजी समस्याओं पर परामर्श देना ।

कालेजों में आजीविका सलाहकार यूनिटों के कार्य सीमित प्रकृति के है और पाठ्यक्रमों तथा विभिन्न व्यवसायों के विषय में परामर्श देने से संबंधित है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोजगार सूचना व सलाहकार ब्यूरो, 51 विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। आजीविका सलाहकार यूनिटों को स्थापित करने के लिए सहायता के संबंध में 18 चुने हुए कालेजों के प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 1973-74 तक, ऐसे 80 कालेजों को सहायता प्रदान करने का सुझाव है।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों को राज्यों द्वारा लागू न करना

1918. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 3 फरवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि 1972 में अखिल भारतीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा की गई 40 प्रतिशत सिफारिशों को भी राज्य सरकारों ने लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष सिफारिशें सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा लागू कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) जी हां। समाचार पत्र में उल्लिखित सुझावों का संबंध मुख्यतः केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अक्तूबर 1971 में हुई बैठक में पारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों की स्थापना सम्बन्धी संकल्प संख्या 11 से था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् एक सलाहकारी निकाय है और इस नाते वह स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के बारे में व्यापक नीति की बातों पर विचार करता है और उनका सुझाव देता है। अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इन सुझावों को यथा सम्भव क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का राज्य काम है यह परिषद् सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की अपने वार्षिक सम्मेलनों में पुनरीक्षण करती है और राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि जहां कहीं आवश्यक हो वे पहले की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करें।

गोल मार्किट क्षेत्र नई दिल्ली में टाइप चार के बहु-मंजिले फ्लैटों का निर्माण

1919. **श्री शशि भूषण :**
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली, में टाइप चार के बहु मंजिले फ्लटों के निर्माण का ठेका अब दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उसका नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह ठेकेदार निर्माण कार्य को पूरा करेगा और इसे अधूरा नहीं छोड़ देगा; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों को कब्जा देने के लिए ये फ्लैट कब तक तैयार हो जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) निर्माण-कार्य श्री आर० पी० चौधरी, इंजीनियर तथा कन्ट्रेक्टर, 61/18 रामजस रोड, नई दिल्ली-15 को तथा विद्युत कार्य सर्वश्री जनरल इलक्ट्रिक वर्क्स, 7 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज दिल्ली-6 को दिया गया है ।

(ग) दोनों ठेकेदारों के ठेके कागज केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक फार्मों पर भरे गये हैं । यदि ठेकेदार कार्य को बाद में छोड़ देता है तो ठेके की सम्बन्धित धाराओं में आवश्यक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति की वसूली की व्यवस्था है ।

(घ) 32 फ्लैटों की 31 अगस्त 1973 तक तैयार हो जाने की आशा है । जुलाई 74 तक शेष 79 फ्लैटों के पूर्ण होने की संभावना है ।

दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड की मरम्मत

1920. **श्री शशि भूषण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड का अधिकांश भाग टूटा पड़ा है और काफी समय से इस की मरम्मत नहीं की गई है,

(ख) क्या इस रिंग रोड पर यातायात बहुत अधिक रहता है और सड़क के समतल न होने के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और

(ग) इस सड़क की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस की पूरी मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० बी० राना) : (क) दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड की सतह टूटी हुई नहीं है । टूट फूट के कारण सड़क की सतह पर आयी दरारों की जब आवश्यक समझा जाता है, मरम्मत कर दी जाती है ।

(ख) जनवरी, 1972 में की गई यातायात गणना के अनुसार, यातायात अधिक है । सड़क की सतह समतल न होने के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

(ग) यह ज्ञात हुआ है कि दिल्ली प्रशासन के मुख्य इंजीनियर ने दिल्ली प्रशासन को रिंग रोड चरण 1 (आश्रम से सफदरजंग के चौराहे तक) तथा चरण 2 (सफदरजंग के चौराहे से धौला कुआं तक) को सशक्त बनाने के लिए 6,29,840 रुपये और 7,13,200 रुपये के अनुमान अनुमोदनार्थ भेजे हैं । इन कार्यों के स्वीकृत तथा निष्पादित हो जाने पर यातायात के सुप्रवाह के लिए सड़क की सवारी गुण में सुधार हो जायेगा

निम्न/मध्यम आय समूह के लिए डी०डी०ए० के प्लाट

1921. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलाम निकाल कर निम्न और मध्यम आय समूह के लोगों को डी०डी०ए० द्वारा कितने प्लाट दिये गये और उन का क्षेत्रफल क्या था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलाम किये गये प्लाटों की संख्या उनके क्षेत्रफल और स्थानों का ब्यौरा क्या है और नीलाम किये गये प्लाटों की अधिकतम दर क्या थी;

(ग) निम्न और मध्यम आय समूह के लोगों को दिए गए प्लाटों और नीलामी कर के उच्च आय समूह के व्यक्तियों को इस प्रकार दिये गये प्लाटों का अनुपात क्या है ; और

(घ) निम्न और मध्यम आय समूह के लोगों को डी०डी०ए० के माध्यम से प्लाट देने की सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) 1969-70, 70-71 तथा 71-72 वर्षों के दौरान 126 से 200 वर्ग गज के बीच 2050 प्लाट ।

(ख) 1969-70, 70-71 तथा 71-72 के दौरान प्रत्येक 200 वर्ग गज से अधिक के विभिन्न आकार के 2452 प्लाटों की नीलामी द्वारा बेचा गया । प्लाटों का स्थान तथा अधिकतम दर, जिस पर प्रत्येक क्षेत्र में प्लाटों को नीलाम किया गया, संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) क तथा ख के बीच अनुपात 1:1.2 का है ।

(घ) सरकार की भविष्य की योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से निम्न तथा मध्यम आय वर्गों को भूखण्डों तथा मकानों को पर्ची डाल कर देने की है जो बड़े प्लाटों का नीलामी द्वारा लाभकारी प्रयोग के उद्देश्य के अनुकूल है ताकि सरकार द्वारा दी गई मूल पूंजी का आवर्तन हो सके ।

विवरण

क्रम सं०	प्लाटों का स्थान	वर्ष 1969-70 से 1971-72 के दौरान नीलाम किये गये प्लाटों की कुल संख्या	प्रति वर्ग मीटर उच्चतम दर जिस पर प्लाटों को नीलाम किया गया
1.	नजफगढ़ रोड . . .	7	180 रुपये
2.	सफदरजंग .	180	250 रुपये
3.	ईस्ट आफ कैलाश	79	267 रुपये
4.	नारायणा .	147	221 रुपये
5.	वज़ीर पुर	485	226 रुपये
6.	झिलमिल .	48	132 रुपये
7.	मालवीय नगर	420	163 पये
8.	फ्रेंड्स कालोनी	73	334 रुपये
9.	पंखा रोड . .	661	108 रुपये
10.	पश्चिम पुरी . . .	212	113 रुपये
11.	मस्जिद मोठ	140	242 रुपये

सी० आर० दास मेमोरियल अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण

1922. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को कहीं से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वह सी०आर० दास मैमोरियल अस्पताल (सेवा सदन) और कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :—(क) जी हां ।

(ख) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता को लेने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । सी० आर० दास मैमोरियल अस्पताल (सेवा सदन) को लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को गेहूं और चावल की सप्लाई

1923. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :—क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 और 1972 में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को कुल कितना गेहूं और चावल दिया गया; और

(ख) क्या इस सप्लाई से वहां की समस्या पर्याप्त रूप में हल की जा सकी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :— (क) और (ख): केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1970, 1971 और 1972 के दौरान पश्चिमी बंगाल, बिहर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की उचित जरूरतें पूरी करने के लिए गेहूं और चावल की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई थी :–

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	अनाज	1970	1971	1972
पश्चिमी बंगाल .	चावल	387	694	647
	गेहूं	1132	1190	1338
बिहार	चावल	20	5	9
	गेहूं	585	464	659
उड़ीसा	चावल	—	4	76
	गेहूं	76	112	180
उत्तर प्रदेश	चावल	—	2	—
	गेहूं	398	184	

नेहरु युवक केन्द्रों का खोला जाना

1924. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** :--क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1972 तक कुल कितने नेहरू युवक केन्द्र खोले गए,

(ख) क्या इन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम निश्चित किया गया है, और

(ग) इस सुझाव से कितनी राज्य सरकारें लाभान्वित हुई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) :--

(क) से (ग) : अब तक विभिन्न राज्यों में 82 नेहरू युवक केन्द्री स्थापित करने के संबन्ध में संस्कृति जारी की गई है । 64 युवक समन्वयकों ने अपना कार्य भार संभाल लिया है । शेष समन्वयकों का अभी चयन किया जाना है और इस मामले पर संबन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

क्योंकि यह एक युवक कार्यक्रम है, इसलिए युवकों से विचार-विमर्ष करना तथा उन्हें इस कार्यक्रम के विकास में लगाना आवश्यक है । युवक समन्वयकों को इन कार्यक्रमों के विकास के बारे में व्यापक रूपरेखाएं बता दी गई हैं, जिन में 15–25 आयु वर्ग के युवकों के विभिन्न वर्गों के लिए औपचारिक शिक्षा का विकास, सांस्कृतिक कार्यकलापों, खेलों तथा समाज सेवा के जरिये उनके द्वारा रचनात्मक रूप से भाग लेना शामिल है ।

सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को इन केन्द्रों का नियतन कर दया गया है ।

त्रिपुरा में भूख से हुई मौतें

1925. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** :--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सूखे के कारण 117 से अधिक व्यक्ति भूख से मर चुके हैं ; और

(ख) जनता को भूख और मृत्यु से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ख) आवश्यक राहत उपाय किए गए हैं जिनमें ये उपाय शामिल हैं--राहत कार्य खोलना, मुफ्त राहत बांटना, प्रभावित काश्तकारों को कृषि ऋण देना आदि।

एक केन्द्रीय दल ने अगस्त मास में राज्य का दौरा किया था और 88 लाख रुपये के खर्च की सीमा निर्धारित की है जिसमें से 50 लाख रुपय की राशि दी गई है ।

राज्य सरकार को सरकारी वितरण प्रणाली से वितरण करने के लिए खाद्यान्नों का उपयुक्त स्टाक भी दिया गया है ।

Request from Bihar for Additional Allocation under Crash Programme for Rural Employment

1926. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Government of Bihar have requested the Central Government to allo-

(a) Whether Government of Bihai have requested the Central Government to allocate some additional amount for the Crash Programme of rural employment with a view to put an end to the problem of unemployment arising out of drought, floods and cyclones in in the States; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) : The Government of Bihar have requested for additional allocation of funds under the Crash Scheme for Rural Employment in view of its proposal to take up a larger roads programme. The requ st is under consideration in view of the satisfactory progress of implementation of the scheme during the current year.

ग्रामीण अस्पतालों में सेवा करने के लिए चिकित्सीय स्नातकों को प्रोत्साहन देना

1927. **श्री वेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्रामीण अस्पतालों तथा औषधालयों में सेवा करने के लिए सरकार ने मैडिकल ग्रेजुएट्स को प्रोत्साहन देने की पेश कश की थी,

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा संघ इस का विरोध कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता देती है जिससे वे उन डाक्टरों को जो दूरस्थ पिछड़े और दुर्गम माने जाने वाले 400 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं, 150 रुपये प्रतिमास का भत्ता दे सकें।

डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करने के लिए राज्य संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(i) शहरों और ग्रामों में काम करने वाले डाक्टरों का एकीकृत संवर्ग (काडर) बनाना ;

(ii) ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधाएं मुफ्त सजा सजाया मकान सुरक्षित जल पूर्ति बिजली आदि जैसे प्रोत्साहनों की कुल मिलाकर व्यवस्था करना ;

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं में विशेषकर भवनों रिहायशी मकानों आदि में सुधार लाना ;

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक सेवा निवृत्त डाक्टरों को फिर से रोजगार देना ;

(v) अग्रिम वेतन-वृद्धि देना ;

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक मात्रा में दवाइयों और उपकरण की व्यवस्था करना। मैडिकल छात्रों को कुछ वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से कुछेक राज्यों ने उन्हें शिक्षावृत्ति/छात्रवृत्ति देने का भी प्रस्ताव किया है ; और

(vii) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा कार्य करने वाले उपलब्ध व्यक्तियों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न किय जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन

1928. **श्री वेकारिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या प्रधान मंत्री को उन के गुजरात के अकालग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के समय गुजरात के मुख्य मंत्री ने कोई ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री को 8-1-1973 को गुजरात राज्य के अपने दौरे के दौरान गुजरात के मुख्य मंत्री से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को राज्य में कमी की स्थिति और उसका मुकाबला करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों से अवगत किया था। एक केन्द्रीय दल ने 22 फरवरी, 1973 को राज्य का दौरा किया था ताकि राहत के लिए खर्चे की सीमा की सिफारिश की जा सके। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम् द्वारा अर्जित लाभ

1929. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने गत वर्ष के 5.70 लाख रुपये के लाभ की तुलना में इस वर्ष 58.93 लाख रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो लाभ की राशि में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस शिपयार्ड से आगामी वर्ष लाभ की यही दर बनाये रखने की आशा की जाती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) सूखी गोदी के चालू हो जाने के फलस्वरूप यह मुख्यत: जहाजों की मरम्मत में वृद्धि के कारण हैं ।

(ग) यह बताना कठिन है कि यह लाभ जारी रहेगा ।

फरमासिस्टों द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी औषधालय

1930. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेकों सरकारी औषधालय (नगरीय तथा ग्रामीण) ऐसे हैं जिनमें केवल फारमासिस्ट ही काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्रमश: ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कितने कितने औषधालय हैं; और

(ग) क्या औषधालय चलाने के लिये फारमासिस्टों को समर्थ समझा जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने के विरुद्ध राज्य सरकारों को चेतावनी

1931. **डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के विरुद्ध राज्य सरकारों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह चेतावनी देने का क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में डाक्टरों और जनसंख्या का अनुपात क्या है ; और

(घ) वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अभीष्ट न्यूनतम अनुपात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) डाक्टर-जनसंख्या का अनुपात जैसा कि मुदालियर समिति ने सुझाया था 1:3500 है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	डाक्टर-जनसंख्या अनुपात
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1:4922
2.	असम	1:3139
3.	बिहार	1:6444
4.	गुजरात	1:3338
5.	हरियाणा	1:7089
6.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त नहीं हुआ
7.	जम्मू तथा कश्मीर	प्राप्त नहीं हुआ
8.	केरल	1:4742
9.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं हुआ
10.	महाराष्ट्र	1:2592
11.	मणिपुर	1:8000
12.	मेघालय	प्राप्त नहीं हुआ
13.	मैसूर	1:5300
14.	नागालैण्ड	1:5976
15.	उड़ीसा	1:7008
16.	पंजाब	1:2585
17.	राजस्थान	प्राप्त नहीं हुआ
18.	तमिलनाडु	1:1988
19.	त्रिपुरा	1:7000

1	2	3
20.	उत्तर प्रदेश	1:7672
21.	पश्चिम बंगाल	1:1850
22.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	1:2449
23.	अरुणाचल	1:2945
24.	चण्डिगढ़	1:905
25.	दादर व नगर हवेली	1:1500
26.	दिल्ली	प्राप्त नहीं हुआ
27.	गोआ, दमण तथा द्विव	1:1366
28.	लक्ष, मिनिकोय अमिन द्वीपसमूह	प्राप्त नही हुआ
29.	मिजोरम	1:6173
30.	पांडिचेरी	1:4944

विश्व भारतीय विश्वविद्यालय

1932. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्वभारती विश्वविद्यालय एक सफेद हाथी है और इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है जिसके लिये इसकी स्थापना की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार का अध्ययन किया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को सुधारने की दिशा में कोई उपाय किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : रिपोर्ट की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

गोहाटी में अम्बरी के निकट खुदाई कार्य

1933. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में गोहाटी नगर के निकट अम्बरी स्थान पर खुदाई कार्य चल रहा है;

(ख) क्या इससे पता चलता है कि ईसा से पूर्व चीन के लिये ब्रह्मपुत्र घाटी और बर्मा से व्यापार के लिए एक मार्ग विद्यमान था;

(ग) क्या ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के चीनी दस्तावेजों में भी इसका प्रमाण मिलता है; और

(घ) यह खुदाई कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। गोहाटी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य पुरातत्व विभाग के सहयोग से खुदाई कार्य का संचालन किया जा रहा है।

(ख) यद्यपि, विश्वविद्यालय से खुदाई कार्य की पूरी रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है, चीनी सम्पर्कों का प्रमाण केवल स्थल पर सेलादेन बर्तनों के कुछ टुकड़ों का मिलना है।

(ग) चीनी दस्तावेजों में ब्रह्मपुत्र की घाटी के जरिए व्यापार के मार्ग का उल्लेख है, किन्तु अभी तक इसका कोई पुरातत्वीय प्रमाण नहीं है।

(घ) स्थल पर पानी की सतह ऊंची होने के कारण खुदाई कार्य रोक दिया गया है क्योंकि उससे नीचे खुदाई करना कठिन है।

दिल्ली में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर शराब का नशा होने का आरोप तथा उनकी जांच

1934. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 के "मदरलैंड" में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत को एम० सी० सी० के विरूद्ध दिल्ली क्रिकेट मैच में हुई हार का कारण हमारे अनेक खिलाड़ियों का निरन्तर शराब के नशे में धुत रहना था;

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताय) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : 31 दिसम्बर, 1972 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित रिपोर्ट का समर्थन टेस्ट के विशाल क्षेत्र द्वारा अन्य राष्ट्रीय दैनिकों में नहीं किया गया है। जानकार क्षेत्रों के अनुसार जिनमें सामान्यतः प्रैस भी शामिल है, इस मैंच में जोश के साथ मुकाबला किया गया था और भारतीय टीम का खेल हर तरह से उत्तम था। जांच पड़ताल करने पर, भारत में क्रिकेट के नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि भारतीय खिलाड़ी कर्नल अधिकारी के योग्य प्रबधं के अधीन थे और रिपोर्ट अनुचित तथा अकारण थी।

विश्वविद्यालय डिग्री का पुनर्वेधीकरण

1935. **श्री पीलू मोदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1972 को नई दिल्ली के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० डी० एस० कोठारी द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि विश्वविद्यालय डिग्री का महत्व वही रखना है जो कि इसका होना चाहिये, तब पासपोर्ट की तरह प्रत्येक पांच अथवा दस वर्ष पश्चात् इसके पुनर्वेधीकरण की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस टिप्पणी के आशय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के बारहवें दीक्षान्त समारोह में 30 दिसम्बर, 1972 को दिये गये अपने भाषण में डा० डी० एस० कोठारी के निम्नलिखित विचार थे :—

"वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी ज्ञान का काफी गति से विस्तार हो रहा है। प्रत्येक 10 से 15 वर्षों में यह दुगना हो जाता है। शोध निबंध (यदि अच्छा हो) प्रायः अपने प्रकाशन के दिन से पुराना हो जाता

है । महगें अनुसंधान हथियार प्राप्त करते करने ही अप्रचालित हो जाते हैं। सैनिक हथियार अथवा परिस्कृत उद्योगों में औद्योगिक प्रक्रिया यदि इसका प्रयोग किया जाए तो यह पुरानी पड़ जाती है। और डिग्री, यदि इसका महत्व वही रखना है जो कि इसका होना चाहिए तो पासपोर्ट की तरह प्रत्येक पांच अथवा दस वर्षों के पश्चात् इसके पुनर्वेधीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। आधुनिक विश्व में हमें चिरकालीन शिक्षा की आवश्यकता है।"

(ख) और (ग) : सरकारी विचार के लिए यह कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है अपितु सही शिक्षा के महत्वों को अनुभव करने हेतु निरन्तर व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता के लिए एक सुस्पष्ट अभियुक्ति है। तथापि, अध्यापकों को नवीनतम स्थितियों से परिचित रखने की दृष्टि से उनके लिए ग्रीष्मकालीन संस्थान का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।"

Demand of Jhuggi-Jhonpries in Kewal Park, Delhi

1936. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some Jhuggi-Jhonpries were demolished in Kewal Park, Delhi on the 20th January, 1973 ;

(b) whether these Jhuggi-Jhonpri dwellers have not been provided with any alternate place in this cold; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No Jhuggies and Jhonpries were demolished in Kewal Park, Delhi on the 20th January, 1973. However, certain unauthorised structures built in the Park between October, 1972 to December, 1972 had been demolished by the Municipal Corporation of Delhi on the 12th of January, 1973.

(b) and (c) : Since these structures were built unauthorisedly on Municipal land recently the dwellers who were responsible for building them were not entitled to any alternative accommodation that may be required to be provided by the Municipal Corporation of Delhi.

सूरजमुखी (सनफ्लावर) की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार

1937. **श्री सी० जनार्दन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरजमुखी (सनफ्लावर) की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) स (ग) : आंध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडू राज्यों में सूरजमुखी के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना की स्वीकृति दी गई है। 1972–73 में यह योजना 180,000 हैक्टार क्षेत्र में लागू की जायगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) किसानों को मुफ्त मिनिकिट सप्लाई करना जिसमें आधा हैक्टार भूमि के लिये पर्याप्त मात्रा में बीज और इसके साथ-साथ बीज-ड्रेसर और 1972–73 के लिये पूरे निर्धारित क्षेत्र के लिये पैकेज पद्धति संबंधी साहित्य भी होगा।

(ii) किसानों को सूरजमुखी की खेती के संबंध में शिक्षित करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना।

(iii) पर्यवेक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना।

1972-73 में इस योजना के क्रियान्वित करने में 59.50 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

मंत्रालयों से सम्बन्ध सलाहकार समितियों की बैठकें

1938. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों की वर्ष 1972 में कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या कोई ऐसा नियम अथवा विनियम है कि जिसके अन्तर्गत सलाहकार समिति की बैठक दिल्ली से बाहर वर्ष में केवल एक बार ही हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रथा संसद् सदस्यों को उन मत्रालयों से संबंधित लोगों की समस्याओं के बारे में क्षेत्रीय स्थिति की गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिये सहायक तथा प्रभावी है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) 117.

(ख) ऐसा कोई नियम अथवा विनियम नहीं है जिसके अन्तर्गत सलाहकार समितियों की बैठक दिल्ली से बाहर होती हैं। दक्षिण में संसद् अधिवेशन संबंधी संसद् सदस्यों की समिति ने एक सुझाव दिया था कि अन्तः सत्रावधि में सलाहकार समितियों की बैठकें सावधिक दक्षिण में की जानी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश पर विचार करके यह निर्णय किया कि अन्तः सत्रावधि में सलाहकार समितियों की बैठकें, इन समितियों के चेयरमैनों की इच्छानुसार राज्यों में पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए, प्रयोगिक आधार पर दिल्ली से बाहर भी की जा सकती हैं। तथापि, किसी भी सलाहकार समिति की बैठक, वर्ष में एक बार से अधिक, दिल्ली से बाहर नहीं की जायेगी।

(ग) जी हां।

अध्यापक संगठनों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित विधान पर पूर्व परामर्श की मांग

1939. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के कुछ विश्वविद्यालयों के कुछ अध्यापक सगठनों ने मांग की है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के व्यापक विधान के संबंध में उनसे पूर्व परामर्श किया जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख); कुछ अध्यापक संघों ने कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। "विश्वविद्यालयों के अभिशासन" पर गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को आम तौर पर आधार बनाकर अधिनियमों में संशोधन करते समय, इन प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाएगा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित आवास योजनाओं की प्रगति

1940. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि, खड ऋणों तथा खंड अनुदानों की पद्धति में समूचे तौर पर साधनों की कमी तथा अन्य क्षेत्रों की उच्च प्राथमिकता से इतनी अधिक निधियां निर्धारित नहीं की जा सकतीं जिससे कि आवास समस्या को हल करने में पर्याप्त प्रगति हो सकती।

'दूषण और पर्यावरण' पर विचार गोष्ठी

1941. **श्री राम भगत पासवान : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में इस वर्ष जनवरी में 'दूषण और पर्यावरण' पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां। सेमीनार का उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना तथा सरकारी नीतियाँ प्रस्तुत करना था। आम सर्वसम्मति यह थी कि गाँवों तथा छोटे कस्बों में आधारभूत संरचना की व्यवस्था करके लोगों को शहरों में आकर बसने से रोका जाना चाहिए।

देश में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

1942. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) 1954 में, योजना आयोग ने पहले राज्य सरकारों को यात्री परिवहन के चरणवार राष्ट्रीयकरण की नीति की रूप रेखाएं भेजी थीं। उसमें यह बताया गया था कि जहां प्राइवेट परिचालकों को परमिट जारी करने होते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम एकक होने चाहिएँ और अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाद में, परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने पुनः कहा कि राज्य सरकारों के अपने तथा यात्री परिवहन में नगरपालिका उपक्रमों के शेयरों में विस्तार किये जाने के पक्ष में वैध आर्थिक आधार हैं। 15 और 16 फरवरी 1973 को हुई परिवहन विकास परिषद् की 10वीं बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि यात्री सड़क परिवहन को धीरे-धीरे अधिग्रहण करने की घोषित नीति को कार्यान्वयन के लिए एक कदम के रूप में,

राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर यात्री सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करें और हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन की मुख्य धारा से दूर गांवों के निवासियों की पृथकता को समाप्त करने के लिए निजी परिचालकों द्वारा भी मौजूदा और नई ग्रामीण योजक सड़कों पर देश के आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क परिवहन का लाभ पहुंचे।

चूंकि सड़क परिवहन कार्यकारी जिम्मेदारी राज्यों की है, अतः यह निर्णय करना मुख्यतः उन के लिए है कि किस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाये और कब किया जाये।

डाक्टरों और चिकित्सा छात्रों की बेहतर सेवा-शर्तों के लिए "फैडरेशन, आफ एसोसिएशन आफ मैडिकल साइंसिज" की मांग

1943. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ मैडीकल साइंसिज" ने हाउस सर्जनों, रजिस्ट्रारों और मैडीकल कालेजों के स्नातकोत्तर छात्रों की बेहतर सेवा शर्तों की मांगों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी नहीं। अलबत्ते, मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय मैडिकल कालेज, विलिंग्डन अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इन्टर्नों, हाऊस सर्जनों, स्नातकोत्तर छात्रों और रजिस्ट्रारों ने स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन जरूर दिया है। इसमें मुख्य मांग यह है कि इन्टर्नों, हाउस सर्जनों और स्नातकोत्तर छात्रों को दिया जा रहा मानदेय/वृत्तिका बढ़ाकर प्रतिमास क्रमशः 300 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये कर दिया जाय। 7 फरवरी, 1973 को जब छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल स्वास्थ्य मंत्री को मिला तो उन्होंने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया। बाद में इन आन्दोलनकारी इन्टर्नों, हाउस सर्जनों आदि के प्रतिनिधि जब 20 फरवरी, 1973 को पुनः स्वास्थ्य मंत्री से मिले तो इन्हें सूचित किया गया कि वजीफे आदि के बारे में उनकी मुख्य मांग पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है और उन्हें 31 मार्च, 1973 तक निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों पर फिल्म बनाने की अनुमति देना

1944. **श्री मोहम्मद शरीफ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों पर फिल्म बनाने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने जनवरी, 1973 में सिफारिश की थी, और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जनवरी, 1973 में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर फिल्म बनाने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित सिफारिश की :—

"जहां कहानी स्मारक के इतिहास से संबंधित न हो वहां स्मारकों को फिल्म बनाने के

प्रयोजन के लिए प्रयोग करने हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ऐतिहासिक फिल्मों के मामले में अनुमति इस बात की संतुष्टि करन के बाद देनी चाहिए कि घटनाएं और दृश्य ऐतिहासिक दृष्टि से सही हैं।"

भारत में मधुमेह से पीड़ित 55 लाख व्यक्ति

1945. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1973 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में 55 लाख व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने देश के विभिन्न भागों में मधुमेह मेलीटस के मरक-विज्ञान पर हाल ही में एक मिला-जुला अध्ययन शुरू किया है जिसमें इस रोग की व्यापकता जानना, रोग विषयक स्वरूप समझना तथा इसके जीव रासायनिक पहलुओं का अध्ययन करना शामिल है। यह अध्ययन अहमदाबाद, कलकत्ता, कटक, पूना, त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली में किया जा रहा है और सम्भव है कि यह कार्य मार्च, 1974 में पूरा हो जायेगा और तब इसके आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। मधुमेह मेलीटस पर किए गये इस मिले-जुले अध्ययन के अन्तर्गत उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुय प्रोढ़ अवस्था में होने वाले मधुमेह में वाहिका उपद्रवों के कारण होने वाली रुग्णता और घातकता के उपचार के विभिन्न तरीकों के मूल्यांकन के बारे में एक मिला-जुला अध्ययन करने की भी इस परिषद् ने योजना बनाई है।

दिसम्बर, 1972 में नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित एक सेमीनार में मधुमेह का प्रारम्भ में ही पता लगाने के काम को स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने पर भी जोर दिया गया था।

अस्पतालों में मधुमेह का इलाज तब किया जाता है जब चिकित्सा अधिकारीगण रक्त-शक्कर रिपोर्ट के आधार पर उसे मधुमेह घोषित कर दें।

सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय

1946. **श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी खेती बहुत लोकिप्रय सिद्ध नहीं हुई है और सहकारी फार्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगा लिया है; और

(ग) सहकारी समितियों को लोकप्रिय बनान के लिए उन्हें अधिक सुविधायें देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । सहकारी खेती कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुआ है । यह सूचना मिली है कि देश में गठित की गई सहकारी खेती सोसाइटियों में से लगभग 40 प्रतिशत ठीक से काम नहीं कर रही है।

(ख) जी हां।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्त्तमान कमजोर तथा निष्क्रिय सहकारी खेती सोसाइटियों को पुनरुज्जीवित और कार्यक्रम को मजबूत करने पर बल दिया गया है । नई सोसाइटियां केवल सुसंबद्ध क्षेत्रों में और तब गठित की जाती हैं जब उनके विकास की संभावना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को निम्न सलाह दी गई है :—

(1) वर्त्तमान जीवनक्षम सहकारी खेती सोसाइटियों को मज़बूत तथा सुदृढ़ बनाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

(2) जहां भूमि-सुधार उपायों के फलस्वरूप भूमि के बड़े सुसंबद्ध खण्ड फालतू हो जाएं और जहां सहकारी खेती के सफल होन के लिए अनुकूल स्थिति एवं परिस्थितियां विद्यमान हों, वहां ऐसी भूमि भूमिहीन कृषि मज़दूरों, हरिजनों और आदिवासियों को आबंटित की जा सकती है और उन्हें सहकारी खेती सोसाइटियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकारों को ऐसी सोसाइटियों को सुसंबद्ध खण्डों में उपयुक्त भूमि आबंटित करने के अलावा, सहकारी तथा अन्य संस्थागत ऋण, कृषि निवेश, सिंचाई सुविधाएं, तकनीकी मार्गदर्शन और अन्य सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करके उनकी मदद करनी चाहिये।

(4) भूमि-हीन कृषि श्रमिकों की सहकारी खेती सोसाइटियों को लघु कृषक विकास अभिकरण सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना क्षेत्रों में इन अभिकरणों/राज्य सरकारों की सहायता से प्रायोगिक आधार पर बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इन अभिकरणों को ऐसे कार्यक्रमों की सहायता विशेष रूप से निवेशों और ऋण सुविधाओं के जरिये करनी चाहिय।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी

1947. श्री राम सहाय पांडे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इस व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार का विचार नर्सों की अधिक सुविधायें प्रदान करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कोई कमी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में सामुदायिक विकास खंडों को पुनः क्रियाशील बनाना

1948. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सामुदायिक विकास खण्डों को पुनः क्रियाशील बनाने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) क्या पांचवीं योजना में इस प्रकार के और अधिक खण्डों की स्थापना करने और गांवों में किसानों की हालत सुधारने के लिए इनका प्रयोग प्रभावी रूप से करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) और (ख) : सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह प्रथमतः राज्य सरकारों का कार्य है कि वे सामुदायिक विकास खण्डों को पुनरुज्जीवित करने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठायें जो आवश्यक हों। केन्द्रीय सरकार पुनरुज्जीवीकरण के सभी प्रयासों के लिए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देती है। सारे देश को सामुदायिक विकास खण्डों के अन्तर्गत लाया जा चुका है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान और खण्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें स्थानीय जरूरतों के अनुसार खण्डों के आकार और संस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों सहित समूचे ग्रामीण समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। तथापि, लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमान्त (मार्जिनल) किसान तथा कृषि श्रमिक जैसी कुछेक केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें छोटे तथा सीमान्त किसानों के लाभ के लिए बनाई गई हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में पिछड़े राज्य

1949. श्री लालजी भाई :

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अनुसार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान परिवार नियोजन के सन्दर्भ में बहुत पिछड़े राज्य हैं ;

(ख) क्या इन राज्यों में परिवार नियोजन का विचार या तो कतई नहीं अपनाया गया या आरम्भिक प्रगति के बाद इसमें भारी असफलता आई; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) इन राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में परिवार नियोजन की प्रगति तुलनात्मक दृष्टि से धीमी रही है। इस विषय पर अध्ययन करने के लिए 30 अगस्त, 1972 को कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी।

(ख) यद्यपि इन राज्यों में परिवार नियोजन की आवश्यकता के प्रति आम जागरूकता रही है तथापि इन राज्यों में से अधिकांश में 1967-68 के दौरान हुए कुछ सुधार को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने की दर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है ।

(ग) सभी राज्यों में परिवार नियोजन का हमारा सामान्य कार्यक्रम प्रगति के साथ चल रहा है । यदि इन राज्यों में परिवार नियोजन की प्रगति को तेज करने के लिए कोई विशेष कदम उठाना आवश्यक हुआ तो उन पर उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

पाकिस्तान के साथ लगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

1950. श्री लालजी भाई : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ लगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है और वर्ष 1971-72 में कितना काम किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

Allotment of Land to Harijan Adivasis in Rajasthan

1951. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** pleased to state:

(a) the number of Harijans and Adivasis allotted land in Rajasthan during the last two years and the acreage of the land distributed in acres; and

(b) the criterion adopted by the Government for distribution of land to the landless?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b): The information has been sought from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

कोटद्वार, उत्तर प्रदेश में बाल आहार के एक कारखाने की स्थापना

1952. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कोटद्वार, उत्तर प्रदेश में बाल आहार का एक कारखाना स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को स्थापित करने में कितना व्यय आएगा तथा इसकी क्षमता कितनी होगी और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा तथा इसमें उत्पादन कब से आरम्भ होगा; और

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, तथापि खाद्य निगम ने बालाहार का उत्पादन करने के लिए एक निजी पार्टी के साथ ठेका किया है जिसने अब तक 1500 मी० टन बालाहार तैयार किया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

C.P.W.D. Scheme to Construct a Road Towards 'Lipu Lake' in Pithoragrah

1953. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the C.P.W.D. had formulated a scheme to construct a road towards 'Lipu Lake' in Pithoragarh district of Uttarakhand;

(b) whether the work relating to the construction of this road was stopped later on and if so, the reasons therefor;

(c) whether the roads are necessary to sustain the economy of the people living there: and

(d) if so, whether Government will take concrete steps in this regard and if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b): No. Sir.

(c) & (d): As the Central Public Works Department is not concerned with the work, there has been no occasion to consider this question.

त्रिपुरा के आदिवासी डाक्टरों द्वारा दिल्ली में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए आवेदन पत्र दिए गए

1954. **श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और वर्ष 1972 में त्रिपुरा के कितने आदिवासी डाक्टरों ने स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संकाय में आवेदन-पत्र दिये;

(ख) इनमें से कितने डाक्टरों को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ; और

(ग) यदि भाग (क) का कोई उत्तर नहीं है, तो त्रिपुरा, जिसके लिये सीटों की संख्या अत्यन्त सीमित है, के आदिवासी उम्मीदवारों को सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रादेशिक भाषाओं में कालेज स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर खर्च की गई राशि

1955. **श्री के मालप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ समय पूर्व प्रादेशिक भाषाओं में कालेज स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिये प्रत्येक राज्य को एक करोड़ रुपये की राशि दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य इस राशि को खर्च कर चुका है; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में संबंधित राज्यों के लिये एक-एक करोड़ रुपये नियत किये गए हैं।

(ख) जी नहीं। प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक खर्च की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) यह सूचना भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	31-3-72 तक खर्च हुई राशि का ब्यौरा (रु० लाखों में)	प्रकाशनों का ब्यौरा प्रकाशित मूल	अनुवाद
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	68.55	206	—
2.	असम	7.75	67	—
3.	बिहार	9.52	32	13
4.	गुजरात	8.39	134	26
5.	हरियाणा	3.90	3	7
6.	केरल	26.85	108	36
7.	महाराष्ट्र	1.60	—	—
8.	मध्य प्रदेश	19.74	96	23
9.	मैसूर	20.80	178	25
10.	उड़ीसा	7.91	15	—
11.	पंजाब	7.54	18	—
12.	राजस्थान	10.97	15	10
13.	तमिलनाडु	17.09	303	132
14.	उत्तर प्रदेश	8.69	17	23
15.	पश्चिम बंगाल	1.84	2	—

बारानी खेती के विकास में प्रगति

1956. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बारानी खेती के विकास में आज तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एल. टी.—4386/73 ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन समन्वय समिति की रिपोर्ट

1957. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन समन्वय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ग) समिति की शेष सिफारिशों को सरकार कब तक क्रियान्वित करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) जी हां। माननीय सदस्य शायद अन्तर्देशीय जल परिवहन कार्यान्वयन और समन्वय समिति के सुझावों का उल्लेख कर रहे हैं, जिसकी बैठक 28-8-1972 को हुई। समिति ने चार सुझाव दिये। इन सुझावों में से तीन के बारे में राज्य सरकारों को अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया है। योजनाओं, जोकि आर्थिक दृष्टि से सूक्षम नहीं हैं, के लिये 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता संबंधी चौथा सुझाव योजना आयोग के साथ परामर्श से विचाराधीन है।

Report of the Sugar Industry Enquiry Committee for Development of Sugar Industry

1958. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Martand Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the Sugar Industry Enquiry Committee set up for formulating a definite scheme for the development of sugar industry; and

(b) if so, the salient features of the report?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) The Sugar Industry Enquiry Commission has so far submitted one interim report on certain aspects relating to sugarcane. Another interim report on nationalisation or otherwise of the industry is expected to be submitted by it by the end of April, 1973. Its full report on other issues including the development of the sugar industry on will present indications, be available by the 31st August, 1973.

Organisation of Temporary Camps for Eye Operations by Unqualified Doctors

1959. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether even today several temporary camps for eye operations are being organised by unqualified doctors;

(b) whether many people are deprived of eye sight as a result thereof; and

(c) if so, whether Government would take necessary action against the persons concerned after holding an enquiry into the matter?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) to (c) No authentic data is available on the number of temporary eye camps organised by unqualified doctors in the country and the number of people deprived of eye sight as a result thereof. Under Section 15(3) of the Indian Medical Council Act, 1956, action can be taken against unqualified medical practitioners.

Demand of Fertilizer from States during 1971-72 and its Supply

1960. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the demand of each State for fertilizers during the year 1971-72;

(b) the quantity of fertilizers supplied to each State during the said period;

(c) whether Government have been unable to meet the demand of the States; and

(d) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken in future in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) A statement is attached giving the State-wise break-up of demand and supply of fertilisers during the year 1971-72.

[Placed in the Library. See No LT-4387/73]

(c) It will be seen from the statement that while the demands of a number of States were met fully and while the over-all position of supply was also upto the demand, there were short-falls in case of certain States.

(d) The main reasons for the short-fall in supply in relation to demand for fertiliser of certain States in the year 1971-72 were as follows:—

(1) Influx of refugees from Bangla Desh followed by Indo-Pak hostilities, involving heavy emergency movements by rail and requisition of trucks by the Defence authorities, affected fertiliser supplies to certain States.

(2) Effect of hostilities on the shipping schedule of imported fertiliser particularly to non-cooperation of certain foreign vessel owners who refused to send their vessels even to the safe Indian ports, which affected supplies to certain States.

(3) Insistence by certain States on particular varieties of fertiliser for meeting their Nitrogen requirements. For example, insistence on Ammonium Sulphate and CAN whose procurement and availability in the world market was very difficult.

(4) Non-lifting of fertiliser including Urea, by several States in the beginning of the year 1971-72 when substantial stocks of uncommitted fertiliser remained unlifted for long periods of time.

(5) Low off-take of fertiliser due to drought conditions in certain States.

The following steps have been taken recently with a view to meeting the requirements of fertiliser of the different States to the maximum extent possible:—

(1) A drive has been undertaken to maximise domestic production of fertiliser and to set up more fertiliser plants.

(2) All out efforts have been made at the highest level to procure maximum quantities of fertiliser from abroad despite the difficult conditions of availability of fertiliser in the world market. In this context efforts are being made to contract imports sufficiently in advance and on long-term basis to minimise the uncertainties of import procurement.

(3) The fulfilment of commitments of supply of fertiliser by various domestic fertiliser factories to various States has been made compulsory and legally enforceable under the Essential Commodities Act.

(4) The procedure for drawing up a coordinated supply plan for imported and domestic fertiliser has been further streamlined, particularly with a view to rationalising to the extent possible the movements, in keeping with the Railway's operational logistics to enable them to give the maximum priority to fertiliser movement. This has resulted in very great improvement in the transportation and distribution of both imported and the domestic fertiliser.

विदेशी नस्ल का प्रयोग करके विकसित दो नस्लों पशुओं की कार्य क्षमता

1961. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी नस्ल के प्रयोग से विकसित दो नस्ली पशुओं की कार्य क्षमता और स्वीकार्यता का स्तर क्या है;

(ख) दो नस्ली पशुओं और सामान्य पशुओं के सुधार के मामले में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं और अगर कोई विफलता रही हो तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नस्लों का सरकार ने अन्तिम रूप से चयन कर लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देशी पशुओं के साथ विदेशी नस्ल के पशुओं के मेल से उत्पन्न 50% से 62.5% पशु संकर प्रजनन में अधिकतम कारगर सिद्ध हुए हैं। विदेशी नस्ल को अन्य प्रतिशतताओं के प्रयोग से सम्बन्ध में भी परीक्षण किया गया है, लेकिन ऐसे संकर पशुओं की कार्यक्षमता संतोषजनक नहीं रही है।

(ख) देशी पशुओं की तुलना में संकर जनित पशु अधिक दूध देते हैं। संकर पशुओं की पहली पीढ़ी में लगभग दुगुना दूध प्राप्त हुआ है। खेती के कार्य के लिये संकर नस्ल के बैल संतोषजनक सिद्ध हुए हैं।

(ग) देश के विभिन्न भागों की परिस्थितियों के लिये उपयुक्त विदेशी नस्लों का अन्तिम रूप से कोई चयन नहीं किया गया है। जर्सी, प्रीसियन, रेड डाने तथा ब्रीन स्विस ऐसी विदेशी नस्लें हैं, जिनका अधिक उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न विदेशी संकर नस्लों की संतति की कार्यक्षमता प्रायः एक-समान है, अतः फिलहाल किसी विशेष विदेशी नस्ल को अपनाना किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है।

मक्का की खेती

1962. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा मक्का के लिये समर्थन मूल्य कम निर्धारित किये जाने के कारण मक्का की खेती अलाभप्रद हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो मक्का की खेती और उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। मूल्यों के संबंध में सिफारिश देते समय कृषि मूल्य आयोग उत्पादन की लागत और किसानों को प्रोत्साहन देने की बात को ध्यान में रखता है। इस आयोग ने 1972-73 के मौसम के लिये खरीफ के अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट में मक्का के लिये 45 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और भारत सरकार ने अन्ततः मक्का का वसूली मूल्य 58 रु० प्रति क्विंटल नियत किया। वसूली एजेंसियों को यह सलाह दी गई है कि वसूली मूल्य के स्तर तक मूल्य को समर्थन प्रदान करें।

विश्वविद्यालयों में व्यवसाय प्रधान पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव

1963. **श्री राम प्रकाश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में व्यवसाय प्रधान पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुलहसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया है जिसमें विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की सिफारिश की गई हो।

अजमेर, राजस्थान में अकाल की स्थिति

1964. **श्री राम प्रकाश** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के महीने में अजमेर में अकाल की गम्भीर स्थित होने के समाचार मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो पशु और जन की कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्यसरकार की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर में सभी गांवों को कमी से प्रभावित घोषित कर दिया गया है। इस जिले में किसी आदमी या पशु की मृत्यु नहीं हुई है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा डाक्टरों को ग्रामों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देना

1965. **श्री वी० के० दासचौधरी :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकत्सा विज्ञान संस्थान ने डाक्टरों को ग्रामों में कार्य करने के लिये प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने हरियाणा सरकार से मिल कर डाक्टरों को इन्टर्नशिप अवधि में प्रशिक्षण देने के लिये बल्लभगढ़ सामुदायिक विकास खण्ड में एक ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना चलायी है । ये इण्टर्न गावों के वातावरण में क्या-क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं इनका अध्ययन करने के लिये तीन महीनों तक बल्लबभगढ़ सामुदायिक विकास खण्ड में ठहराने हैं और वहां पर इन्हें संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में सामुदायिक चिकित्सा की दीक्षा दी जाती है जिसमें बीमारियों की रोकथाम पर विशेष बल दिया जाता है। गुड़गांव जिले में खोल नामक स्थान पर भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना आरम्भ की गई है, जहां पर विटामिन ए की कमी की समस्या को दूर करने में इन्टनों की प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक विशेष पोषण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। शहरी-पर्यावरण में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान को सुगम बनाने हेतु छात्रों को प्रशिक्षण के लिये मालवीय नगर में एक नगरीय अभ्यास क्षेत्र भी स्थापित किया गया है ।

जुलाई, 1972 से छात्रों को (उनके क्लीनिकों प्रशिक्षण के छटे सेमेस्टर के दौरान) 6 सप्ताह के लिये नियमित रुप से नियुक्त करना आरम्भ कर दिया गया है। इसमें कम परिष्कृत रहन सहन वाले वातावरण में क्लीनिकी प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है, जहां छात्रों को घरों में जाना पड़ता है और रोग प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना पड़ता है।

अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन के बारे में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का सरल बनाया जाना

1966. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता ने राज्य के अन्दर और अन्तराज्यीय सड़क परिवहन के बारे में विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को सरल बनाने और आवश्यक प्रतिबन्धों के हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) सरकार को इंडियन चैम्बर आफ कार्मस, कलकत्ता से अभी तक कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु, भारत चैम्बर आफ कामर्स ने 8-1-1973 को कलकत्ता में नौवहन और परिवहन मंत्री को एक नोट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होने मोटर स्वामियों द्वारा अपनी गाड़ियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन में हुई कठिनाइयों का उल्लेख किया था। चैम्बर की यह इच्छा थी कि उत्तरी तथा पश्चिमी जोन परमिट योजनाओं की भांति अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सामान ले जाने के लिये माल गाड़ियों के मुक्त आवागमन हेतु पूर्वी क्षेत्र में भी कोई व्यवस्था की जाये।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने भारत चैम्बर आफ कार्मस को सूचित किया है कि पश्चिम तथा उत्तरी जोन परमिट योजनाओं की भांति पूर्वी क्षेत्र में एक जोनल परमिट स्कीम के लिये प्रस्तावों

पर आयोग पहले से ही कारवाई कर रहा है। और मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है।

राजस्थान में तथ्यों का पता लगाने वाले केन्द्रीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1967. **श्री वी० के० दास चौधरी :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में कई स्थानों पर मनचंदा की अध्यक्षता में तथ्यों का पता लगाने वाली केन्द्रीय अध्ययन दल के सदस्यों के विरुद्ध राजस्थान में सूखे के बारे में पक्षतापूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करके केन्द्रीय सरकार को गुमराह करने के लिए निन्दा करने की जोरदार मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई मांग प्राप्त नही हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था

1968. **श्री वी० के० दास चौधरी :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने जनवरी, 1973 में संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

कृषि श्रमिकों के लिए आवास योजना

1969. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिए एक आवास से योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस को कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के परिवारों को जिनके पास पहले अपना

कोई आवास-स्थल या निर्मित मकान या अपनी भूमि पर बनी झौंपड़ी नहीं है, केवल आवास स्थल देने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अक्टूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी । योजना संबंधित राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ।

एक परिवार को आवंटित किये जाने वाले आवास स्थल का आकार सामान्यतः 100 वर्ग गज से नहीं बढ़ना चाहिये । इस प्रकार दिये गये आवास स्थलों पर आवंटियों द्वारा अपने साधनों से या किसी अन्य अभिकरण की सहायता से मकान/झौंपड़ी बनाने की आशा की जाती है । सिवाय ऐसे मामलों के जहां अर्जन की लागत बहुत अधिक है भूमि के अर्जन की सारी लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है । इसके अतिरिक्त, भूमि के विकास की लागत भी राज्य सरकारों आदि को केन्द्रीय अनुदान के रूप में देय है, जो प्रत्येक आवास स्थल के लिए 150 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये राज्य सरकारों द्वारा पृथक तौर पर विशिष्ट परियोजनाओं का बनाया जाना अपेक्षित है तथा पूर्व जांच और अनुमोदन के लिये उन्हें आवश्यक ब्यौरों के साथ इस मंत्रालय को भेजना होता है । अभी तक 15 राज्यों तथा एक संघ क्षेत्र प्रशासन ने परियोजना-प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेजे हैं । प्राप्त परियोजनाओं में से 5,63,835 आवास-स्थल देने के लिये आठ राज्य सरकारों की परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी है जिन के लिए 14.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है । स्वीकृत राशि में से लगभग 3.33 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम के तौर पर दे दी गई है ताकि वे अनुमोदित परियोजनाओं का निष्पादन आरम्भ कर सकें।

पश्चिमी बंगाल में धान का मजबूरी की हालत में बेचा जाना

1970. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुरा जिले (पश्चिम बंगाल) के कुछ क्षेत्रों में धान को मजबूरी की हालत में बेचे जाने के बारे में 4 जनवरी, 1973 के "स्टेट्समेन" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम मध्य दर्जे के और गरीब किसानों से इस प्रकार का धान नहीं खरीद सका ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों की भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार ने तुरन्त जांच की थी और यह पाया गया, कि समाचार का कोई आधार नहीं था क्योंकि उचित औसत किस्म की धान अधिप्राप्ति मुल्य जमा सुपुर्दगी बोनस से कम मूल्य पर कभी नहीं बेची गई थी। वास्तव में धान के बाजार में चल रहे भाव अधिप्राप्ति मुल्य से सामान्यतः अधिक थे और अधिक रहते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने खरीफ मौसम के शरू से ही धान की खरीद के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए थे ।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के भंडार डिपो में ठेके पर काम करने वाले श्रमिक

1971. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश के अपने भंडार डिपों में बड़ी संख्या में ठेके पर श्रमिकों को रख रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि ठेकेदार निर्धन बेवस हरिजनों से लगभग गुलामों की तरह काम ले रहें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों की जांच की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम मज़दूर संघ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने अभ्यावेदन दिया है कि उत्तर प्रदेश में हरिजन मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं और ठेका प्रणाली के अधीन उनका शोषण किया जा रहा है ।

(ग) जब कभी ठेकेदारों द्वारा कदाचारों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है खाद्य निगम द्वारा उनकी जांच की जाती है ।

Buffer Stocks of Foodgrains

1972. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Erasmo De Sequeira :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the buffer stock of foodgrains with the Government of India ; and

(b) the quantity of foodgrains supplied to consumer stores every month from the available stock of foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The physical stocks of foodgrains in the Central Pool and with the State Governments (excluding stocks in the pipeline) on 1-2-1973 were about 3.1 million tonnes. The stocks in the Central Pool on that date was about 2.1 million tonnes.

(b) The month-wise quantities of foodgrains supplied from Central Pool to different States for public distribution system from August, 1972 are indicated below :—

	(Lakh tonnes)
August, 1972	980
September, 1972	1105
October, 1972	975
November, 1972	855
December, 1972	746
January 1973	779

शिक्षित बेरोजगारी से स्थायित्व को खतरा

1973. **श्री सी० टी० दंडपाणि :**
श्री गिरधर गोमांगो

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण, और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1973 के समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "शिक्षित बेरोजगारी से स्थायित्व को खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुस्तक में यह कहा गया है कि इस स्थिति के लिए गलत शिक्षा-व्यवस्था उत्तरदायी है ;

(ग) इस पुस्तक में अन्य क्या बातें कही गई हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, ।

(ग) इस पुस्तक में बताई गई मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:--हमारी मौजूदा शैक्षिक पद्धति जिसकी स्थापना उन्नीसवीं शताब्दी में की गई थी तथा जो मुख्यतया हमारे भुतपूर्व विदेशी शासकों के अधीनस्थ बाबू किस्म के नौकरशाहों के वर्ग का निर्माण करने हेतु तैयार की गई थी, आजकल के जीवन की आकांक्षाओं तथा प्रत्याशाओं के बहुत अधिक प्रतिकूल है । उसकी मुख्य खामियां निम्नलिखित हैं :--

(i) इसका झुकाव गलत शैक्षिक तालमेल है : उदाहरण के तौर पर अत्ययिधक वकील और अत्याधिक कला स्नातक आदि।

(ii) हमारी शैक्षिक पाठ्यचर्या व कार्यपद्धति अभी भी रोजगार को पुरानी आशाओं तथा आकांक्षाओं के उन्मुख है जो इस समय प्रचलन में नहीं है । इनमें जीवन की सामाजिक व आर्थिक वास्तविकताओं का अभाव है क्योंकि ये रोजगार पद्धित को एक दिशा की ओर ले जाती है। और पहले से ही अति संकुलित बाबू किस्म के रोजगार अवसरों की ओर तीव्र रुचि उत्पन्न करती है ।

(iii) इसका कार्य अनुभव और समाज सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । इसके परिणाम स्वरूप, हमारे छात्रों में आत्मविश्वास और स्वयं रोजगार की भावना स्फुरित करने में असफलता प्राप्त हुई है ।

(iv) शिक्षा के उच्चतर श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रमों अर्थात स्नातकोत्तर और अनुसन्धान पाठ्यक्रमों के सिद्धान्तों और प्रयोज्यताओं में व्यापक अन्तर है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इससे अत्याधिक सिद्धान्तवादियों और कुछ ही प्रायुक्त वैज्ञानिकों तथा शिल्प वैज्ञानिकों का निर्माण हुआ है । इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सुझाव दिये गये हैं।

(घ) हमारे शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों में उत्पन्न हो रही बेरोजगारी के प्रति सरकार चिन्तित है । चौथी योजना के दौरान कई उपाय काम में लाए गए हैं । अन्य उपायों पर जिन्हें पांचवी योजना में निष्पादित किया जाना है विचार किया जा रहा है।

रक्षा सेवाओं के लिए खाद्यान्न

1974. श्री ए० के० गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेवाओं के लिए खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों के बारे में बरती जाने वाली निगरानी का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ;

(ख) रक्षा सेवाओं के लिए विभाग और ठेकेदारों के माध्यम से खरीदे जाने वाले खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभाग और ठेकेदारों के माध्यम से कितने-कितने प्रतिशत अनाज खरीदा जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) रक्षा सेवाओं के लिए खाद्यान (गेहूं, चावल, जौ, चना, और चने की दाल) रक्षा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्दिष्टियों और मानकों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम से खरीदे जाते हैं जिनका देश के विभिन्न भागों में स्थिति "कम्पोजिट फुड लेबोरेट्रीज" में रक्षा अधिकारियों द्वारा पहले ही निरीक्षण और विश्लेषण कर लिया जाता है । कम्पोजिट फूड लेबोरेट्री द्वारा अस्वीकृत किये गये मामलों में, सेना मुख्यालय के अपील सैल, जिसमें वरिष्ठ सेना अधिकारी होते हैं, द्वारा नमूनों की फिर और आगे जांच और विश्लेषण किया जाता है । इस अपील सैल का निर्णय अन्तिम होता है।

(ख) 1971-72 के दौरान खरीदें गये खाद्यन्नों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) विभागीय तौर पर केवल भारतीय खाद्य निगम से खरीदा गया लगभग 3.2 लाख मी० टन गेहूं, चवाल, दालें और पशु अनाज (जौ/चना) ।

(2) शर्करा तथा वनस्पति निदेशालय द्वारा किए गये आवंटनों के आधार पर विभागीय तौर पर चीनी कारखानों से लगभग 35,600 मी० टन खरीदी गई चीनी ।

(3) सहकारी संस्थाओं/राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकृत/स्वीकृत ठेकेदारों से टेंडर के आधार पर खरीदे गये लगभग 56,000 मी० टन विधायित खाद्य पदार्थ जिनमें वनस्पति, डिब्बाबन्द दूध, होल मिल्क पाउडर, डिब्बाबन्द मक्खन, डिब्बा बन्द फल/सब्जी/आलू/मांस, जैम आदि शामिल है।

(ग) 1971-72 के दौरान 86 प्रतिशत विभागीय तौर पर और 14 प्रतिशत ठेकेदारों के माध्यम से ।

कोचीन शिपयार्ड कंपनी के लिये निदेशक की नियुक्ति

1975. श्री ए० के० गोपालन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड कम्पनी में कोई निदेशक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण ; हैं, और

(ग) निदेशक की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) से (ग). कोचीन शिपयार्ड लि० के निदेशक बोर्ड की निम्नलिखित संरचना की घोषणा की गई है :—

1. वाइस एडमिरल एन० कृष्णनन्,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
   कोचीन शिपयार्ड लि०

2. श्री वाई० कृष्णन,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
व्यय विभाग ।

3. श्री पी० एच० त्रिवेदी,
निदेशक (परियोजना)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(परिवहन पक्ष) ।

4. श्री आर० गोपास्वामी,
सचिव, केरल सरकार,
लोक निर्माण विभाग ।

5. श्री एस० बालकृष्ण शेट्ठी, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ।

6. श्री एस० कस्तूरी,
महानिदेशक, कोचीन शिपयार्ड लि० ।

7. श्री एच० सी० सेठना,
जहाज निर्माण प्रबन्धक,
मजगांव गोदी लि० ।

8. श्री के० के० विश्वनाथन,
लिनवास,
कोचीन ।

9. श्री एन० महालिंगम,
19–सेट मेरीज रोड,
मद्रास ।

10. डा० वी० ए० सय्यद मुहम्मद,
वरिष्ठ एडवोकेट,
सुप्रीम कोर्ट ।

बोर्ड की नियुक्ति उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख से अध्यक्ष एवं प्रबन्धक अपने पद का कार्य भार संभालेंगे । इसकी मार्च के पहले सप्ताह में होने की आशा है । तब तक कंम्पनी के संघ ज्ञापन के हस्ताक्षरी, निदेशक बोर्ड के तौर पर कार्य करते रहेंगे ।

विश्वविद्यालयों को रोजगार-प्रधान पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए सहायता देना

1976. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम को आरम्भ करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय वार कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है ; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उनके कार्य से संतुष्ट है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पुरी के श्री जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत कार्य

1977. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मन्दिर, जिसके विभिन्न स्थानों पर दरारें आ गई हैं, की मरम्मत कार्य के लिए धन लगाने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

18 वर्ष से अधिक सेवावधि वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान का आवंटन

1978. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सेवा 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)

प्राप्त आवेदन-पत्रों के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल-वास के आवंटन के लिए फिलहाल टाईप I से IV के पात्र 7,535 अधिकारी हैं, जिनका सेवा-काल 18 वर्ष से अधिक हो गया है तथा जो अब भी आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहां तक टाईप V तथा उससे ऊपर के टाईप के पात्र अधिकारियों का संबंध हैं, उनकी प्राथमिकता की तारीख उस तारीख से मानी जाती है जिस तारीख से अधिकारी एक टाईप विशेष के लिए परिलब्धियां निरन्तर प्राप्त करता है। ऐसे कर्मचारियों के कुल सेवाकाल के बारे में कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रिंटिंग और स्टेशनरी के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के बारे में सिफारिश

1979. **श्री जे० माता गौडर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रिंटिग और स्टेशनरी के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय का अध्ययन करने के पश्चात् किस प्रकार की महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं जिन पर मंत्रालय विचार कर रहा है;

(ख) सम्पदा निदेशालय के नीति विभाग (पालिसी सेल) के कार्याकरण पर **प्रशासनिक** सुधार विभाग द्वारा किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) ये सिफारिशें कब की गई हैं और इन्हें कब लागू किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय का पुनर्गठन।

(ii) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय का सचिवालय के साथ एकीकरण तथा सचिव/मंत्री महोदय तक सीधा संपर्क।

(iii) मंत्रालय में मुद्रण प्रभाग का पुनर्गठन।

(iv) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक को अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां देना।

(ख) सम्पदा निदेशालय के नीति-कक्ष की कार्य-पद्धति पर की गई सिफारिशों का स्वरूप निम्नलिखित है :—

1. कार्य प्रणाली संबंधी
2. संगठनात्मक
3. प्रशासनिक

(ग) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के बारे में सिफारिशें फरवरी, 1970 में की गई थीं।

1-3-1973 से विभागाध्यक्ष की शक्तियों से सम्पन्न उपयुक्त पद के अधिकारियों के अधीन निम्नलिखित 3 अलग-अलग विभाग बनाने का निर्णय किया गया है :—

(i) मुद्रण निदेशालय;

(ii) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय; तथा

(iii) प्रकाशन विभाग।

मंत्रालय के मुद्रण प्रभाग का आफिसर-ओरिएंटिड-पद्धति पर पुनर्गठन किया जाना है जिस में 2 अवर सचिव तथा 2 अनुभाग अधिकारी (सहायक स्टाफ के साथ) होंगे जो सीधे एक संयुक्त सचिव के अधीन कार्य करेंगे।

सभी तीनों विभागाध्यक्षों को आवश्यक शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं।

सम्पदा निदेशालय के नीति कक्ष की कार्यप्रणाली के बारे में सिफारिशें जनवरी, 1972 को की गई थीं।

कार्य प्रणाली संबंधी कुछ सिफारिशें मान ली गई हैं तथा उनका पालन किया जा रहा है। कुछ संगठनात्मक सिफारिशों का पालन किया जा रहा है तथा उन में से कुछ विचाराधीन हैं। प्रशासनिक सिफारिशें विचाराधीन हैं।

नई दिल्ली के रीजनल स्टेशनरी डिपो के नैमित्तिक/उपस्थिति नामावलि के आधार पर काम कर रहे श्रमिकों के बारे में किया गया अध्ययन

1980. **श्री जे० माता गौडर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार प्रकाशन शाखा, दिल्ली और रीजनल स्टेशनरी डिपो, नई दिल्ली के नैमित्तिक/उपस्थिति नामावली के आधार पर काम कर रहे श्रमिकों को स्थायी करने के प्रश्न पर अध्ययन पूरा हो गया है; यदि हां, तो इस अध्ययन के परिणामस्वरूप दी गई रिपोर्ट पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय के पास अन्य विभागों में इस तरह के अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) उक्त अध्ययन क्रमशः मई, 71 तथा सितम्बर, 72 में पूरे कर लिये गये थे। सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी., नहीं।

गरीबों को चिकित्सा सहायता

1981. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार गरीबों तथा जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर तथा आसानी से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : जनता के कमजोर वर्गों के लिए सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वस्तुतः भर्ती हुए ऐसे रोगियों से भोजन के पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। इन मौजूदा सुविधाओं में उपलब्ध वित्तीय साधनों

के अन्तर्गत उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5192 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10,600 उप-केन्द्र हैं। इनके अलावा प्रशिक्षण-सह-सेवा के चलते-फिरते अस्पतालों द्वारा भी स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत देश भर के विभिन्न अस्पतालों में और 26,000 अस्पताली पालगों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को समेकित अनुदान दिए जाते हैं।

अकाल राहत कर लगाने का प्रस्ताव

1982. **श्री राम कंवर वेरवा**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या अकाल राहत कर लागू करने के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूखे से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गयी है। जिन केन्द्रीय दलों ने ऐसे राज्यों का दौरा किया था उनकी सिफारिशों के आधार पर खर्च की सीमा 192.84 करोड़ रुपये अपनायी गयी है, इसके प्रति अब तक की राहत कार्यों के लिए 122.09 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है।

गांवों में औषधालय के लिए डाक्टरों की आवश्यकता

1983. **श्री बक्शी नायक**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांवों में विभिन्न सरकारी औषधालयों के लिए कितने डाक्टर अपेक्षित हैं;

(ख) इन औषधालयों में इस समय कितने डाक्टर काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कि गांवों में औषधालयों का उचित प्रबंध हो?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) तथा (ख). 30 सितम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार देश में 5195 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10,390 डाक्टरों की आवश्यकता थी। वस्तुतः 8,094 डाक्टर काम कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

भिखारियों पर व्यय

1984. **श्री बक्शी नायक: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित यू०एन०आई० के सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत भिखारियों पर प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रुपया व्यय करता है; और

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा हाल में इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है जिसमें देश में भिक्षावृत्ति को समाप्त किया जा सके और भिखारियों के लिए जीविका का सुन्दर साधन जुटाने की व्यवस्था की जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां, सरकार का ध्यान इस खबर की ओर दिलाया गया है।

(ख) भिक्षावृत्ति-उन्मूलन उपाय अवकेन्द्रित ही रखने होंगे। कई राज्य सरकारों ने भिखारी सदन स्थापित किये हैं तथा इनके देखरेख, इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है। आशा की जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु किए गए आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों का दीर्घकालीन असर होगा।

हरियाणा में नलकूपों को बिजली देने के लिये डीजल जनरेटरों के आयात में विलम्ब

1985. **श्री बक्शी नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1972 के स्टेटस्मैन में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय अधिकारियों की ढुलमुल नीति के कारण नलकपों को बिजली देने के लिए रुपया-व्यापार देशों से डीजल जनरेटरों के आयात से हरियाणा के कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है और आपात रबी अधिक अनाज उगाओं अभियान पर इसका प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : हरियाणा सरकार के डीजल जनरेटिंग सैट आयात करने के कार्यक्रम की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है और इसकी समुचित जांच करने के पश्चात् भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को 3.5 मेगावाट वाले दो सैटों का रूस से, जिसके साथ इस देश का व्यापार रुपयों के माध्यम से होता है, आयात करने की अनुमति दी है, ताकि हरियाणा में कृषि-कार्यों के लिए इस समय बिजली की अत्यधिक कमी को पूरा किया जा सके। अतिरिक्त डीजल जनरेटिंग सैटों की आवश्यकता को राज्य सरकार देशी स्रोतों से पूरा करेगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को अपने नियंत्रण में लेना

1986. **श्री मान सिंह भौरा** :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र से राष्ट्रीय अनुशासन योजना के 332 प्रशिक्षकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है ;

(ख) क्या प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों में 339 पदों का सृजन किया है ;

(ग) यदि हां, तो नए पद सृजन करने का मापदंड क्या है ; और

(घ) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शेष प्रशिक्षकों को अपने नियंत्रण में न लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) दिल्ली प्रशासन ने अब तक राष्ट्रीय अनुशासन योजना के 335 प्रशिक्षकों को स्कूलों में जनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए ले लिया है।

(ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए लागू वेतन-मान में इन पदों का सृजन किया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में बहुत समय से कार्य करने वाले राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रशिक्षकों को, खपाने के लिए, शारीरिक शिक्षा अध्यापक काडर में जितने अध्यापक खपाए जा सकते हैं उतने अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

(घ) शेष कर्मचारियों को अब तक दिल्ली प्रशासन ने क्यों नहीं खपाया है उसके कारण ये हैं :—

(i) उनके पास अनिवार्य न्यूनतम निर्धारित योग्यताएं नहीं थीं, या

(ii) उनकी चरित्र-पुस्तकें संतोषजनक नहीं थीं, या

(iii) जब उनके स्थानान्तरण के आदेश जारी किए गए थे तो उस समय वे दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में प्रशिक्षकों के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय में फोटो यूनिट

1987. **श्री भान सिंह भौरा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय, नई दिल्ली में एक फोटो यूनिट है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या हैं, इसमें कितने व्यक्ति हैं, और इस पर कितना व्यय होता है; और

(ग) क्या फोटोग्राफ की प्रतियां निजी फोटो स्टुडियो में प्रायः बनायी जाती हैं ; और यदि हां, इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के पास एक रेप्रोग्राफी (फोटो पुनस्पादन) एकक है, जिसकी स्थापना फोटो मुख्यतया:, पुराने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पंफलेटों तथा रिपोर्टों की दुर्लभ अनुसंधान सामग्री के माईक्रो-फिल्म बनाने अथवा अन्य उपायों के जरिए फोटो पुनस्पादन के द्वारा उसके अनुसंधान को मजबूत करने में सहायता करने के लिए की गई है। समाचार-पत्रों की पोजिटिव माइक्रोफिल्म तथा अन्य अनुसंधान सामग्री के फोटो पुनस्पादन भारत में विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं तथा विदेशों को समूल्य मुहैया की जाती है। इस एकक के कर्मचारियों की संख्या 5 है।

इस एकक के लिए, खर्च की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। किन्तु, चालू वित्तीय वर्ष में, कर्मचारियों के वेतन पर लगभग 20,000 रुपये खर्च किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस संगठन में प्रयोग के लिए तथा देश तथा विदेशों में उसकी प्रति कृतियों अनुसंधान संस्थाओं में मुहैया करने हेतु, दुर्लभ अनुसंधान सामग्री की याईक्रोफिल्म प्रतिकृतियां बनाने के लिए, लगभग 86,000 रुपयें के खर्च से कच्चा माईक्रोफिल्म रसायन आदि भी खरीदी गई है।

(ग) क्योंकि नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्कालय के पास, उसके द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रदर्शनियों में प्रमाणार्थ फोटोग्राफों की नेगेटिव प्रतिकृतियां तथा बड़े आकारों के विवर्धन (इन्लार्जमेंट) प्रिंट्स बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए इनमें से कुछ को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग से तैयार कराया जाता है। कुछ अवसरों पर, इस प्रकार कार्य को प्रतियोगात्मक दरों पर प्राइवेट स्टूडियो से भी कराया जाता है।

1970-71 से 1972-73 वर्षों के दौरान, प्राइवेट स्टूडियो से उनके संस्पर्श प्रिंटों से प्रतिकृतियों के नेमेटिव बनाने पर निम्नलिखित खर्च किया गया :

1970-71	678.00 रुपए
1971-72	—
1972-73	2,036.00 रुपए

पंजाब में गेहूं की वसूली में कमी

1988. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पंजाब में गेहूं की वसूली लक्ष्य से कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत वर्ष पंजाब में वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कितनी वसूली की गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

1971-72 विपणन मौसम

लाख मीटरी टन में

अधिप्राप्ति लक्ष्य	**वास्तविक अधिप्राप्ति**
25.50	29.38

Criteria for Linking Villages with Pacca Road

1989. **Dr. Govind Das Richharya :** Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) the level of population fixed for linking villages to be linked by pacca roads during the Fifth Five-Year Plan; and

(b) the length of road in Kilometres proposed to be constructed in Uttar Pradesh under this target ; and

(c) the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) to (c) : It has been indicated in the Planning Commission's document on "Approach to the Fifth Plan 1974-79" that the target may be to provide all-weather roads by the end of the Fifth Plan period to all villages above a minimum population size, say 1500 persons. In hill areas or coastal areas where the population is relatively more dispersed, it will be necessary to provide all-weather link roads to a cluster of villages having population above a minimum size. The subject of rural roads also figured the meeting o the Transport Development Council held at New Delhi on 15th & 16th February 1973, when it was stressed that size of the village in terms of population need not necessarily be the only criterion, but a more important consideration should be to open up rural areas and villages in the interior of the country, in the tribal belts and other backward regions, as also to provide link roads to marketing and other community centres. For this purpose the Council underlined the need and urgency for providing suitable alignments of proposed roads in a manner that it helped to open up the maximum area in rural region. It also emphasised that in the case of villages not falling on the direct alignment of proposed rural roads, link roads should be provided to connect all such villages within a distance upto 4 km. from the main arterial routes such as National and State Highways. As rural roads are primarily a State subject and fall essentially within the sphere of State activities, detailed proposals for rural roads in individual States, including U.P., have to be formulated by the State Governments concerned. As the 5th plan proposals are as yet in the preparatory stage, precise information about any State can therefore be given only after those proposals have been finalised.

Drinking Water Facilities in Rural Areas of Jhansi Division in Uttar Pradesh

1990. **Dr. Govind Dass Richharya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of schemes approved so far for providing drinking water facilities in rural areas of Jhansi Division in Uttar Pradesh indicating the main features thereof ; and

(b) the time by which the work on these schemes is likely to be completed and the progress made so far in this regard in the Jhansi District ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposal to take over Canopy of Raja Gangadhar Rao at Jhansi as Protected Monument

1991. **Dr. Govind Das Richhariya :** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over the Canopy of Raja Gangadhar Rao at Jhansi as a protected monument under the Department of Archaeology ;

(b) the time by which Government would declare the said ancient monument as a protected monument ; and

(c) the time by which its repairing work would be started ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hassan) : (a) Yes, Sir.

(b) Steps have already been initiated for finalizing the protection data to be counter-signed by the revenue authorities. Formal notification will be issued immediately thereafter.

(c) Necessary repairs will be undertaken as soon as the monument has been declared protected.

रक्षा मंत्रालय द्वारा कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने क्वार्टरों का खरीदा जाना

1992. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये 3000 क्वार्टरों को खरीदने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ; और

(ग) क्या ऐसे अनुदेश दिये गये हैं कि इन बस्तियों से किसी कर्मचारी को न निकाला जाये ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : रक्षा मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि सुरक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सारे मकान (जिनकी संख्या 1350 बताई जाती है) वे खरीद लेंगे । उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मामले पर अपना निर्णय अभी तक सूचित नहीं किया है ।

(ग) राज्य सरकार को पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि अन्तिम निर्णय होने तक वर्तमान दखलकारों को उनके मकानों से न हटाया जाए ।

कानपुर में मजदूर बस्तियों में कब्जे को नियमित करना

1993. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के बारे में 4 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2905 के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विभिन्न मजदूर बस्तियों में सरकार ने कर्मचारियों के कब्जे को नियमित करने के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए उन्हें स्मरण करा दिया गया है ।

स्वर्गीय उस्ताद दबीर अली खान की पत्नी को वित्तीय सहायता

1994. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 19 जनवरी, 1973 के दैनिक समाचारपत्र "जुगान्तर" में विख्यात वाद्यवादक स्वर्गीय उस्ताद दबीर अली खान के परिवार के सदस्यों की दीन दशा के बारे में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्वर्गीय कलाकार की पत्नी को क्या वित्तीय अथवा कोई अन्य सहायता दी गई है अथवा दी जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वर्गीय कलाकार की पत्नी को शिक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि में से 2,000 रु० स्वीकृत किए जा रहें हैं ।

राष्ट्रीय फिटनेस कोर के प्रशिक्षकों के भविष्य के बारे में निर्णय

1995. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिटनेस कोर के अन्तर्गत काम कर रहे प्रशिक्षकों के भविष्य के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) क्या इस संगठन को केन्द्र के अन्तर्गत जारी रखने का इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन को अब केन्द्र के अधीन नहीं रखा जाए ।

(ग) 1963 में कुंजुरु समिति की सिफारिशों के आधार पर, शारीरिक शिक्षा, सहायक केडट कोर, राष्ट्रीय अनुशासन योजना आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के स्थान पर, स्कूल स्तर पर एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया गया था । 1965 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में देश के सभी स्कूलों में इस समेकित कार्यक्रम को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस बैठक में यह भी निर्णय किया गया था कि उन राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है और जो राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में स्कूल में काम कर रहे थे, उन्हें राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया जाए और राज्य के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के संवर्ग में मिला दिया जाए । इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के उन पहलुओं में प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें उन्हें पहले प्रशिक्षित नहीं किया गया था । इसी प्रकार राज्यों के स्कूलों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर समेकित कार्यक्रम के उन पहलुओं में प्रशिक्षण दिया गया था जिनमें उन्हें पहले प्रशिक्षित नहीं किया गया था। क्योंकि इस समेकित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को स्कूलों के पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाना है और क्योंकि स्कूल शिक्षा राज्य का विषय है, यह उपयुक्त ही है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों को, इसी प्रकार का कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की तरह राज्य शिक्षा प्राधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण और निर्देशन में काम करना चाहिए । यह असंगत होगा कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले कुछ स्टाफ को केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतन दिया जाए और उसके सीधे नियंत्रण में रखा जाए जबकि उसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले कुछ अन्य स्टाफ को राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा वेतन दिया जाए और वे उनके प्रशासन में रहें।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लेना

1996. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का अन्तिम रूप में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय नीति की आवश्यकता को देखते हुए विशेषतया चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उद्योग की विभिन्न समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिये एक चीनी उद्योग जांच आयोग नियुक्त किया है ।

(ग) इस विषय से संम्बन्धित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा । आशा है कि रिपोर्ट अप्रैल 1973 के अन्त तक प्राप्त हो जाएगी ।

प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने के लिए सहायता प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं

श्री वीरेन दत्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1971–72 में उनको कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) उनके कार्य के बारे में क्या रिपोर्ट दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) किसी भी स्वैच्छिक संघ को त्रिपुरा में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए भारत सरकार से सहायता नहीं मिलती है ;

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में जूट, चावल, सीसामक तथा कपास की खेती के क्षेत्र में कमी

1998. **श्री वीरेन दत्त : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में 1950–51 से 1970–71 तक जूट, चावल, सीसामक तथा कपास की खेती के क्षेत्र में क्रमश: 47.68, 45.65 तथा 78.90 प्रतिशत की कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजाति लोगों की, जो कि 28.95 प्रतिशत है, अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ; और

(ग) त्रिपुरा में जनजाति लोगों को बचाने क लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1950–51 को आधार वर्ष मानते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 1950–51 की तुलना में 1971–72 के दौरान जूट और चावल की बुवाई के क्षेत्र में क्रमश: 22.1 प्रतिशत और 80.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है; वर्ष 1971–72 के दौरान तिल और कपास की बुवाई के क्षेत्र में क्रमश : 45.0 प्रतिशत और 74.2 प्रतिशत की कमी हुई है । परन्तु ये प्रतिशतताएं अलग-अलग खेतों की संपूर्ण गणना पर आधारित नहीं है।

(ख) त्रिपुरा में उपरोक्त कारण से जनजातियों की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संम्बंध में न तो कोई अनुमान लगाया गया है और न इस संम्बन्ध में कोई जानकारी ही उपलब्ध है ।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत त्रिपुरा में जनजाति विकास के लिये विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं । महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना जनजाति विकास खण्डों के सम्बंध में है। त्रिपुरा में ऐसे 5 खण्ड हैं । चौथी योजना में कृषि सहित कुल 34 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

सूखा राहत कार्यों के लिए मैसूर को सहायता

अ०सू०प्र० संख्या 3. श्री वी० वी० नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने अपने सूखा राहत कार्यों में धन लगाने के लिए केन्द्र से पेशगी धन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख): सम्भवत: यह संकेत मैसूर सरकार के उस निवेदन की ओर है जो उन्होंने अपनी कठिन अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए सूखा सहायता कार्यों पर खर्च करने के लिये तदर्थ धन देने के लिये किया था ।

इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार को पहले ही 16.5 करोड़ रुपये की राशि दे दी गयी है।

अधिकारियों का एक अन्य केन्द्रीय दल हाल ही में स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य में गया था । खर्च की प्रगति को देख कर और केन्द्रीय दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर ही और अधिक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ।

करगली बिहार में कोयला खान कर्मगारों पर गोली चलाये जाने के समाचार के बारे में

RE. REPORTED FIRING ON COLLIERY WORKERS AT KARGALI (BIHAR)

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : The Coal miners in Kargil area in Dhanbad (Bihar) were victims of firing. Cruelties are being committed upon the Coal miners. I want that I/my also be shot..... (*interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। मैं पहले ही इस बारे में मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का आग्रह कर चुका हूं ।

Shri Dhan Shah Pradhan : Four persons have been shot dead. I am a coal miner. I request that justice should be given to them.

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहा है । यदि आप चाहते हैं कि इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाये तो मैं उसके लिए तैयार हूं ।

अविलमबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मोदी फ्लोर मिल्स के श्री एस० के० मोदी तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मामला वापिस लिये जाने का समाचार

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : मैं गृह मंत्री का ध्यान ,अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

"दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा मोदी फ्लोर मिल्स के श्री एस० के० मोदी तथा दो अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मामला वापिस लिये जाने का समाचार"

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): 10 फरवरी, 1973 को ओखला औद्योगिक सम्पदा, नई दिल्ली में मोदी फ्लोर मिल के प्रांगण में स्थित मोदी शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) के गोदाम में काफी बड़ी संख्या में गेहूं की बोरियां पाई गई । यह संदेह हुआ कि दिल्ली अनाज व्यापारी लाइसेंस (नं० 2) आदेश, 1964 और दिल्ली में अनाज की जमाखोरी रोकने के आदेश 1966 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है । इसलिए फ्लोर मिल के कार्यालय और शीत भण्डार का गोदाम, जहां गेहूं का भण्डार पाया गया था, सील कर दिये गये और फ्लोर मिल के प्रांगण में पुलिस गार्ड तैनात कर दी गई उप-आयुक्त, खाद्यान्न तथा नागरिक सम्भरण, दिल्ली, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, ने मोदी फ्लोर मिल के निदेशक तथा सचिव और शीत भण्डार के प्रबन्धक को समाज के लिए अनिवार्य सप्लाई बनाये रखने के किसी प्रकार प्रतिकूल ढंग से कार्य करने को रोकने के उद्देश्य से 14 फरवरी को आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन उनकी नजरबन्दी के आदेश जारी किये ।

2. सील किए गये गोदाम की प्रत्यक्ष जांच करने पर यह पाया गया कि वहां 4,133 गेहूं की बोरियां थीं । 15 फरवरी, 1973 को पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दिल्ली अनाज व्यापारी लाइसेंस (नं० 2) आदेश 1964 तथा दिल्ली में अनाज की जमाखोरी रोकने के आदेश 1966 की धारा 3(1) की शर्तों के उल्लंघन के लिए एक मामला दर्ज किया । 17 फरवरी को इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए ऐडीशनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से वारन्ट प्राप्त किये गये । 18 फरवरी को कार्यवाही भी आरम्भ की गई और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 और 88 के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को अपराधी घोषित करते हुए उनकी सम्पत्ति कुर्क करने के लिय न्यायालय के आदेश प्राप्त किए गये । 21 फरवरी को सेक्रेटरी तथा मैनेजर की दिल्ली की सम्पति कुर्क की गई। 23 फरवरी को डाइरेक्टर की मेरठ स्थित सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश प्राप्त किए गए और निष्पादन के लिए जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को दे दिये गये । उसी दिन मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया । 24 फरवरी को डाइरेक्टर की दिल्ली में स्थित सम्पत्ति कुर्क की गई । 27 फरवरी को डाइरेक्टर तथा सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया । तीनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

3. आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी के आदेशों को जारी करने के बाद और जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मामले की जांच की जा रही थी इन व्यक्तियों की ओर से मोदी फ्लोर मिल से दिल्ली प्रशासन को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। उनमें कहा गया था कि फ्लोर मिल दिल्ली प्रशासन के सीधे नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है, शीत भण्डार गोदाम शील कर दिया गया है और फ्लोर मिल अधिकारी यथासमय ही न्यायालय की कार्यवाही का सामना करेंगे । अतः यह निवेदन किया गया था कि मामले की ऐसी स्थिति में नजरबन्दी के आदेश को पुनरीक्षण किया जाय ।

4. दिल्ली के उप-राज्यपाल सभी तथ्यों को मालूम करने पर सन्तुष्ट हुए कि जब कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामले की जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी रहनी चाहिए, इन व्यक्तियों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा बाये रखने के लिये अधिनियम 1971 के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक नहीं है । नजरबन्दी के आदेश जारी करने वाले अधिकारी को तदनुसार सलाह दी गई और उसने उनके विरुद्ध नजरबन्दी के आदेशों को रद्द कर दिया है । इन व्यक्तियों द्वारा किए गये कथित अपराधों की जांच जारी है और नजरबन्दी के आदेशों को रद्द करग का उस पर किसी प्रकार से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

5. मैंने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि मामले की आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र जांच के लिए कार्यवाही की जाये ताकि शीघ्र ही विचारण के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जा सके। जांच के अन्तर्गत आपराधिक मामले को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Mukhtiar Singh Malik : The way in which this matter has been hushed up is regrettable. It is a great reflection of the Central Government. Is it the Socialism of the Congress ? The Government claims to be deadly against the hoarders. But in fact it giving protection to the hoarders. The raid was made on the sanction of the Inspector General. The police had already counted about eight to nine thousand bags of wheat when the light was put out and as a result of it temperature came below the freezing point. Thus the police have to leave the place. The case was registered under Maintenance of Internal Security Act. The attachment orders on the property of Shri S.K. Modi were made and he was declared proclaimed offender. After a few days the case against Shri S.K. Modi under the Maintenance of Internal Security Act was withdrawn under great pressure and it was told that it was a case of breach of law and order only.

I want to know what was the use of registering a case under the Maintenance of Internal Security Act when the Government did not want to take any action against Shri S.K. Modi ? The action taken in this case clearly shows that the Government protects the hoarders. (*interruptions*)

I want to know whether a judicial enquiry has been ordered in this case ?

Minister of Home Affairs Shri Uma Shanker Dikshit) : The concerned person is informed regarding the case registered against him within five days of the detention. Thereafter the matter was referred to the State Administration for its decision. The Administration has to take the decision within twelve days and in case the clarification is considered correct the matter is sent to the Advisory Board and if the Advisory Board considers the case proper it keeps the detention order valid.

The Lt. Governor of Delhi is not an officer who can be influenced by any body. (*interruptions*)

The reply to the question regarding the presence of Shri Modi in reception is that the reception was held on 28th whereas he was released on bail on 27th. (*interruptions*) These allegations are cent per cent incorrect and baseless. (*interruptions*) It is entirely baseless to say that I have tried to influence the Delhi Administration. (*interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। जिन सदस्यों को मैं बोलने के लिये नहीं कहूंगा वे अगर बोलेंगे तो उनका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): आज देश में अनाज की भारी कमी है। वर्षा के न होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है और अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि की बहुत कमी हो गई है। इस कमी का एक अन्य कारण इन वस्तुओं की जमाखोरी भी है। इसीलिये हमने सरकार से अनुरोध किया था कि वह समस्त अनाज व्यापार को अपने नियंत्रण में ले ले।

इस बात का सस्ता प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस दल इन जमाखोरों को संरक्षण दे रहा है। लेकिन यह सच नहीं है। कांग्रेस ने इन जमाखोरों को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

अतः मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वह इन जमाखोरों का कब तक सफाया कर देगी और क्या सरकार कमी की स्थिति का लाभ उठाने वाले जमाखोरों को दी जाने वाली अधिकतम सजा को बढ़ा कर 10 वर्ष की कठोर सजा कर देगी ? (अन्तर्बाधाएं)

श्री उमा शंकर दीक्षित : हम सजा को कठोर करने के बारे में विचार करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : देश में घटने वाली ऐसी घटनाओं से प्रेस, जनता और सभा का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है । सिविल सप्लाई के कार्यकारी पार्षद और मुख्य कार्यकारी पार्षद ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में असमर्थता प्रकट की थी । इसके बाबजूद यह कहा जाता है कि उनके कहने पर ही यह कार्यवाही की गई है । लेकिन बाद में उनसे सलाह नहीं ली गई । इतने महत्वपूर्ण मामले में मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षद की सलाह न लेने के क्या कारण हैं ?

क्या दिल्ली के नागरिकों को उनके लोकतन्त्रात्मक अधिकारों से वंचित रखना उचित है ? क्या सरकार का दिल्ली का वर्तमान दर्जा समाप्त करने का विचार है ? इस मामले में दाल में कुछ काला नजर आता है ।

इस मामले में 10 फरवरी को मिल पर छापा मारा गया था, जैसा कि माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है । लेकिन सम्बन्धित व्यक्तियों को छापे के 17 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया था । पुलिस द्वारा इस बीच कार्यवाही न करने से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा अपराधियों को गिरफ्तारी से बचाने के लिये किया गया था । अब उनको गिरफ्तार किया गया है लेकिन उन्हें शीघ्र जमानत पर छोड़ दिया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया ।

सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस अधिनियम का राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । लेकिन सभा के कुछ माननीय सदस्यों को पहले भी आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । श्री धोते को ही उक्त अधिनियम के अन्तगत गिरफ्तार किया गया था । लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समाज विरोधी अपराध के दोषी हैं और जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कानून के चगुल से आसानी से निकल जाते हैं। (अन्तर्बाधाएं)

क्या यह मोदी वही व्यक्ति है जिसे उसकी सेवाओं के लिये पदम् विभूषण दिया गया था और क्या एम० के० मोदी को दिल्ली प्रशासन ने पहले इसी प्रकार के पुरस्कार दिये जाने की सिफारिश की थी ? देश में जबकि आटा एक रुपया 60 पैसे किलो बेचा जा रहा है तब एक मिल में 4,000 बोरी से अधिक गेहू के जमा होने पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं । क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का इससे अच्छा कोई और मामला हो सकता था ?

17 दिन तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने और उन्हें अपनी जमानत के लिये काफी समय देने और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन आदेश वापिस लेने के बारे में सरकार पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

क्या सरकार का विचार दिल्ली में महानगर परिषद् समाप्त करने का है ? मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि श्री राधारमण और कार्यकारी परिषद् के अन्य सदस्यों ने जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो, दिल्ली की जनता की सहानुभूति में त्याग पत्र क्यों नहीं दिया ? सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : अनाज जमा करने का कोई वैध प्रयोजन नहीं हो सकता क्योंकि खातों में इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया था । इस प्रकार की जमाखोरी एक अपराध है ।

पुलिस ने इस मामले में अधिक समय नहीं लिया। वह इस मामले में 13 तारीख से कार्यवाही करती रही है। 12-13 तारीख को बोरियों को गिनने में सहयोग देने के मौखिक आदेश दिये गये थे। 14 तारीख को मौके पर उपस्थित रहने के लिखित आदेश जारी किये गये थे । रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने इस मामले में कोई विलम्ब नहीं किया है ।

दिल्ली राज्य को हरयाणा से जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि अधिनियम और प्रशासनिक आदेश, जिसके अन्तर्गत उपराज्यपाल कार्यकारी परिषद् और पार्षदों के कार्य निर्धारित किये गये हैं, के अनुसार रिज़र्व विषयों पर केवल उपराज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जा सकता है । केवल स्थानान्तरण के मामलों पर ही अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

कार्यकारी पार्षद ने इस मामले को उपराज्यपाल के आदेश हेतु भेजा है । उपराज्यपाल ने अपने आपको संतुष्ट करने के बाद ये आदेश दिये,..... (व्यवधान)

श्री ज्योतिमय बसु: श्री दीक्षित ने उपराज्यपाल के पक्ष में बात की है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात संगत नहीं है ।

श्री ज्योतिमय बसु: प्रधान मंत्री ने लोगों को जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध लड़ने के लिये कहा है और कांग्रेस ने भी चोरबाजारी करने वालों को फांसी पर लटकाने का वचन दिया है । संयोगवश यह मोदी संत्तारुढ़ दल के कर्णधारों का बहुत प्रिय है..... (व्यवधान)

वास्तव में एक लाख क्विंटल गेहू, सूजी और मैदा बनाने के लिये छिपाया गया था। यह गेहू 80 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव पर खरीदा गया था । आज मैदा बाज़ार में 400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है । यदि व ऐसा करने में सफल होते हैं तो वे कम से कम 3 करोड़ रुपये का काला धन इस सरकार के संरक्षण में बना लेते । लेकिन जब पत्र गया तो उन्होंने तीन सप्ताह के अंदर 90,000 क्विंटल गेहूं वहां से उठा लिया । हमने पुलिस पर दबाव डाला है । 10 फरवरी, 1973 को छापा डाला गया। क्या इस ज़ब्त किये गये स्टाक को उसी समय सील बन्द किया गया था। क्या उसके बाद 6,000 बोरे चोरी से नहीं हटाये गये ? नाटकीय ढंग से असली आभिगियों को भूमिगत रहने दिया गया । अखबारों द्वारा ऐसे समाचार फैलाये गये कि मोदी की सम्पत्ति ज़ब्त होगी और सरकार चोरबाज़ारी करने वालों को कुचलेगी ।

उसके बाद सत्ताधारियों से बातचीत का दौर चला । मेरी सूचना के अनुसार 20 लाख रुपये का सौदा निश्चित हुआ.....(व्यवधान) इस प्रकार के कार्य को गृह मंत्री के अतिरिक्त और कोई करने में समर्थ नहीं है ।

भूमिगत लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि ज़मानत पर छोड़ दिया गया है । आधी रात को धारा 144 के अधीन मैं गिरफ्तार हुआ । मुझे पांच बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया कारण पूछने पर मुझे बताया गया कि मामला इस निर्णय के लिये कि कितने दिन मुझे हवालात में रखा जाता है, गृह मंत्री को भेजा गया है.....(व्यवधान)

इस मामले मैं हर बात पूर्व आयोजित थी । आखिर दिल्ली में गृह मंत्री के अतिरिक्त कौन इतने बड़े मामले को वापिस ले सकता है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : सब से पहले मैं आखिरी प्रश्न का उत्तर दूंगा। अधिनियम के अनुसार गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्री का ऐसे मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इनकी बात में विघ्न क्यों डाल रहे हैं?

श्री उमाशंकर दीक्षित : सारी कहानी निराधार है, माननीय सदस्य ने कानून समझाने की कोशिश नहीं की है। मैं इस बात से स्पष्ट इनकार करता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस बारे में कभी कोई आदेश जारी किये हैं, मेरी सूचना के अनुसार श्री बहल वहां नही गये हैं। बोरों को भी तत्काल ही सीलबन्द किया गया। बोरों के प्रबन्धकों के सामने खोला गया। ऐसा कहना किसी के लिये कहां तक उचित है कि जानबूझ कर सारे स्टॉक को सीलबन्द नहीं किया गया । इस मामले में हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे (व्यवधान) । उपराज्यपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की मैं अवश्य जांच करवाऊंगा। पैसा लेने की जब बात इन्होंने की उस आरोप की मैं पुरजोर निंदा करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव---प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिलना

MOTION FOR ADJOURNMENT—LEAVE REFUSED

उड़ीसा विधान-सभा को असंवैधानिक ढंग से भंग किये जाने का समाचार

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ प्रस्ताव मिले हैं·····(व्यवधान) मैं इसे अनुमति नही देता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है·····

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता । हमने इस प्रकार अनुमति अभी तक नहीं दी है (व्यवधान) यदि इस प्रकार का व्यवहार जारी रहा तो भगवान ही इस संसद की रक्षा करेगा·····(व्यवधान)

मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं, मुझे यह मालूम करना है आप सूचना भेजें और मैं उसे देखूंगा।

कभी-कभी माननीय सदस्य मुझे स्थगन प्रस्ताव के ध्यानार्कषण प्रस्ताव से पहले लेने के लिये कहते हैं। आज श्री पीलू मोदी खड़े नहीं हुए। क्या वे इसे नहीं लेना चाहते ?

श्री पीलू मोदी: इसका निर्णय आपको करना है।

अध्यक्ष महोदय : उड़ीसा के बारे में तीन विभिन्न प्रस्ताव आये हैं वे श्री पीलू मोदी, श्री पी० के० देव, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री समर मुखर्जी, श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर, श्री सरोज मुखर्जी, श्री बीरेन दत्त, श्री लक्ष्मी नारायण पाँण्डेय, श्री समर गुह, श्री ज्योतिमय बसु तथा श्री शामनन्दन मिश्र के हैं जिनमें से एक श्री वाजपेयी का भी है । मुझे इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति नहीं हैं·····

कुछ **माननीय सदस्य**: इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य आप यदि श्री वाजपेयी के प्रस्ताव को लेना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है । यह काम दो बार या तीन बार न हो, मैं इसे ही टालना चाहता हूं। माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Vajpayee's motion should be taken up.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बताये कि वे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं। अथवा उद्घोषणा पर। श्री पीलू मोदी क्या चाहते हैं?

श्री ज्योतिमय बसु : विरोधी दलों के आपस में परामर्श करने का अवसर दें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हम स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके पक्ष में कितने माननीय सदस्य हैं

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बंगुसराय) : माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती हैं?

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अनुमति लेनी होगी।

श्री पीलू मोदी : उड़ीसा की घटनाओं से प्रजातंत्रीय प्रणाली में एक रिक्त स्थान पैदा हो गया है। उड़ीसा सरकार की अनिश्चितता के बारे में कई वक्तव्य दिये गये हैं। राज्यपाल ने भी कुछ गलत वक्तव्य दिये हैं। समाचार पत्रों में भी मैंने प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये कुछ ऐसे ही गलत वक्तव्य पढ़े।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी नही।

श्री पीलू मोदी : मैंने कहा कि समाचार पत्रों के अनुसार टाइम्ज़ आफ इण्डिया जैसे सरकार द्वारा नियंत्रित समाचार पत्रों में वक्तव्य छपे थे । कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इस प्रकार के वक्तव्य दिये थे कि स्थायित्व के लिये ऐसा कुछ किया जा रहा है।

देश में विरोधी दल तो 125 हैं लेकिन अकेला कांग्रेस दल समूचे विपक्ष का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त है।

भारत में एक पार्टी या दो पार्टी के शासन के रूप में स्थिरता नहीं मानी जा सकती और ऐसा विचार बेहूदा है। आगे आने वाले कई वर्षों के लिए राज्यों में ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी मिली जुली सरकार बनेगी। (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी भी विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक मिला जुला संगठन है। "श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने कल सुबह जब प्रधान मंत्री को टलीफोन किया तो प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दरा गांधी ने श्रीमती सत्पथी को इस्तीफ़ा देने और विधान सभा भंग करने की सलाह दी।"

पता नहीं प्रधान मंत्री कैसे इस निर्णय पर पहुंची कि श्रीमती सत्पथी विधान सभा भंग करने की सिफारिश करने के लिए सक्षम हैं। तकनीकी दृष्टि से भी, श्रीमती सत्पथी अपना बहुमत खो चुकी थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के बहुत से सदस्यों द्वारा एक साथ त्यागपत्र देने के आधा घण्टे बाद या 45 मिनट बाद राज्यपाल को अपनी सिफारिश दी थी। सदस्यों ने अपने जो त्यागपत्र दिये थे, उन पर विधान सभा अध्यक्ष ने समय भी लिख दिया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य जो चाहे कहें, परन्तु उन्हें काल्पनिक बातचीत के आधार पर कोई बात नहीं कहनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी: मैं चाहता हूं कि श्रीमती गांधी 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार का खण्डन करें।

श्री चन्द्रजीत यादव ने उड़ीसा की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया है कि "पिछले वर्ष जून, के महीने में उत्कल कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे और इसे दल बदल नहीं कहां जा सकता, क्योंकि वे उत्कल कांग्रेस के विफल होने पर ही कांग्रेस में शामिल किये गये थे। और अब ये विधायक दल बदल रहे हैं।"

क्या यह विचित्र बात नहीं है कि 26 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई और 23 बार इस घोषणा के परिणामस्वरूप कांग्रेस बाद में या तो सत्तारूढ़ हो गई अथवा विरोधी पार्टियों को सत्तारूढ़ होने से वंचित होना पड़ा। संविधान, राष्ट्रपति और राज्यपाल का उपयोग सत्तारूढ़ पार्टी के लाभ के लिए किया जाता रहा है।

अगर हम यह अनुभव करते हैं कि न्याय नहीं किया गया है अथवा कानून का दुरुपयोग किया गया है, तो हमें दोष नहीं दिया जा सकता। राज्यपालों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? राज्यपाल की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): राज्यपाल की रिपोर्ट अभी सभा पटल पर रखी ही नहीं गई। अगर माननीय सदस्य गम्भीर चर्चा चाहते हैं, तो पहले रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

अगर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन अथवा राज्यपाल सम्मेलन ने सदन के अन्दर बहुमत की परीक्षा करने के अलावा किसी अन्य उपाय का सुझाव दिया है, तो यह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है।

साढ़े आठ महीने पहले जो सरकार थी, उसे कांग्रेस ने दल-बदल कराके गिरा दिया और कांग्रेस जनता के न चाहते हुए भी उड़ीसा में सत्तारूढ़ हो गई। अब यथास्थिति कायम हो गई है परन्तु केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह स्वीकार नहीं हैं। यह नैतिक पतन है।

मैं सदन से और सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह इस विषय पर चर्चा करने में सहयोग दें। वे इस पर चर्चा करने से भयभीत क्यों हैं, जबकि उनके राष्ट्रपति का वहां पर शासन है (व्यवधान) श्रीमान् जी मैं आप से स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। खड़े हुए सदस्यों की संख्या 41 है, जो पचास से कम है, अतः अनुमति नहीं दी जाती। **(व्यवधान)**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

आर्थिक समीक्षा, 1972-73 का शुद्धि पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं श्री वाई० बी० चव्हाण की ओर से 'आर्थिक समीक्षा 1972–73' के शुद्धि-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 4366/73]**

कांडला पत्तन न्यास और मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और केन्द्रीय सड़क परिवहन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :– मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [देखिए सं० एल०टी०।4367/73]

(2) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4368/73]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता, के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल टी4369/73]

खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन उपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1973

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 133 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4370/73]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचनाये और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12ख की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 500(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक।

प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 4371/73]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर, के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०/4371/73]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अधीन अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) :

मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) सां० आ० 9(ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुआ था।

(2) सां० आ० 10(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०/4372/73] :

औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) : नियम 1972

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किल्कु)

मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण), की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 289 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4373/73]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा की शर्तें, (संशोधन) नियम, 1973

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, सभा-पटल पर रखता हूं दिनांक 15 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 12 (ङ) में प्रकाशित हुए

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4374/73]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :–मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन अधिसूचनायें

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(श्री ए० के० किस्कु): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(क) औषधि और अन्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:–

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 अगस्त् 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2139 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त् 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2358 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०।4375।73)

उड़ीसा राज्य के बारे में उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :–मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (i) के अधीन दिनांक 3 मार्च, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 155 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 3 मार्च, 1973 को जारी किये गये आदेश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 मार्च 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 156 (ङ०) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राष्ट्रपति को भेजे गये उड़ीसा के राज्यपाल के दिनांक 1 मार्च, 1973 के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4376।73)

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : क्या यह वितरित की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय :–जी, हां।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

77वां प्रतिवेदन

श्री भागवत झा आजाद :

मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन--केन्द्रीय सरकार (रेल) में सम्मिलित रेलों के वित्तीय परिणामों और आय सम्बन्धी पैराग्राफों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 77वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1972-73 पेश की गई

Supplementary Demands for Grants (Railways) 1972-73 Presented

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं वर्ष 1972–73 के बजट (रेल) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं केरल के रबड़ उत्पादकों के गम्भीर संकट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बिजली की कटौती के कारण टायर फैक्टरियों में उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है और वे 50% रबड़ का ही उपयोग कर पा रही हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से बात करके उत्तर प्राप्त कर लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मद सं० 14–ख के बारे में आप क्या कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: INCREASE IN PRICES OF FOODSTUFFS AND OTHER ESSENTIAL COMMODITIES

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु क्या आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् भाषण करना चाहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अध्यक्ष पीठ की आज्ञा सदा ही मानता हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen hours of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fifteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy speaker in the chair.

खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: INCREASE IN PRICES OF FOODSTUFFS AND OTHER ESSENTIAL COMMODITIES.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातर हो रही वृद्धि और उन्हें रोकने में सरकार की असफलता से चिन्तित और दुखी है।"

भारत विश्व के निर्धन देशों में से है और बढ़ती कीमतों के कारण हम दिन प्रतिदिन और निर्धन होते जा रहे हैं। इस देश में संसार में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। 1956–66 के बीच मूल्य स्तर 80 प्रतिशत तक बढ़ा और 1960 से लेकर अब तक 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां 9 वर्षों में विश्वमूल्य स्तर लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ा है वहां भारत में यह मूल्य स्तर 90 प्रतिशत तक बढ़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में जुलाई 1971 में सामान्य मूल्य सूचकांक 90 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इस देश की स्थिति वास्तव में बहुत चिंताजनक हो गई है।

थोक मूल्य के सूचकांक जो 1961-62 के आधार वर्ष में 100 थी वह 1962-1972 में बढ़कर 200.7 प्रतिशत हो गई । ऐसी संभावना है कि 1972-73 के वित्तीय वर्ष के दौरान यह और 15 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

मूल्य स्थिति की अन्य निराशाजनक बात यह है कि मूल्यों में फसलों की कटाई के बाद भी कुछ कमी नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यों में आत्यधिक वृद्धि हुई है। 1965-66 में यह सूचकांक 169 था और अक्तूबर, 1972 तक यह बढ़कर 254 हो गया यह एक धोखा है। वित्त मंत्री ने आज कांग्रेस की संसदीय पार्टी की एक सर्वसाधारण सभा में आश्वासन दिया कि अगले कुछ हफ्तों में कीमतों में कमी आएगी परन्तु इस आश्वासन से सदस्य संतुष्ट नहीं हो सके। सदस्य गण संतुष्ट भी कैसे हो सकते हैं क्योंकि कीमतें कम होने के आसार नहीं नज़र आते।

25 बड़े शहरों के सर्वेक्षण में पता चलता है कि बिना किसी अपवाद के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और कहीं तो यह वृद्धि 300 प्रतिशत तक भी हुई है और इस वृद्धि को रोकने के लए सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं किया है।

'इक्नॉमिक टाइम्ज' के एक लेख में कहा गया है।

"साधारण उपभोक्ता के दिमाग में तीन बातें हैं एक तो बढ़ती हुई कीमतों से उसे किसी प्रकार की सुरक्षा नही है"।

जहां तक मिलावट का प्रश्न है आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि डालडा जैसे वनस्पति तेल में 32 प्रकार की चीजें जैसी वेसलीन पेट्रोलियम जैली इत्यादि मिलाई जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं। हल्दी में सेलखड़ी और सिक्का मिलाया जा रहा है यहां तक कि बच्चों के खाने वाली टॉफियों में भी मिलावट की जा रही है। सरसों के तेल के साथ खनिज तेल मिलाया जा

रहा है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। चालू बजट सत्र में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने यह कह कर सभा को गुमराह किया है कि कीमतों में कुछ गिरावट दिखाई देती है। उनका यह कहना है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है। विश्व के सभी देशों के साथ ऐसा होता आ रहा है। सरकार का यह प्रयत्न है कि निर्धन वर्ग की मुख्य आवश्यकताएं उचित कीमत पर पूरी की जा सकें। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कीमतों को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या एकाधिकारियों के समक्ष हार नहीं मानी गई। मुख्य बात यह है कि सरकार ने एकाधिकारियों के समक्ष पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया है और यह उनके द्वारा की गई सेवाओं के एवज़ में किया जा रहा है। यह अभाव भविष्य कर्ताओं के कारण हुआ है और साथ में खाद्य मंत्रालय ने लोगों के दिमाग में आशाएं पैदा कर और हरित क्रांति की धारणा के बारे में इस स्थिति को पेश किया है।

गत वर्ष खाद्य मंत्री ने कहा था कि खाद्यान्न में 150 लाख मीट्रिक टन तक कमी होगी। किन्तु भारत सरकार जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों की सहायता करती रही है।

उदाहरण के लिए चीनी को ही ले लीजिए। वसूली वाली चीनी के मामले में लाभ छिपा हुआ होता है। सरकार ने इसके लिए सीमा शुल्क अधिकारी नियुक्त किए हैं किन्तु वह भी इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने 2000 रुपये प्रति माह की किश्त बांध रखी है। ताकि 10.4% की वास्तविक वसूली को केवल 9.4% ही दिखाया जा सके।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा वसूली वाली चीनी (Levy sugar) पर छिपा हुआ लाभ होता है जिससे उन्हें लगभग 26 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का लाभ होता है। 'डकन हैरलड' में ठीक ही उल्लेख किया गया है कि परम्परागत अनुमान के द्वारा एक वर्ष में चीनी उद्योगपतियों को लगभग 200 करोड़ रुपये बनाने की अनुमति है। सरकार जनसाधारण को लूटने के लिए इन उद्योगपतियों से सांठगांठ करती रही है और अपने लिए शेयर लेती रही है। इसके बावजूद सरकार ने 1961–67 की अवधि के दौरान चीनी उद्योग को 70.13 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। सरकार जमाखोरों और काला बाज़ार वालों को फलने फूलने देती है और उन्हें कोई दण्ड नहीं देती है।

"टाइम्ज ऑफ इण्डिया" में आया है कि अभी तक केवल 15 लाख टन चावलों की वसूली हुई है और अगर यही हिसाब चलता रहा तो 23 लाख से भी अधिक वसूली न हो पाएगी और यही बात मोटे अनाज के संबंध में भी है। खाद्य निगम घोटाले के सम्बन्ध में क्या हुआ है? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पुनर्गठन हो गया है और उन अपराधियों तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो खाद्य निगम के धन में घोटाला करते रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित खाद्यान्न किस्म नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि 210 करोड़ रुपये के कुल मूल्य में से 10 प्रतिशत की भी चोरी मानी जाती है तो भी 21 करोड़ रुपये के आंकड़े आएंगे। फिर भी उन्हें दण्ड क्यों नहीं दिया गया। चुराए गए पदार्थों को वे कहां बेचते हैं हमें इसका उत्तर दिया जाए।

बम्बई और कलकत्ता में राशनिंग में असफलता मिली है और इसमें अत्यधिक कमी हुई है और काला बाजारी को प्रोत्साहन मिला है। वास्तव में संशोधन राशनिंग को बन्द कर दिया गया है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुल मांग और कुल सप्लाई के बीच असंतुलन में काफी वृद्धि हुई है। वित्त सम्बन्धी विश्लेषण करने से पता चलता है 1969–70 में देश के भुगतान संबंधी सौदों के संतुलन और वाणिज्यिक क्षेत्र के शुद्ध बैंक ऋण में हुई वृद्धि से धन संभरण पर प्रमुख विस्तृत प्रभाव पड़ा है।

1969-70 में घाटे की अर्थव्यवस्था 46 करोड़ रुपये थी और 1970-71 में 285 करोड़ रुपये थी और 1971-72 में यह 385 करोड़ रुपये थी। 1972-73 में बजट अनुमान 251 करोड़ रुपये का है। इसमें राज्यों को दिए गए ओवर ड्राफ्टों को शामिल नहीं किया गया जो 400 करोड़ रुपये होता है। इस प्रकार घाटे की कुल अर्थव्यवस्था 971 करोड़ रुपये हुई। ऋण संबंधी नीतियां भी उतनी ही अनर्थकारी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कीमतों को बढ़ने से रोकने में असफल हो गया है और रिजर्व बैंक की गतिविधियों के बारे में तत्काल ही हमें पूरी जांच करनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने बहुत से धन का अपव्यय किया है। मैं चाहता हूं कि सभी मामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिये। अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ाए गए हैं और इसका आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। 1966-67 में प्रत्यक्ष कर 58.72 करोड़ और 1967-68 में 50 करोड़ थे जबकि इसी अवधि के लिए अप्रत्यक्ष कर क्रमशः 42.79 तथा 67.71 थे। 1968-69 में प्रत्यक्ष कर 10 करोड़ थे और अप्रत्यक्ष कर 55.73 करोड़ थे। इसी प्रकार 1969-70 में प्रत्यक्ष कर 13.50 करोड़ थे और अप्रत्यक्ष कर 108.84 करोड़ थे। जहां तक 1972-73 और 1973-74 का सम्बन्ध है जहां प्रत्यक्ष कर 16.5 और 18.6 करोड़ रुपये के लगाए गए हैं वहां अप्रत्यक्ष कर 155.1 और 273.57 करोड़ रुपये के लगाए गए हैं। देश में अनुत्पादक व्यय भी चिंताजनक स्थिति पर पहुंच रहा है। 1963-64 में प्रशासनिक सेवाओं पर 77.37 करोड़, पुलिस पर 25.07 करोड़, विदेशी ऋण सेवा पर 278.38 करोड़ रुपये व्यय किए गए। आप जरा 1973-74 के बजट अनुमान को देखिए। प्रशासनिक सेवाओं पर 279.44 करोड़, पुलिस पर 124.37 करोड़ तथा विदेशी ऋण सेवा पर 834.85 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है। जनसाधारण से अतिरिक्त करों के रूप में प्राप्त किए गए धन को देश में नौकरशाही और पुलिस तंत्र को मज़बूत करने के लिए मुख्यतः अनुत्पादक और गैर-योजना व्यय के रूप में खर्च किया जा रहा है ताकि शासक वर्ग की सुरक्षा की जा सके।

उदाहरण के लिए हम प्रतिरक्षा व्यय को लेते हैं। पिछले दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये से भी अधिक प्रतिवर्ष खर्च हुआ। वस्तुओं की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं भोजन की कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। रहने के लिए मकान महंगे हो रहे हैं वर्दी की कीमत बढ़ रही है तो ऐसी अवस्था में निश्चित धनराशि से कम काम कैसे चलाया जा सकता है। यद्यपि प्रतिरक्षा व्यय श्री चव्हाण के हाथ में है फिर भी वह कोई जादूगर तो नहीं कि उत्तम वस्तुओं को मनचाही कीमत पर अपनी सुविधानुसार प्राप्त करलें।

व्याप्त भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों व एकाधिकारियों से राजनीतिक दल द्वारा धन प्राप्त करना आर्थिक विनाश के मूल कारण हैं।

Dr. Kailas (Bombay-South): I am thankful to the hon. member Shri Jyotirmoy Bosu and Prof. Samar Guha for expressing their views on the subject but it would have been much better if instead of criticising the ruling party they had suggested someways to check the rising prices.

The prices of commodities of daily consumption have not only increased in India but all over the world. The price rise is a world wide phenomenon. Prices have been rising both in developing and developed countries. In France there was 19.6 per cent price rise, in 1971 and in New Zealand the price rise was 28.3 per cent between 1967-71 and in U.K. it was 23.2 per cent and in United States it was 13.9 per cent in this period. The

price index of India for the year 1967 was 154.0 for 1968, 153.0, for 1969 156.0 for 1970, 166.0 and for 1971 it was 172.0. The reason for this price rise is that production of commodities is going down on the one hand and population is increasing on the other. In such a situation those people are ruling who have financial economic power in their hands unless their power is reduce it is very difficult to bring down the price level.

During the last two years our economy had to face a great strain on account of heavy influx of refugees and the India Pak conflict.

It is a mistake on the part of Government that they do not pay adequate attention towards miner irrigation schemes.

Even the World Health Organisation is considering over the measures to check the increase in population therefore unless we increase production and make efforts to contain the increase in population it will not be possible to remove the economic distress. Sufficient attention should be given to increase the production of Iron and Cement. Encouragement should be given to small factories so that more people may be provided with employment.

The decision to take over the whole sale trade of foodgrains is really appreciable. Government has also launched a massive emergency agricultural production programme Similarly the work of stepping up of release of foodgrains from the fair price shop have also been undertaken.

I want to say few words about hoarding also . Hoarding should be provided. It helps to bring rise in prices. Hoarding leads to scarcity of goods and it makes the situation more complicated.

The Pay Commissions report is likely to increase the deficit financing. I want to suggest that in order to break the vicers cirele of higees wages and highes prices, the increase in emoluments of employees should be given in kind. You may say it is not practicable but the things which were impracticable till Yesterday have become practical today like Bank nationalisation taking over of whole sale trade etc. Working Class will never object to the proposal. It is the people who will be benefited by it.

Constructive measures should be adopted to check the price rise : More tubwell should be digged, canals should be made and the agricultural programme launched by the government should be Completed. Prime Minister and Finance Minister are sorry for the rise in prices but we should see that prices may not rise further.

श्री समर गुह (कन्टाई) : पिछले 6 महीनों से कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। आज आप भिखारी को 5 पैसे दो तो वो कहता है कि बाबूजी एक रोटी 20-25 पैसे से कम नहीं मिलती है। एक निर्धन व्यक्ति अपने बच्चों को दो वक्त भरपेट खाना नहीं खिला सकता है।

बंगला देश से आए शरणार्थियों और सूखे के कारण कीमतों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। परन्तु वास्तव में सरकार द्वारा पिछले 25 वर्षों से अपनाई गई गलत नीतियों के कारण कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है परन्तु धन की सप्लाई में अंधाधुंध वृद्धि, घाटे की अर्थव्यवस्था, गैर विकास व्यय, अप्रत्यक्ष कराधान, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने से असहनीय मूल्य वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 22 करोड़ लोग

निर्धनता के दर्जे से भी नीचे हैं और लगभग 67 प्रतिशत लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाते हैं।

बजाए इसके कि आप लोगों को विश्वास दिला कर कहो कि कीमतों में वृद्धि को रोका जाएगा। आप साफ क्यों नहीं कहते कि देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था में कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है ताकि लोग अपने को तैयार कर सकें और बढ़ती कीमतों से उन्हें निराशा भी न हो। मैं बढ़ती कीमतों को रोकने के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

घाटे का बजट पिछली चार योजनाओं के दौरान बढ़ता रहा है और लगभग 3,270 करोड़ रुपये का कुल घाटे का बजट बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 7,000 करोड़ रुपये का देश में काला धन भी है और पांचवीं योजना में गतिशील संसाधनों के लिए प्रस्तावित 6,615 करोड़ रुपये में से आधा आम जनता से अप्रत्यक्ष करों के रूप में लिया जाएगा अतः आप कीमतों में वृद्धि को रोक नहीं सकते।

स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित दीर्घकालीन उपाय अपनाने चाहिए। धन की सप्लाई उत्पादन क्षमता के अनुसार संतुलित की जाए और घाटे की अर्थव्यवस्था में भारी कमी हो और गैर विकास व्यय जो अत्यधिक है धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। वांचू समिति की सिफारिशों के अनुसार काले धन और काले बाजार की समस्या से कठोरता से निपटना चाहिए।

समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं में कड़ाई के साथ कटौती की जाये तथा निम्न वर्ग को रोजगार तथा आय के अन्य साधन उपलब्ध कराकर उसकी क्रय-शक्ति में वृद्धि की जाये। गैर-आवश्यक वस्तुओं को कम किया जाये तथा उपभोक्ता वस्तुओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाये। कठोर उपायों द्वारा सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाये तथा नये तकनीकी विकास, मालिक-श्रमिक संबंधों में सुधार द्वारा तथा कृषि श्रमिकों को उचित न्यूनतम मंजूरी तथा कृषि उत्पादों के लिये उचित मूल्य घटाकर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जाये। उसके लिये ऋण सुविधाओं तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था में भी आवश्यक परिवर्तन करके उसे सुधारा जाये।

अल्पावधि उपायों के अन्तर्गत, मूल्यों में वृद्धि तथा सामान्य लोगों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का जो निर्णय सरकार ने किया है उसको फलीभूत करने के लिये बफ़र भण्डार बनाये जायें। भले ही इसके लिये आयात भी क्यों न करना पड़े ताकि लोगों के दिल से कमी की भावना समाप्त हो जाये।

सरकार मोटे अनाज के व्यापार को अधिग्रहीत करे तथा साथ ही चीनी तथा वनस्पति के थोक व्यापार को भी अपने हाथ में ले ले। खाद्य तेलों के मामले को उचित महत्व दिया जाना चाहिये। गेहूं तथा चावल के थोक व्यापार को तुरंत हाथ में लेकर सरकार को उसके उचित वितरण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। वसूली तथा वितरण का नियंत्रण पृथक-पृथक राज्य सरकारों तथा केन्द्र के खाद्य मंत्रालयों के हाथों में हो। उचित मूल्य की दुकानें खाद्यान्न, मोटे अनाजों चीनी तथा खाने के तेलों की बिक्री करें। इन दुकानों के संबंध में ग्रामीण-नगरीय असंतुलन समाप्त किया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है। वितरण संबंधी असंतुलन को दूर किया जाना चाहिये। कपास तथा कपड़े के मूल्य स्थिर होते नज़र आते हैं। उनके मूल्य पर नियंत्रण रखा जाये तथा मोटे कपड़े का विक्रय राशन कार्डों द्वारा किया जाये। 75 लाख हथकरघा बुनकरों को धागे के समान वितरण की तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिये।

दो करोड़ 70 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा 50.2 प्रतिशत अन्य आर्थिक कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मंजूरी की नीति तुरंत लागू की जानी चाहिये ताकि निर्धन ग्रामीण समुदाय की क्रय शक्ति बढ़े। भण्डाकरण, परिवहन तथा वसूली के दौरान खाद्यान्नों में होने वाली वर्तमान 26 प्रतिशत हानि तथा तत्संबंधी 77 रुपये प्रति टन के व्यय को यथासंभव घटाया जाये।

सहकारिताओं, कार्मिक संघों, कृषि श्रमिक संघों, उपभोक्ताओं तथा सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लेकर खण्ड के राज्य स्तर तक सांविधिक उपभोक्ता परिषदों का गठन किया जाये ताकि वे खाद्य की कमी पर निगरानी रख सकें तथा उचित मूल्य की दुकानों पर अथवा अन्यत्र जमाखोरी, मुनाफ़ाखोरी तथा भ्रष्टाचार पर नज़र रख सकें। इसी प्रकार वसूली सलाहकार समितियों का भी गठन हो ताकि काश्तकारों को अपने दाम मिल सकें। इससे बिचौलियों का भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। सर्वदलीय खाद्य परिषदें भी बनाई जायें जो कृषकों के लिये ऋण, उर्वरकों का वितरण आदि का सुनिश्चय करे। कृषि, उर्वरक बाढ़ सूखा तथा अन्य ऋणों की वसूली की अवधि को दो वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया जाये। खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सड़क तथा रेल परिवहन को नियमित करने की दृष्टि से एक केन्द्रीय दल गठित किया जाये खाद्यान्नों आदि के जमाखोरों तथा कालाबाजार करने वालों को कड़ी सजा देने वाला डाक अध्यादेश तुरंत लागू किया जावे ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर कदाचार बन्द हो।

प्रथम योजना की थोड़ी-सी अवधि को छोड़ कर, सरकार की गलत नीतियों के कारण सभी योजनाओं के दौरान मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है। परन्तु अपनी अयोग्यता तथा अकुशलता को छिपाने के लिये सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों तथा सूखे की स्थिति के दो प्रमुख बहाने बताये। बंगला देश के शरणार्थियों के लिये लोगों ने उपकर दिया तथा विदेशों से भी अनुदान प्राप्त हुआ। यह कहना गलत है कि उनके कारण अतिरिक्त धन आ जाने से घाटे की व्यवस्था तथा मूल्य में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वर्ष 1972 का सूखा खाद्यान्नों में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका प्रभाव तो आगामी बारह मासों में अनुभव होगा। अतः अगस्त, 1972 से मूल्यों में वृद्धि का कारण सूखे की स्थिति नहीं हो सकती।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 1949 से रुपये के मूल्य में 39.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 1949 में 100 रुपये में गुज़ारा करने वाले को अब 153 रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं। रुपये के मूल्य में जब इतनी--$2\frac{1}{2}$ गुणा--गिरावट आई है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कमी करने वाले निम्न आय के लोगों 2.70 करोड़ भूमिहीन श्रमिकों तथा केवल एक एकड़ भूमि वालों की आय की क्या दशा रही है! 22 करोड़ लोग जो गरीबी से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहे हैं उनकी क्या दशा होगी।

परन्तु रुपये के मूल्य में यह गिरावट तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सूखे अथवा बंगला देश के शरणार्थियों के कारण नहीं हुई। यह तो एक निरन्तर होती रहने वाली क्रिया है। वर्ष 1968 में जहां कुल राष्ट्रीय उत्पादन 2.5 प्रतिशत था तथा मुद्रा की सप्लाई में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहां बीच के वर्षों में निरन्तर वृद्धि आते-आते वर्ष 1970-71 में क्रमशः 4.7 तथा 7 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1971-72 में मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि 12 प्रतिशत हुई।

इस प्रकार यह एक निरन्तर क्रिया है और सरकार कहती रही है कि हम मूल्य में वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मत है कि इसके लिये अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों ही तरह के उपाय किये जाएं।

सरकार कहती है कि उसे विपक्ष का सहयोग चाहिये। परन्तु बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि किसी भी संवैधानिक स्तर की किसी भी समिति में किसी संसत्सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। यदि सरकार सचमुच ही विपक्ष का सहयोग चाहती है तो वह सच्चे दिल से सभी राजनैतिक दलों की सहायता मांगे।

श्री सी. एम. स्टीफ़न (मुवत्तुपूजा)

इस मामले पर गत 14 नवम्बर, 1972 में चर्चा की गई थी और आज फिर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या पर इस सभा में चर्चा चल रही है जिसके कारण देश के करोड़ों लोग परेशान हैं। इस समस्या पर हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये।

मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि यद्यपि इस विषय पर चर्चा के लिये विपक्ष ने ही निरन्तर ज़ोर दिया परन्तु उस ओर से कोई ठोस रचनात्मक सुझाव नहीं दिये गये हैं। इस अवसर को उन्होंने व्यर्थ ही गंवाया है।

यह तथ्य सर्वथा निर्विवाद है कि इस समस्या पर बिचार करने तथा इसके स्वरूप को समझने की नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया तथा वित्त मंत्री के बजट भाषण में, अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत मूल्यों के उतार-चढ़ाव के संदर्भ में भी बहुत कुछ कहा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भी यह स्वीकार किया गया है कि मूल्यों में वृद्धि होती रही है। अतः अब केवल यह कहते रहना कि मूल्यों में वृद्धि हुई है तो समय को व्यर्थ करना है। अब तो हमें सरकार द्वारा किये गये उपायों का मूल्यांकन करना है तथा स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार को ठोस तथा कारगर उपायों का सुझाव देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु के भाषण के दौरान मैंने अनुभव किया कि उन्हें लोगों के कष्टों की चिन्ता नहीं और न ही उन्होंने कोई सुझाव देने की आवश्यकता समझी। उन्होंने तो केवल यह कहा कि वह बहुत ही दुःखी हैं तथा जो प्रस्ताव पेश किया उसमें भी उन्होंने कहा कि "इस सभा को बड़ा धक्का तथा दुःख पहुंचा है·····" वह तो शब्द कोषों से बड़े-बड़े शब्द छांटकर बोल देने में ही अपना दायित्व पूरा हुआ समझते हैं। ऐसी समस्या के संदर्भ में उक्त दृष्टिकोण उचित नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के पश्चात् से आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखी है उसके उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया है, उन्हें आग की स्थिति से चौंकना नहीं चाहिये। उस समय के पश्चात् से तो हमें ऐसी स्थिति के लिये स्वयं को तैयार करना चाहिये था। मूल्य में वृद्धि होना तो स्वाभाविक ही था। दूसरा कारण यह भी था कि गत वर्ष ख़रीफ की फ़सल नष्ट हो गई जिसके फ़लस्वरूप भी मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई। इस प्रकार, इन चीज़ों को देखते हुए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वर्तमान स्थिति पर चौंके नहीं बल्कि इसके लिये वह स्वयं को मानसिक रूप से तैयार किये हुए होगा। फिर चौंकने तथा दुःख व्यक्त करने से समस्या हल नहीं होती है। इसके लिये हल खोजने की ज़रूरत होती है। मेरा विश्वास है कि हमने यथासंभव सर्वोत्तम उपाय किये हैं तथा सरकार बार-बार बताती रही है कि क्या क्या किया जा रहा है। बजट भाषण में समुचित ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी सब कुछ बताया गया है। युद्ध के कारण मुद्रा की सप्लाई करनी पड़ी थी तथा इस समय भी वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें आगे आने वाली कठिनाईयों के लिये तैयार रहना चाहिये। इस समय जो हमें राष्ट्रीय विजय प्राप्त हुई थी उसका मूल्य भी तो हमें ही चुकाना था। दूसरा कारण ख़रीफ फसल के नष्ट हो जाने का था। मूल्यों में वृद्धि का तीसरा कारण निस्सन्देह जमाखोरी मुनाफाखोरी तथा चोरबाजारी है जोकि ऐसी घटनाओं के पश्चात् प्रायः बढ़ जाती है। चौथा कारण, निर्विवाद रूप से काले धन का संचलन है। हालांकि

बैंक-ऋणों संबंधी नियमों द्वारा इस समस्या को किसी सीमा तक हल करने का प्रयास किया गया है। ऋणों में कड़ाई की गई थी अनाज व्यौपारियों को ऋण देना रोक दिया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से, काले धन की भी एक अलग तथा समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है।

क्या उक्त विश्लेषण पर भी किसी का मतभेद है? हालांकि श्री ज्योतिर्मय बसु एकाधिकार या चुनाव निधि आदि संबंधी कोई वाक्य लेकर अभी उछल पड़ेंगे.....उन्हें समझ लेना चाहिये कि किसी बात को बार बार दोहराते रहने से इसका अर्थ भी समाप्त हो जाता है और वह केवल एक अस्पष्ट-सा नारा बनकर रह जाता है। उन्होंने ऐसी बातें कहने के अतिरिक्त चर्चा में कोई लाभप्रद योगदान नहीं दिया है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफल रही है। सरकार की असफलता की जांच उसके द्वारा किये गये तथा न किये गये उपायों को देखकर की जानी चाहिये। सरकार ने दुत कार्यक्रम आरंभ किये थे। 150 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा आपात उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किये गये, एक राहत कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। और अब, जमाखोरी तथा मुनाफ़ाखोरी को रोकने के लिये अनाज के थोक व्यापार को राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है।

संभव है उक्त उपाय पर्याप्त न हों। विपक्ष भी अपने सुझाव देता। परन्तु दुर्भाग्य से विपक्ष की ओर से कोई कारगर उपाय नहीं सुझाया गया है। इसके विपरीत विपक्ष के सदस्य खाद्यान्न के अधिग्रहण के बारे में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये गठजोड़ कर रहे हैं। मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये विदेश-व्यापार को हाथ में लेने संबंधी प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। परन्तु जन संघ, स्वतंत्र, सिन्डीकेट आदि के सदस्य कहते हैं अधिग्रहण मत करो। फिर क्या करें? मार्कसवादी कहते हैं कि अधिग्रहण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। विपक्ष के कुछ लोक अधिग्रहण के विरुद्ध गुटबन्दी और प्रदर्शन कर रहे हैं। कठिनाईयां पैदा कर रहे हैं। कम से कम इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने में सरकार के साथ सहयोग करने की बजाय वे कठिनाइयां और रुकावटें पैदा करने के उद्देश्य से तरह तरह के गठ-जोड़ कर रहे हैं और लोगों में यह भ्रम पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार इस समस्या का हल नहीं कर सकती। इससे तो राष्ट्र की इच्छा शक्ति क्षीण होती है।

केरल के प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेना चाही है तथा केवल 20 प्रतिशत लोग ही वेतन में वृद्धि की मांग करते हैं। परन्तु जनसंघ, स्वतंत्र तथा साम्यवादी (मार्कसवादी) और केरल कांग्रेस गठ-जोड़ करके लोगों को भड़का रहे हैं।

मेरा कहने का उद्देश्य है कि यदि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें सरकार के प्रति सहयोग तथा सहायता का रवैया अपनाना चाहिये। परन्तु यहां तो लोग इस समस्या से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह तो सर्वथा राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण है। विपक्ष को चाहिये कि वह कोई ठोस तथा कारगर सुझाव दें जिससे कि देश तथा देश-वासियों को लाभ पहुंचे, लोगों के कष्ट दूर हों। प्रतिक्रियावादी लोग इस राष्ट्रीय समस्या के हल के संबंध में सरकार की राह में रोड़े न अटकायें।

हमें याद है कि हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में क्या क्या वायदे किये थे। हमने लोगों से कहा था कि हम मूल्यों को एक स्थायी स्तर पर लायेंगे। इसके लिये हमें जमाखोरी तथा मुनाफ़ाखोरी को रोकना है। एक विशिष्ट बात यह है कि हालांकि चालू वर्ष में उत्पादन में कमी हुई है, फिर भी देश के इतिहास में यह सर्वाधिक उत्पादन का समय है अब यदि मूल्य बढ़ते हैं तो इसका एक कारण

मुद्रा की सप्लाई भी है तथा साथ ही जमाखोरी, कालाबाजार आदि भी बढ़ रहे हैं। हमें इनके विरुद्ध संघर्ष करना है। इसीलिये हमने अनाज के थोक व्यापार को अधिग्रहीत करने का प्रयास किया है।

मोदी फ्लोर मिल्ज़ के विरुद्ध मामले को वापस लेने के विरुद्ध मैं भी अपनी आवाज उठाता हूँ तथा कदाचारी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूँ। उनके विरुद्ध सुरक्षात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये। मैसूर में मेरे दल ने जमाखोरी के खिलाफ़ अभियान चलाया है। आप उसमें सहयोग दीजिये ताकि मूल्यों को स्थिर करने का हमारा वचन पूरा हो सके।

श्री के० बालदण्डायुतम् (कोयम्बाटूर) : मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के लिये मैं सरकार की आलोचना करता हूँ। यदि मूल्य स्थिर न हों तो कोई सरकार भी स्थिर नहीं रह सकती है। सभी जानते हैं कि मूल्यों में वृद्धि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार वादियों के नये गण के कारण हुई है। आज स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि सी० आई० ए० यह घोषणा करती है कि मई के महीने में देश में खाद्य संबंधी उपद्रव फैलेंगे। इस स्थिति के लिये सरकार ही उत्तरदायी है।

मूल्यों में वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि पूंजीपतियों, जमीदारों, तथा किसानों ने सरकार के उन निर्णयों को रद्द करा दिया है जो उसने पहले लिये थे। ये स्पष्टीकरण हैं। परन्तु सरकार कुछ झूठे बहाने बना रही है। प्रधान मंत्री देश की स्थिति की अन्य पूंजीवादी देशों की स्थिति से तुलना कर रही है। प्रधान मंत्री को शायद नहीं मालूम कि विश्व में अन्य 14 समाजवादी देश भी हैं। सरकार केवल पूंजीवादियों के साथ ही अपनी तुलना करती है। समाजवादी देशों में तो मूल्यों में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है। फ्रांस, न्यूजीलैंड, अमरीका तथा ब्रिटेन आदि से अपने देश की तुलना करना का अर्थ तो यही है कि आप पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर समाजवाद का मुखौटा पहन कर देश वासियों को राजनैतिक धोखा क्यों दिया जा रहा है।

दूसरी दलील सरकार यह देती है कि देश की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। परन्तु यह क्यों नहीं सोचा जाता है कि इसके फलस्वरूप काम करने वालों की संख्या भी तो बढ़ी है । यदि आप उन्हें रोजगार दें तो फिर उत्पादन भी तो उसी के अनुरूप बढ़ेगा अतः जनसंख्या में वृद्धि की दलील निराधार है।

बंगलादेश का बहाना भी इतनी बार बनाया गया है कि बस हद ही हो गई है। इससे तो राष्ट्रीय सम्मान को भी धक्का पहुंचता है। हमने इस कार्य पर 800-900 करोड़ रुपया ख़र्च किया है । क्या आप समझते हैं कि इसी ख़र्च के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि यदि मूल्यों में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो यह सरकार भी इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेगी।

प्राकृतिक विपदाओं के बारे में इतना कहा गया है कि जैसे देश में इनके अलावा कुछ सही नहीं। क्या देश में हरित क्रान्ति नहीं हुई। उसका क्या प्रभाव पड़ा।

ये सब दलीलें गलत हैं। यह कहना कि विकास-शील देश में ऐसा होता ही है। यहां पूंजीवाद के पनप जाने का द्योतक है। मुद्रा स्फीति के दबाव के प्रभावों को आप मजूरी में वृद्धि को रोक कर, मूल्यों में वृद्धि करके तथा घाटे की बजट व्यवस्था द्वारा कम करना चहाते हैं। क्या विकासशील देशों की समस्यायें ऐसे हल की जाती हैं ! इसमें तो पूंजीवाद देश भी असफल रहे हैं।

इस सारी समस्या का एकमात्र यही हल है कि आप एकाधिकारवाद को नियंत्रण में लाय उसका अधिग्रहण करें। अन्यथा यह बला सदा हमें परेशान करती रहेगी।

अनाज के थोक व्यापार का अधिग्रहण आप चाहकर भी नहीं कर पायेंगे। आप निपेक्ष का सहयोग तो मांगते हैं परन्तु आप को मुख्यमंत्रियों तथा राज्य सरकारों तक सहयोग मिल नहीं रहा है। फिर चीनी तथा कपड़ा उद्योग के अधिग्रहण के क्या परिणाम निकले ? चीनी के मूल्यों में हाल ही में 19.56 पैसे प्रति क्विन्टल की वृद्धि हुई है जबकि बोनस में वृद्धि की दर तो केवल 56 पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से हुई है। स्पष्ट है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह उद्योग भी एकाधिकार वालों के नियंत्रण में है। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये अभी आप समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं।

सरकार ने क्या किया है। इस संदर्भ में तमिल की यह कहावत लागू होती है कि यदि आप कुएं में पड़ना चाहें तो आधे रास्ते वापस नहीं आ सकते। यही बात सरकार द्वारा किये गये उपायों के साथ है जिनका कोई लाभ नहीं हो पाया क्योंकि वे उपाय सर्वथा अधूरे हैं।

अनाज की वसूली और वितरण संबंधी सोचे गये उपायों को सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया है तथा जो कुछ किया है वह उल्टे ढंग से किया है।

कालेधन के बारे में, हमारे अपने राज्य में एक व्यक्ति ने सरकार को एक करोड़ रुपये का धोखा दिया तथा आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने उसी का पक्ष लिया। अब सुना है कि उसके विरूद्ध आरोप वापस ले लिये गये हैं तथा उस धनराशि का भी बट्टे-खाते में डाल दिया गया है। उसे विक्रय-कर के भी 35 लाख रुपये अदा करने थे इसी प्रकार श्री मोदी का मामला है। जहां हम कालाबाज़ार करने वालों को चौराहे पर फांसी देना चाहते हैं वहां मोदी जैसे व्यक्तियों को जेल से भी रिहा कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : क्योंकि माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि किसी करदाता को विभाग ने छोड़ दिया है, तो वह इस विशिष्ट मामले का विवरण दें। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

श्री के० बालदण्डामृतम : मैंने कुमारपलायम के श्री अंगप्पा येस्तियार के मामले का उल्लेख किया था। मुझे पता चला है कि सारे मामले को बन्द करके उसे छोड़ दिया गया है। अब मंत्री महोदय इसकी जांच करें तथा श्री मोदी की तरह उसे भी न छोड़ दें।

श्री के० आर० गणेश : इस मामले की मुझे जानकारी है तथा विभाग ने इस संबंध में कई बार जांच की है तथा सभी आरोपों को निराधार पाया है ..... (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने उस व्यक्ति को छोड़ देने के उद्देश्य से इस मामले की जांच की होगी। अन्यथा वह क्यों इस मामले की जांच करते ?

श्री के० बालदण्डामृतम् : मैं इस बारे में श्री मोदी से सहमत हूँ। उस व्यक्ति ने शासक दल को बड़ी राशि का चन्दा दिया होगा ताकि वह छूट जाये ..... (व्यवधान)

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य क्रोध में हैं तथा उनका झूठ पकड़े जाने पर ऐसी बात कह रहे हैं जो एक नग्न*** (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से शब्द*** का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं रखा जायेगा।

***अध्यक्ष-पीठ के आदेश पर कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : It is a fact that during the past few months the prices of all the essential commodities have risen considerably. It is unfortunate that this problem is being vived with political motives. These people went to revolutionise this country and even the world with the strength of organized labour. They talk in this house against these farmers from whom they seek votes at the time of Election.

The farmers produce basic wealth and all the industries depend upon their labours. There is famine in many parts of the country and for that reasons the prices of so many commodities have been fluctuating. No that the decision has been taken for the nationalisation of foodgrain trade it is being said that Food corporation of India is not believeable, it would fail the Government. If we want to bring about stability in prices, we should keep all the farmers in the production.

The prices of foodgrains being consumed by poorers sections have risen more than these used by rich. The formation of cotton Corporation of India and entrusting of sugar distribution to F.C.I. are praiseworthy. The investments made new world yield results in coming years.

What prices the farmers get for vegetables, eggs and milk ? There are much lower than the cost of production. If we regulate the imputs needed by farmers so that they may get them stable rates the prices of the commodities would certainly fall.

It we give due prices for the produce of famers we can definitely improve the situation.

श्री के एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwary in the chair

श्री मुरासोली भारत (मद्रास दक्षिण) : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के विधेयक का समर्थन करता हूं। डा० कैलास ने बड़े श्रम से यह सिद्ध करने की चष्टा की है कि मूल्यों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है । मैं इससें सहमत नहीं हूं ।

भारत में मूल्य सूचकांक में पिछले दस वर्ष में 95% प्रतिदान की वृद्धि हुई है जबकि थाईलैंड में 21, केनिया में 25, ईरान में 32, लंका में 36 तथा पाकिस्तान में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

हमारे देश में 40% जनता गरीबी की स्थिति से भी नीचे हैं । यह शासक दल गरीबी हटाओ के नारे से सत्तारूढ़ हुआ ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से कहा है कि केन्द्रीय सरकार मूल्य वृद्धि के लिये उत्तरदायी है ।

इस वर्ष की अनुमानित आय में से 2741 करोड़ रुपया जिसमें 118 करोड़ रुपया इस वर्ष की वृद्धि के सम्मिलित हैं, उत्पादन शुल्क के हैं । इनका भार सामान्य व्यक्ति पर पड़ता है । इन उपयोगी पदार्थों के मूल्य पर 50 से 70 प्रतिशत उत्पादन शुल्क है जबकि प्रत्यक्ष करों से हम केवल 24 प्रतिशत ही प्राप्त कर पातें हैं जिसमें इस वर्ष कोई वृद्धि नहीं की गई है अतएव वित्त मंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि धनी वर्ग पर करों का भार काफी कम है ।

पिछले वर्ष कृषि उत्पादनों में 2 तथा खद्यानों में 4% की कमी आई जबकि आर्थिक समीक्षा में 1.7 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत कम दिखाया गया है । मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि को देखते हुए ऐसे मूल्यांकनों का क्या महत्व है ।

देश के कई भाग ऐसे हैं जो पूरे देश के लिये खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं परन्तु उर्वरकों के संबंध में नीति दोषपूर्ण है । 1965-66 में हिरत क्रान्ति के कारण खाद्यान्नों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है परन्तु उस वर्ष भी मूल्यों में कमी नहीं आई है । इससे स्पष्ट है कि बढ़े हुए उत्पादन भी मूल्यों को स्वतः नहीं घटाते हैं ।

विगत 6 वर्षों में धन की उपलब्धि दुगनी हो गई जबकि कृषि उत्पादनों की उपज 1960-61 के मूल्यस्तर पर 52 करोड़ रुपये से घट कर 40 करोड़ रुपये रह गयी है ।

वर्ष 1971-72 में अतिरिक्त बैंक क्रेडित 1025 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में था जोकि संसदीय निरीक्षण के बाहर है । यह देश के लोगों के साथ धोखा है । इसी के कारण मूल्य बढ़ रहें हैं ।

रिज़र्व बैंक को एक स्वायत शासी संस्था होना चाहिए परन्तु यह सरकार का एक विभाग बना हुआ है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग मूल्यों आदि के लिए एक आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी । परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । सरकार द्वारा अपनाये जा रहे तदर्थ उपायों से मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जा सकता है । सरकार आपत स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा करे ।

Shri Bhibuti Mishra (Motihari) : The motion put forward by Shri Jyotirmoy Basu is unpatriotic. No country has been able to control these reasons. We should adopt measures that may be adopted when crops fail. There are so many difficulties the farm productions have to face whereas the law of increasing utility diminishes apply on factory produce.

Such motions produce psychological effects and the shortage is more seriously felt.

Shrimati Indira Gandhi has done such a mirae as nobody has done during the past 2000 years. But you have forgotten in just one year.

I suggest that the irrigation tube well programme that the Government has undertaken should be implemented fastly. You may take up constructive means and give remunerative prices to the farmers. The prices of Industrial goods and agricultural goods should both be integrated.

The opposition members are responsible for the rise in prices.

We fought the war of independence with the help of the rich and the poor. We did not take foreign help.

Shri Piloo Mody (Godhra): You have utilised Russian money in presidential election. Was not that foreign money?

Shri Bhibuti Mishra : In 1942 communists helped the police to arrest us.

The present resolution will only help in further increase of prices.

Shri Jyotirmoy Basu : On a point of order. Shri Bhibuti Mishra says take less food. The Prime Minister says that consume less sugar. What about cloth?

Shri Bhibuti Mishra How much cloth Mahatma Gandhi used to wear?

Shri Hukam Chand Kachwai : You are wearing kurta worth hundred of rupees.

Mr. Chairman : Please do not hold cross talks.

Shri Bhibuti Mishra : If we want the democracy to continue then we should not make personal criticism.

Give priority to the goods useful for agriculture products and tax the luxries. Stop the production of cigarettes.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : बढ़ती हुई कीमतों ने सहन-शील भारतीयों की सहन शक्ति को भी परास्त कर दिया है । हम गरीबी हटाने के लिए वचन बद्ध हैं परन्तु वास्तव में हमने आम लोगों पर भारी भार लाद दिय है। आर्थिक नीतियों के बुरी तरह विफल होने के बाद भी सरकार अपनी आर्थिक सफलताओं के राग अलाप रही है । एक वर्ष में मूल्यों में 13.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिससे योजना के सभी आकड़ें मिथ्या बन गये हैं तथा छोटी आय वाले अथवा बंधी आय वाले लोग बुरी तरह पिस रहें हैं ।

केवल मौसम पर ही इसके लिये जिम्मेदार नहीं है क्योंकि मूल्य वृद्धि पहले से ही होती रही है ।

खाद्य मंत्री ने खरीफ की फसल से पहले कहा था कि खाद्यान्नों में बहुलता की स्थिति आ गई है और उनके निर्यात किए जाने की भी संभावना है । परन्तु वास्तव में जो स्थिति जनता के सम्मुख अब आयी है उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनता को धोखा दे रही है ।

अब भी यह कहा जा रहा है कमी 40 लाख टन से अधिक नहीं है परन्तु वास्तव में कमी 80 लाख टन की है ।

यह सब पिछले वर्ष के किसान विरोधी बजट के कारण हुआ है । जब तक सरकार भूमि की अधिकतम सीमा, अलाभप्रद कृषि मूल्य तथा कृषि क्षेत्र में आयकर की बात कर रही है हमारा उत्पादन बढ़ कर 11.20 करोड़ टन नहीं हो सकता ।

यदि मूल्यों को स्थिर करना है तो अभाव की स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए । मूल्यों की स्थिरता तथा राजनीतिक स्थिरता का अभाव है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी । (कलकत्ता दक्षिण) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त कुछ बातों से सहमत हूं परन्तु नीतियों के क्रियान्वित किए जाने के आरोपों का खंडन करता हूं।

बंगला देश के लोगों को ऐसा आभास नहीं दिया जाना चाहिए कि उनके कारण देश के लोग हानि उठा रहे हैं । यह तो सच है कि मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन-यापन कठिन हो गया है । इस स्थिति के लिए तीन वर्ष की आर्थिक नीतियां ही संबंद्ध नहीं है अपितु पिछले कई वर्षों में उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वित न किये जाने के कारण है ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, वह देश की उन समस्याओं और नीतियों को प्रकाश में लाने के लिए था । जिनके प्रति तत्कालीन कांग्रेसी नेता गंभीर और जागरुक नहीं थे । विभाजन के प्रश्चात विभिन्न राज्यों की और केन्द्र की कांग्रेसी सरकारों ने सही दिशा में कुछ कार्यक्रम अपनाये हैं, परन्तु हमें समय बहुत कम मिला है ।

पिछले कुछ समय से मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जो निश्चित रुप से एक खराब प्रवृत्ति है । परन्तु विरोधी पार्टियों के सदस्यों और विशेषकर श्री ज्योतिर्मय बसु ने मेरी पार्टी के प्रति जो आरोप लगाये हैं, वे बेहूदे और दुर्भाग्यपूर्ण हैं । संसदीय परम्परा का उपयोग समाज की समस्याओं के समाधान के लिए होना चाहिए, राजनैतिक पार्टियों के प्रति आरोप मात्र लगाकर उनके चरित्र को गिराने के लिए नहीं ।

हमारी पार्टी ने ही पश्चिम बंगाल में बिना पुलिस प्रशासन का सहारा लिए दर्जनों जमाखोरों को जेल के सीखचों के अन्दर बन्द कर दिया था । श्री एस०के० मोदी जैसे खतरनाक जमाखोरों को दण्ड ही नहीं दिया जाना चहिए , बल्कि उनके सार व्यापार लाइसेंस को ही रद्द कर देना चाहिए ।

आर्थिक संघर्ष की दृष्टि से समाजवाद की उपलब्धि एक बहुत बड़ा कार्य है । नीचे की अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आज जिस प्रकार न्यायपालिका कार्य कर रही है, उससे जनता की समस्याओं का समाधान कर पाना अथवा दलितों को न्याय दे पाना मुश्किल है । बड़े से बड़ा चोर बाजारिया ऊंची अदालत में जाकर रिहा कर दिया जाता है । यही हमारे देश का दुर्भाग्य है । हमारी पार्टी का "गरीबी हटाओ" नारा बड़े समाजवादी लक्ष्य का प्रतीक है, जिसको क्रमिक रुप से क्रियान्वित किया जाना है ।

मंहगाई के लिए सूखा और अन्य दैवी विपत्तियां तो उत्तरदायी है हीं, भारत के बड़े एकाधिकारी उद्योग गृह भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हुए हैं । ये सरकारी उपक्रमों के घाटे में कमी होनी चाहिए और उन्हें लाभ अर्जित करके दिखाना चाहिए । प्राइवेट क्षेत्र में छिपी हुई सम्पत्ति का पता लगाया जाना चाहिए ।

वित्त मंत्री को बड़े उद्योग गृहों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि वे उपभोक्ता सामग्री की कृतिम कमी पैदा करके कीमतों को न बढ़ा सकें ।

6 दिसंबर को जब बंगला देश को मान्यता देने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तब इसी संसद ने दृढ़तापूर्वक इस बात का समर्थन किया था कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमरीकी गेहूं पर आश्रित नहीं होना चाहिए । हमने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने खून की आखरी बूंद भी बहाकर बंगलादेश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करेंगे । कम्युनिस्ट पार्टी अथवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसी ने भी अपने किसी बुलेटिन अथवा प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि देश का दो तिहाई क्षेत्र सूखे से प्रभावित है और युद्ध के तत्काल बाद वृहद भंडारों में से खाद्यान्न जनता को वितरित करना पड़ा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु का यह कहना सही है कि भारतीय खाद्य निगम में कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो सरकारी उपक्रम के हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस प्रकार कि हर संभव कार्यवाही करेगें जिससे मूल्य नियंत्रित हो सकें और गरीब लोगों को राहत मिल सके । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री एकाधिकारियों के कदाचारों को रोकने के लिए क्रान्तिकारी कार्यवाही करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाडा) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान 23 फरवरी, 1973 को परिचालित आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 42 पर उल्लिखित पैरा 152 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि मूल्य -वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद वर्ष 1972 में थोक मूल्य सूचकांक में असाधारण रुप से भारी वृद्धि हुई है । 'आर्थिक समीक्षा' में यह कहीं नहीं कहा गया

है कि सरकार ने मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ? मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वायदा बाजार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्या खाद्यान्नों की खरीद के लिए ऋण-सुविधा समाप्त कर दी गई है, और क्या सट्टे बाजार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है? भारत सरकार और वित्त मंत्री ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे मूल्यों में वृद्धि रुक सके। कांग्रेस ने नारा तो दिया है 'गरीबी हटाओ' का परन्तु वह गरीबी को हटा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारी रकम से सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। वर्ष 1971–72 से व्यय में सतत वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन के असंतोषजनक व्यवहार से उत्पन्न गलत प्रवृत्तियों में भी वृद्धि हुई।

वित्त मंत्री ने बराबर इस सदन में आश्वासन दिया है कि अनुत्पादक व्यय पर रोक लगाई जानी चाहिए, परन्तु फिर भी अनुत्पादक व्यय में क्यों वृद्धि हो रही है ? मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत और सजावट पर 26 लाख रुपये व्यय किये गये हैं और राज भवनों पर कितनी बचत की गई? सरकार मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफल ही नहीं रही है, उसने मूल्यों में वृद्धि को भी बढ़ावा दिया है। वर्ष 1972 में मूल्यों में आम तौर पर 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उससे पिछले वर्ष में केवल 3.9 की वृद्धि हुई थी। आज हरित क्रांति का क्या हुआ ? आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में 128 जिलें ऐसे हैं जहां न तो सिंचाई की ही व्यवस्था की और जहां वर्ष भर में 1215 मि०मी० से अधिक वर्षा नहीं हुई। हरित क्रान्ति उन जिलों में होनी चाहिए थी, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है।

वित्त मंत्री ने यह कहा था कि बंगला देश के स्वाधीनता संघर्ष के कारण हमें कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं या कि खाद्यान्नों की कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि होगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर कीमतें इसी प्रकार बढ़ती रहीं तो हमारे लोकतन्त्र को गंभीर खतरा पैदा हो जायेगा।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह कहा गया है कि किसी वस्तु का बाजार-मूल्य तीन चीजों पर निर्भर करती है उनमें से एक अप्रत्यक्ष कराधान है। अप्रत्यक्ष करों का मूल्यों पर प्रभाव समाप्त करने के लिए संचालन संबंधी व्यय में कमी की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। रेलवे का संचालन व्यय बराबर बढ़ता जा रहा है।

सरकार कराधान संबंधी नीतियों और प्रबन्ध एवं तकनीकी दृष्टियों से कई मुद्दों पर सरकार असफल रही है और इसी कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। रुपये की कीमत एक चौथाई ही रह गई है। जिससे आम जनता का जीवन कष्टमय हो रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : प्रस्तावक महोदय ने यहां वहां से आंकड़े एकत्रित करके यह मत व्यक्त किया है कि भारत में मूल्य वृद्धि सब से अधिक है। मुझे नहीं पता कि वह कैसे इस निष्कर्स पर पहुचे। मूल्य-वृद्धि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

मूल्य वृद्धि का अर्थ यह है कि मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है मांग बढ़ने के भी कुछ कारण हैं मुद्रा-सप्लाई में वृद्धि हुई है, आबादी में वृद्धि हुई है, सभी प्रकार के उत्पादन में गिरावट आयी है, और विकास परियोजनायें आशा के अनुरुप कार्य नहीं कर सकीं। इसके अलावा जमाखोरों और मुनाफा-खोरों एवं तस्कर व्यापारियों की भ्रष्ट गतिविधियों के कारण भी मंहगाई को बढ़ावा मिला।

आम आदमी और विशेषकर गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों पर मंहगाई का बहुत अधिक असर पड़ा है । 1960–61 में उस समय के मूल्य-स्तर के आधार पर राष्ट्रीय आय 13,294 करोड़ रुपये थी और मुद्रा सप्लाई 2,889 करोड़ रुपये थी ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 6 मार्च, 1973/15 फाल्गुन, 1984 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March, 1973/Phalguna 15, 1894 (Saka).

MGIPRRND/IV—N/S—1 LSS/73—8-6-73—490.